गुरुवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(31 मई, 2012 ई0)

खण्ड-479

अंक-04

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही श्री हुकुम सिंह ने मंहगाई के मुद्दे पर केन्द्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि आज की देशबन्दी में सारे दल एकमत हैं। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री एवं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करके प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सदन की ओर से निम्नांकित भूतपूर्व सदस्यों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सदन की सम्वेदना दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जायेगी।

1-महन्त घनश्याम गिरि,

2-श्री कन्हैया लाल।

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

नेता विरोधी दल ने जनपद बुलन्दशहर में रोडवेज की बस से टक्कर द्वारा टाटा-407 में सवार 20 लोगों के मरने की घटना का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री कोष से मृतक परिवारों को आर्थिक मदद एवं घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। मा0 मुख्य मंत्री ने प्रकरण को दिखवाकर पूरी मदद करने का आश्वासन दिया।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यदि प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा पीठ के द्वारा नहीं की गई है तो फिर प्रश्नकाल समाप्त नहीं है।

आज दिनांक 31 मई, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं जो पढ़ी हुई मानी गईं :-

मा0 सदस्य का नाम	विषय
1-श्री हुकुम सिंह	जनपद प्रबुद्धनगर की कराना तहसील में नलों से प्रदूषित एवं लाल बदबूदार पानी से गांव के लोगों में विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के सम्बन्ध में।
2-श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत गांगी नदी व बेसो नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3-श्री यासर शाह	बहराइच जिले में 15 दिन पहले जायरीनों से भरी बस में आग लग जाने से 20 लोगों के मरने तथा अग्निशमन के साधन बहुत ही सीमित होने के सम्बन्ध में।
4-श्री प्रमोद तिवारी	लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर फ्लोराइड एवं लवण की अधिक मात्रा होने के कारण पेयजल पूरी तरह दूषित होने के सम्बन्ध में।
5-श्री बजरंग बहादुर सिंह	जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधान सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती न किये जाने के सम्बन्ध में।
6-श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वाराणसी में 22 छोटे बड़े गन्दे नालों का मलयुक्त पानी सीधे गंगा नदी में गिराने के सम्बन्ध में।
7-श्री सुरेश राणा	जनपद प्रबुद्धनगर में औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होने वाला गन्दा पानी के प्रदूषण के कारण गम्भीर बीमारियां फैलने एवं पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
8-श्री सुरेश बंसल	गाजियाबाद शहर में रामनगर स्थित पार्क के चारों तरफ तथा जोड़ने वाली सड़कों की जर्जर हालत के सम्बन्ध में।

9–श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10–श्री राजेश त्रिपाठी	विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत ग्राम खखई चघौर निवासी श्री सुशील शुक्ला को फर्जी रूप से मुकदमें में फसाये जाने के सम्बन्ध में।
11–श्री सुशील सिंह	विधान सभा क्षेत्र सकल डीहा में समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
12–श्री पूर्णमासी देहाती	विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में।
13–श्रीमती नन्दिता शुक्ला	जनपद गोण्डा स्थित दतौली चीनी मिल से हो रहे दूषित जल प्रवाह के कारण हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

श्री सतीश महाना ने प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि प्रश्न काल विपक्ष का एक बड़ा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के सदस्यों द्वारा प्रश्न लगाये गये हैं इसके बावजूद आज की कार्य-सूची में एक ही तारांकित प्रश्न लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट नहीं होते साथ ही उन्होंने प्रश्नकाल के पूरे समय के उपयोग किये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न नियमावली के अनुसार मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये प्रश्नों का परीक्षण कर स्वीकार किया जाता है यदि प्रश्न नियमों के अन्तर्गत नहीं होते हैं तो वे प्रश्न तारांकित नहीं बन पाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि नेतागण अपने दल के नये सदस्यों की मीटिंग कर प्रक्रिया बता दें ताकि उनके प्रश्न नियमानुसार तारांकित में आ सकें।

श्री प्रमोद तिवारी ने नियम-110 में विश्वनाथ आनन्द के पांचवीं बार ग्रैंडस्लैम जीतने पर सदन द्वारा बधाई देने का प्रस्ताव लाना चाहा जिस पर श्री अध्यक्ष ने अनुज्ञा न देते हुये कहा कि सभी दलीय नेताओं से बात करने के उपरान्त ही इस पर निर्णय लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिवाद करते हुये कहा जब यह बात उनके तथा श्री अध्यक्ष व श्री प्रमोद तिवारी के

बीच तय हो गई थी तो उस इश्यू को यहां नहीं उठाना चाहिये था। उन्होंने यह भी कहा कि यह बीच ऑफ ट्रस्ट है यह कोई अच्छी परिपाटी नहीं है कि आपके और सरकार के बीच बात हो जाने के बावजूद सदन के रिकार्ड पर ले आया जाय, उस चीज को घुमाकर, यह ठीक नहीं है। श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर विवाद नहीं होना चाहिये इसलिये वे प्रस्ताव वापस लेते हैं। नेता विरोधी दल ने अनुरोध किया कि श्री अध्यक्ष स्थिति स्वयं ही स्पष्ट करें जिससे कि भ्रम की स्थिति सदन में न बने। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-110 के अन्तर्गत कोई मा0 सदस्य किसी प्रकार का प्रस्ताव बधाई संदेश, शोक प्रस्ताव आदि ला सकता है। श्री कलराज मिश्र ने उक्त वाद-विवाद को गम्भीर बताते हुये सदन के समक्ष विषय स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया। नेता विरोधी दल ने कहा यदि किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के सम्बन्ध में चर्चा हो ही रही है तो इसी समय मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने श्री अध्यक्ष से वार्ता के बाद इस पर निर्णय के लिये कहा। श्री अध्यक्ष द्वारा दलीय नेताओं की बैठक कराकर इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।

आज दिनांक 31 मई, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुईं।

श्री हुकुम सिंह ने जिला योजना समितियों की बैठकें निष्प्रभावी होने के कारण जनप्रतिनिधियों की कम होती भूमिका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि पचास के दशक में देश में विकास के लिये योजना आयोग का गठन किया गया उसी के अनुसार प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन करके उसके अनुसार काम होता रहा है लेकिन कुछ वर्षों से इन समितियों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने वर्ष 2011-12 की जिला योजना के प्रारूप के अनुसार 9000 करोड़ रुपये के खर्च का ब्यौरा न मिलने का जिक्र करते हुये चार वर्षों के लिये इसी सदन की एक समिति का गठन किये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुये कहा कि उक्त धन के खर्च के ब्योरे की जांच होनी चाहिये। श्री अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं एवं मुख्य मंत्री जी के साथ विचार करके निर्णय लिये जाने की बात कहते हुये सूचना को अग्राह्य किया।

श्री सतीश महाना ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण आज भारत बन्द के आवाह्न के फलस्वरूप विधान सभा की कार्यवाही में मा0 विधायकों को पहुंचने में हुई कठिनाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि पूरे देश में पेट्रोल की महंगाई से त्राहि-त्राहि मची है। उन्होंने सदन के द्वारा सब दलों को मिलाकर नियम-110 में प्रस्ताव पास करके केन्द्र

को भेजकर पेट्रोल पर महंगाई का विरोध किये जाने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी ने डायलिसिस मशीन स्थापित किये जाने विषयक विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि उक्त मशीन को लगाने में सरकार द्वारा गलत उत्तर आया कि वहां नेफ्रोलाजिस्ट विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण मशीन स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आपकी सूचना पर दिया गया उत्तर गलत है तो आप नियम-63 में दे दीजिये यदि उत्तर गलत होगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सूचना अग्राह्य हुई।

श्री प्रमोद तिवारी ने सरकार के कार्य को पारदर्शी एवं जनहित के कार्यों को सुगमता प्रदान करने हेतु जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि इस अधिनियम का ह्रास हो रहा है इसके लिये हर विभाग को एक डेजिगनेटेड आफिसर बनाना पड़ेगा। राजस्व मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुये कहा कि सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि सभी विभाग अपने अधिकारी नामित करें। उन्होंने इसी सत्र के बाद इसकी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा अपनी सूचना को लिये जाने की मांग करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि अभी धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है उसमें बोलियेगा कार्यवाही में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अम्बिका चौधरी को उनके ऊपर दिनांक 30 मई, 2012 को सदन में श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण की अनुमति दिये जाने पर श्री अम्बिका चौधरी ने कहा कि उनके राजनैतिक जीवन में सन् 1993 से आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उन्हें सदन में सफाई देनी पड़े। उन्होंने कहा कि सदन में कल उनके ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की सलाह पर एक समिति बना दी जाय जो प्रत्येक बिन्दु की जांच मौके पर जाकर कर ले। सदन में वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि यह आरोप मिथ्या है। इस पर श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा लगातार खड़े होकर बोलने पर श्री अध्यक्ष तथा श्री कलराज मिश्र द्वारा उन्हें रोकने पर श्री उपेन्द्र तिवारी सदन त्याग कर चले गये। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर आक्षेप को सदन की स्वस्थ परम्परा के खिलाफ बताया तथा श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया कि कल की कार्यवाही देख लें जो अपमानजनक बातें हों उन्हें कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 मई, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 31 मई, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 21 जून, 2012 से 26 जून, 2012 तक सदन की बैठकें न हों।

3-शनिवार, दिनांक 30 जून, 2012 को सदन की बैठक हो, प्रश्नकाल न हो एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण किया जाए तथा केवल नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं।

4-दिनांक 31 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

मई, 2012

31 गुरुवार — 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।
2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

जून, 2012

01 शुक्रवार — 1-**11.00 बजे पूर्वाह्न**
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।
2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।

02 शनिवार
03 रविवार — बैठक नहीं होगी।

04 सोमवार — (हजरत अली का जन्म दिन) बैठक नहीं होगी।

05 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
2-विधायी कार्य।

06 बुधवार
07 गुरुवार
08 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

<u>जून, 2012</u>

09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 08 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
30 शनिवार	**<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अनूप सण्डा ने विधान सभा स्थित कैन्टीन में खान-पान की व्यवस्था ठीक न होने का विषय उठाते हुये कहा कि लोक सभा की कैन्टीन व्यवस्था के अनुसार यहां सेन्ट्रल हाल में सम्पूर्ण आहार की व्यवस्था होनी चाहिये। मा0 खाद्य मंत्री ने भी भोजन व्यवस्था ठीक न बताते हुये कैन्टीन में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन व्यवस्था कराने हेतु श्री अध्यक्ष से निर्णय लेने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता खराब बताते हुये कहा कि लोक सभा का मेन्यू मंगाकर उसी के अनुरूप यहां भी व्यवस्था करा दी जाय। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया' द्वारा दिनांक 29 मई, 2012 को प्रस्तुत निम्नांकित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा श्री अखिलेश प्रताप सिंह के भाषण से आरम्भ हुई :-

यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 28 मई, 2012 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

इसी मध्य 1 बजे अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुये।

निम्नांकित सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लिया :-

श्री नितिन अग्रवाल,

श्रीमती रजनी तिवारी,

श्री सईद अहमद,

श्री राघव लखन पाल,

श्री अनूप सण्डा,

श्री राधेश्याम,

श्री मौ0 इरफान तथा

श्री अमर पाल शर्मा।

राजस्व मंत्री ने सुश्री अनुप्रिया पटेल को दलीय नेता की हैसियत से चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

सुश्री अनुराधा पटेल ने चर्चा में भाग लिया।

श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर कतिपय सदस्यों की आपत्ति पर श्री अधिष्ठाता ने उन्हें देखते हुये कहा कि वे पहले ही संशोधन प्रस्ताव पर बोल चुके हैं।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय कुमार 'लल्लू',

श्री सुदामा प्रसाद,

श्री राजेश त्रिपाठी,

श्री राजेश त्रिपाठी के भाषण के मध्य ही 2 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।

इसी मध्य राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि दैवी आपदा के सम्बन्ध में 72 घन्टे में यदि कार्यवाही न हो तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का आश्वास दिया।

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पारस) ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी के उप नेता से कहा कि नेता सदन आ चुके हैं। नेता विरोधी दल जी को बता दिया जाय।

श्री लोकेश दीक्षित के भाषण के मध्य नेता विरोधी दल सदन में आ गये।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लिया :-

डा0 संग्राम यादव,

श्री अजय, (लखीमपुर खीरी)

डा0 महेश कुमार शर्मा,

कुंवर कौशल सिंह तथा

श्री अविनाश।

श्री अली यूसुफ अली के भाषण पर संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा कटाक्ष एवं व्यंग करने पर नेता विरोधी दल ने पीठ से संरक्षण की मांग करते हुये प्रतिवाद किया।

श्री अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल द्वारा कतिपय असंसदीय शब्द का प्रयोग करने पर सत्ता पक्ष से उठी आपत्ति को दिखाकर कार्यवाही से निकलवाने का आश्वासन दिया।

संसदीय कार्य-मंत्री एवं नेता विरोधी दल की तीखी नोक-झोक पर प्रश्न उठाते हुये श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 बजे से मा0 मुख्य मंत्री जी का भाषण होने वाला है। उनके भाषण को हम लोग सुनना चाहते हैं। उन्होंने सदन में शान्ति-अमन का माहौल स्थापित करने का अनुरोध किया।

संसदीय कार्य-मंत्री ने प्रत्युत्तर में कहा कि यह सदन है। इसमें बहस तो होगी ही।

श्री अध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण हेतु पुकारने पर नेता विरोधी दल नये सदस्यों को मुख्य मंत्री से पूर्व बोलने का मौका न दिये जाने पर विरोध स्वरूप अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि शेष सदस्यों को कल मौका दिया जायेगा।

मुख्य मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया।

इसी मध्य श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा भट्टा पारसौल के मुकदमें को वापस लिये जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुये मुख्य मंत्री एवं संसदीय कार्य-मंत्री ने मुकदमें वापस लिये जाने का आश्वासन दिया।

श्री सतीश महाना द्वारा केन्द्र सरकार के खिलाफ उठाये गये औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय की जानकारी मांगने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि नेता सदन से वार्ता के बाद व्यवस्था देंगे।

श्री लोकेन्द्र सिंह ने उक्त चर्चा में भाग लिया।

इसी मध्य श्री प्रमोद तिवारी ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हाथरस, हापुड़ एवं शामली के परिवर्तित किये गये नामों को स्थानीय विधायकों की अपेक्षानुसार बदलने का अनुरोध किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी उक्त चर्चा में भाग लिया :-

श्री दिलनवाज खान,

श्री सिबगतुल्ला अन्सारी,

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली तथा

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के खड़े होने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि कल चर्चा जारी रहेगी।

आज दिनांक 31 मई, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्री इन्द्रजीत सरोज — जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चुनावी रंजिश को लेकर ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।

2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह — इलाहाबाद थाना धूमनगंज के अन्तर्गत ग्राम मरियाडीह तथा थाना करैली क्षेत्र में नाले के किनारे बसी झुग्गियों में हुये बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3-डॉ0 धर्मपाल सिंह — जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

4-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल — जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र पाठा मानिकपुर में गिर रहे जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

1-मो0 जमील अहमद कासमी — जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम कम्हैडा थाना ककरौली में फर्जी मुकदमें दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

2-श्री अमर पाल शर्मा — विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत आबादी के अनुरूप खोड़ा कालोनी को नगरपालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

3-श्री शारदा प्रताप शुक्ला — लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में पानी व सीवर की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4-श्री यासर शाह — जनपद बहराइच के क्षेत्र मटेरा के थानों एवं तहसीलों का नवीन परिसीमन कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

1-डॉ पूर्णमासी देहाती — जनपद मऊ के ग्राम लउवाशाध थाना मधुबन में चल रही अवैध शराब भट्ठियों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-श्री विजय कुमार दुबे — विधान सभा क्षेत्र खड्डा की जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये खड्डा में तहसील स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि बजट के बाद श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 05 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-479, अंक-4
गुरुवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(31 मई, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
-मंहगाई के मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाये जाने की मांग	9
प्रश्नोत्तर	9-32
-विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री महन्त घनश्याम गिरि तथा कन्हैया लाल के निधन पर शोकोद्गार	32-33
-जनपद बुलन्दशहर में रोडवेज की बस और टाटा-407 में हुई टक्कर से मृत व्यक्तियों एवं घायलों को मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता एवं उपचार की व्यवस्था कराये जाने की मांग ...	33-34
-नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	34-36
-जनपद प्रबुद्धनगर की कैराना तहसील में नलों से प्रदूषित एवं लाल बदबूदार पानी से गांव के लोगों में विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत गांगी नदी व बेसो नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
-बहराइच जिले में 15 दिन पहले जायरीनों से भरी बस में आग लग जाने से 20 लोगों के मरने तथा अग्निशमन के साधन बहुत ही सीमित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
-लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर फ्लोराइड एवं लवण की अधिक मात्रा होने के कारण पेयजल पूरी तरह दूषित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	38
-जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38-39
-वाराणसी के 22 छोटे गन्दे नालों का मलयुक्त पानी सीधे गंगा नदी में गिराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
-जनपद प्रबुद्धनगर में औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होने वाला गन्दा पानी के प्रदूषण के कारण गम्भीर बीमारियां फैलने एवं पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40

विषय	पृष्ठ-संख्या
-गाजियाबाद शहर में रामनगर स्थित पार्क के चारों तरफ तथा जोड़ने वाली सड़कों की जर्जर हालत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
-विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत खखई चधौर निवासी श्री सुशील शुक्ला को फर्जी रूप से मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
-विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
-विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
-जनपद गोण्डा स्थित दतौली चीनी मिल से हो रहे दूषित जल प्रवाह के कारण हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
-आज की कार्य-सूची में एक ही तारांकित प्रश्न होने के कारण प्रश्नकाल के पूरे समय का सदुपयोग न हो पाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
-श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-110 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव लाने के प्रयास पर आपत्ति	45-49
-औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	49-50
-जिला योजना समितियों की बैठकें निष्प्रभावी होने के कारण जन प्रतिनिधियों की कम होती भूमिका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	50-55
-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण आज भारत बन्द के आह्वान के फलस्वरूप विधान सभा की कार्यवाही में मा0 विधायकों को पहुँचने में हुई कठिनाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	55-58

विषय			पृष्ठ-संख्या
पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी में डायलिसिस मशीन स्थापित किये जाने विषयक प्रथम सत्र, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	58-61
-सरकार के कार्य को पारदर्शी एवं जनहित के कार्यों को सुगमता प्रदान करने हेतु जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...		61-65
-राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) द्वारा अपने ऊपर श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा सदन में दिनांक 30 मई, 2012 को लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण	...	...	65-73
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव.....	(स्वीकृत)		74-76
-विधान भवन स्थित सेन्ट्रल हाल कैन्टीन में लोक सभा की भांति सम्पूर्ण आहार की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध	...		76-78
-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा.....(जारी)	...	...	79-149
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	149-151

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 31 मई, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-355

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
32. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
33. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
36. अविनाश, श्री — सोनभद्र
37. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
38. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
39. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आलोक कुमार, श्री — मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
44. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
45. आशीष यादव, श्री — बदायूं
46. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं

47. इकबाल, श्री बिजनौर
48. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
49. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
50. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमाशंकर, श्री बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
61. ओम कुमार, श्री बिजनौर
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
64. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
65. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
66. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
67. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
68. काली चरन सुमन, श्री आगरा
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
71. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
74. कैलाश, श्री गाजीपुर
75. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
81. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
82. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
83. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
84. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
85. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
86. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
87. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
88. गोमती यादव, श्री लखनऊ
89. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
90. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
91. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
92. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
93. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
94. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
95. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
96. जगपाल, श्री सहारनपुर
97. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
98. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
99. जफर आलम, श्री अलीगढ़
100. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
101. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
102. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
103. जय प्रकाश, श्री गोरखपुर

104. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
105. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
106. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
107. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
108. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
109. तसलीम, श्री बिजनौर
110. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
111. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
112. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
113. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
114. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
115. दलजीत सिंह, श्री बांदा
116. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
117. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
118. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
119. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
120. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
121. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
122. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
123. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
124. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
126. धर्मराज, श्री बाराबंकी
127. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
128. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
129. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
130. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
131. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
132. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
133. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
134. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
135. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
136. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
137. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
138. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
139. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
140. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
141. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
142. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
143. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
144. पीतमराम, श्री पीलीभीत
145. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
146. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
147. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
148. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
149. प्रदीप कुमार, श्री औरैया
150. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
151. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
152. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
153. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
154. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
155. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
156. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
158. बदलू खां, श्री उन्नाव
159. बाबू खां, श्री हरदोई
160. बाबूलाल, श्री गोण्डा
161. बावन सिंह, श्री गोण्डा

162. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
163. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
164. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
165. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
166. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
167. बैजनाथ, श्री मऊ
168. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
169. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
170. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
171. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
172. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
173. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
174. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
175. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
176. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
177. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
178. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
179. मनबोध, श्री देवरिया
180. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
181. मनीष रावत, श्री सीतापुर
182. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
186. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
187. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
188. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
189. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
190. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
191. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
192. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
193. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
194. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
195. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
196. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
197. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
198. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
199. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
200. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
201. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
202. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
203. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
204. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
205. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
206. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
207. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
208. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
209. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
210. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
211. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
212. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
213. यासर शाह, श्री बहराइच
214. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
215. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
216. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
219. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
220. रणजीत सुमन, श्री एटा
221. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर

222. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
223. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
224. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
225. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
226. रवि शर्मा, श्री झांसी
227. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
228. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
229. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
230. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
231. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
232. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
233. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
234. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
235. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
236. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
237. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
238. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
239. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
240. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
241. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
242. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
243. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
244. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
245. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
246. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
247. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
248. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
249. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
250. राम करन आर्य, श्री बस्ती
251. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
252. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
253. राम गोविन्द, श्री बलिया
254. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
255. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
256. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
257. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
258. राम मगन, श्री बाराबंकी
259. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
260. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
262. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
263. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
264. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
265. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
266. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
267. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
268. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
269. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
270. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
271. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
272. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
273. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
274. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
275. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
276. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
277. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
278. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
279. विजय कुमार, श्री सिद्धार्थनगर
280. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
281. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
282. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर

283. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
284. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
285. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
288. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
289. वीरपाल राठी, श्री बागपत
290. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
291. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
292. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
293. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
294. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
295. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
296. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
297. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
298. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
299. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
300. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
301. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
302. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
303. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
304. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
305. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
306. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
307. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
308. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
309. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
310. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
311. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
312. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
313. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
314. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
315. संजय कपूर, श्री रामपुर
316. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
317. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
318. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
319. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
320. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
321. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
322. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
323. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
324. सन्तराम, श्री जालौन
325. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
326. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
327. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
328. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
329. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
330. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
331. सियाराम सागर, डा0 बरेली
332. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
333. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
334. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
335. सुधाकर, श्री मऊ
336. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
337. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
338. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
339. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
340. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
341. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली

342. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
343. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
344. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
345. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
346. सुल्तान बेग, श्री बरेली
347. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
348. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
349. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
350. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
351. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
352. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
353. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
354. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
355. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

मंहगाई के मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाये जाने की मांग

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक प्रस्ताव मैंने आपको दिया है। आज सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं सिर्फ एक छोटी मोटी पार्टी को छोड़कर। आज पूरा देश बन्द कराया है। मान्यवर, जिस तरह से आम जनता की कमर तोड़ी गई है कांग्रेस की सरकार के द्वारा उसके लिये हम चाहते हैं कि सारा सदन एक मत हो और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

हमें माननीय मुख्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल और अन्य सभी नेताओं से चर्चा करके इस पर विचार करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग बैठ जायं। मैंने कहा कि इस पर विचार कर लेंगे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मंहगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

*1-क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मंहगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आज एजेन्डे में एक मात्र तारांकित प्रश्न मेरा ही लगा हुआ है अकेला ठीक उसी प्रकार जिन असहाय लोगों के मैंने प्रश्न उपस्थित किया था वह असहाय हैं, दीन हैं, उनका कोई सहारा नहीं है और वर्तमान मंहगाई से किसी को इंकार भी नहीं है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में कोई वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या इससे अंदाजा यह लगाया जाए कि इतनी भयंकर मंहगाई के बावजूद जो वर्तमान सरकार है जो इतनी आशायें, अपेक्षायें लेकर आई है और उसको पूरा

करने का उस पर दायित्व है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार गरीब नहीं है क्योंकि विश्व के बड़े धनिकों बिल गेट्स ने भी हाथ मिला लिया है, तो अब वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, तो क्या सरकार इन असहाय गरीब वृद्ध जिनका कोई सहारा नहीं, लड़का नहीं, लड़की नहीं, अगर होंगे भी तो कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को जो तीन सौ रुपया मासिक मिलता था वह भी प्राप्त नहीं होता है, कई लोग चल नहीं पाते हैं, कोई भी माननीय सदन के विधायक है उनके पास लोग आते हैं गिड़गिड़ातें हैं कि साल भर से पेंशन नहीं आया क्या उनके ऊपर तरस खाकर अपने माता-पिता के स्थान पर रखकर सरकार विचार करेगी या इस पर विचार करने पर आश्वासन देगी कि भविष्य में इनकी वृद्धावस्था पेंशन को निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जो चिन्ता आदरणीय सदन के समक्ष माननीय सदस्य श्याम देव राय चौधरी जी ने रखी है उससे कहीं चिन्ता वर्तमान सरकार, जो माननीय अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में बनी है उससे कहीं ज्यादा चिन्ता भी है और हमारी सरकार की संवेदनशीलता भी है आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेलफेयर स्टेट की कल्पना जो हमारे संविधान में की गई है उस परिकल्पना को पूरा करने का केवल लक्ष्य ही नहीं है बल्कि मुख्य मंत्री जी का संकल्प
भी है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसलिए तमाम कल्याणकारी योजनायें जिसको चुनाव घोषणा-पत्र में हमारी पार्टी ने रखा था, यह चुनाव घोषणा-पत्र पूरा करने की उम्मीद पाँच साल करने के लिए होती है, जनता पाँच साल के लिए चुनती है लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है मुख्य मंत्री जी के ऊपर, यह निश्चय किया गया है जो घोषणायें की गई हैं वह ढ़ाई साल में पूरा करने का संकल्प लिया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्रीमन् आपने चिन्ता व्यक्त की यह सरकार गरीबों के लिए नहीं है तो यह सरकार गरीबों के लिए है। बेरोजगार नौजवानों के लिए जो हमारी योजना चल रही है आर्थिक सहायता एक हजार रुपया उन्हें देने की घोषणा हुई थी इसको मूर्त रूप दे दिया गया है। श्रीमन् पहली अप्रैल से इसको देने का संकल्प भी कर दिया है तो यह क्या है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। मंत्री जी की पूरी बात सुन लें।

श्री अवधेश प्रसाद-

यही नहीं इस दिशा में हमारी सरकार ने और कदम उठाए हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, वृद्धावस्था पेन्शन की धनराशि बढाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, बहुत ज्यादा लम्बा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके सम्बन्ध में बता दें।

श्री अवधेश प्रसाद-

श्रीमन्, हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, हम कितने चिन्तित हैं, इसी दिशा में मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना है जिसमें उन परिवारों को लाभ मिलेगा.....

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सुनिए तो, मंत्री जी बता रहे हैं कि यदि वृद्धावस्था पेन्शन नहीं बढ़ा रहे हैं तो दूसरी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे।

(कई सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांत हो जाये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूँ जो प्रश्न उपस्थित किया हूँ, उन असहाय, बेसहारा, वृद्ध जो काम करके, घट करके जीवनयापन के लिए कोई धन उपार्जन नहीं कर सकते, जिनकी जिन्दगी की यह एक विडम्बना है कि इस परिस्थिति में यह वृद्धवस्था पेन्शन ही उनके जीवन का कुछ आधार है। माननीय मुख्य मंत्री जी, पहले तो कोई मुख्य मंत्री यहाँ दिखायी नहीं देते थे लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री जी जवान हैं, नई ऊर्जा है, नई ताकत है, नई सोच है, यह प्रश्न मैं हर बार, हर सदन में हर सरकार के कार्यकाल में उठाता रहा हूँ लेकिन मेरा यह सौभाग्य है और यह सौभाग्य में बदल जाए कि मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में मुझे यह प्रश्न उपस्थिति करने का अवसर मिला है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की घोषणाएँ हैं और जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उस पर वह अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपने को इस बात तक सीमित रख रहा हूँ कि मैं जिनकी आवाज को यहाँ उठा रहा हूँ, वह दीन हैं, हीन हैं, उपेक्षित हैं ...

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आपकी बात आ गई। अब बैठिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी, आपने उन्हें तो रोका नहीं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि उनको जो 300 रुपये पेन्शन मिलती है.....

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात का संज्ञान ले रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो 300 रुपया पेन्शन बेसहारा, असहाय लोगों को मिलता है, उसमें 200 रुपया का अनुदान केन्द्र सरकार का होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

(श्री मोहम्मद आजम खाँ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, आप जो पूछ रहे हैं, वह तो आपके प्रश्न में ही निहित है। अब आप बैठ जायें। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, फिर भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। चौधरी साहब, अब बैठ जायें, उत्तर आने दीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की अच्छी पहचान है, आप अगर इतनी देर न भी परेशान होते तब भी मुख्य मंत्री जी आपको जानते और पहचानते हैं, आपकी पूरे सदन में बहुत पहचान है। इतनी देर आपने समय लिया, तब भी आपकी पहचान है और ज्यादा देर तक आप माइक पर रहते तब भी मुख्य मंत्री जी आपको नाम से और क्षेत्र से पहचानते हैं तो थोड़ी कृपा आप भी कीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मेरे ऊपर कृपा करके जनता ने यहाँ भेजा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जितने भी सदस्य यहाँ आये है, वह सब जनता की कृपा से ही आए हैं, उत्तर तो माननीय मंत्री जी दे रहे हैं और देंगे।

आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। जब बात किसी व्यंग्य से शुरू करेंगे तो बात अच्छी नहीं लगती। आपने अपने प्रश्नकाल की शुरूआत इससे की कि मुख्य मंत्री जी कल एक बड़े पूंजीपति से मिले हैं बहुत धन मिल जाएगा। यह तो आपको मालूम हो गया कि बड़े पूंजीपति से मिले लेकिन दूसरी सच्चाई भी सुन लीजिए। दूसरी सच्चाई यह है कि यह पहले मुख्य मंत्री

हैं जिन्होंने कटोरा नहीं फैलाया और यह कहा कि हमें नहीं चाहिए। मान्यवर, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यंग्य ऐसा हो जो सार्थक हो। आधी बात तो आपने सदन में कह दी प्रदेश में संदेश चला गया कि एक पूंजीपति को बुलाया गया कि यह खुद आये। यह नहीं मालूम कि उस पूंजीपति के आने के पीछे मंशा क्या थी। मान्यवर, पहले ही यह बात साफ कर दी गयी कि हमें आपसे धन नहीं चाहिए। हमें आपसे स्कीम्स चाहिए और सहायता चाहिए। मैं माननीय सदस्य की जानकारी में यह भी बताना चाहूंगा कि अगर उनकी जानकारी में न हो और उन्होंने समाचार आधा पढ़ा हो तो भविष्य में पूरा पढ़ा करें तो नतीजा अच्छा निकलेगा।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी सहित विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकारा था। आप चाहें तो दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपका नाम नहीं पुकारा था। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब 301 की सूचना लेने दीजिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, एक गंभीर मामला है। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए है आपके माध्यम से एक आग्रह करना है। मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर का एक गंभीर मामला है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, क्या प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

हाँ समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री दलबीर सिंह-

[2 सरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

2-श्री दलबीर सिंह-

[2 सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोटः-तारांकित संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना उप मण्डी को पूर्ण दर्जा दिलाये जाने की माँग

श्री दलबीर सिंह-

3-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की तहसील मुख्यालय गभाना पर पूर्ण मण्डी स्थल न होने से किसानों को उनकी फसल का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या इसी क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-4-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार गभाना उप मण्डी को पूर्ण मण्डी का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

जी हाँ।

जी नहीं।

गभाना उप मण्डी स्थल न होकर हाटपैठ के रूप में स्थापित है। हाटपैठ गभाना का निर्माण 01 हेक्टेयर भूमि पर कराया गया है, जिसमें 03 नग 'ब' श्रेणी की, 35 नग 'स' श्रेणी की, 01 नग गोदाम, 01 टीनशेड, 01 चेकपोस्ट एवं 01 बैंक भवन कम कार्यालय निर्मित है। हाटपैठ गभाना में 40 लाइसेंसधारी व्यापारी कार्यरत है। गभाना हाटपैठ की औसत मण्डी शुल्क से वार्षिक आय रू0 83,000.00 मात्र है, जो किसी क्षेत्र को उप मण्डी स्थल घोषित कराने हेतु निर्धारित मानक रू0 15 लाख एवं स्वतंत्र मण्डी घोषित करने हेतु निर्धारित मानक रू0 50 लाख से कम है।

जनपद अलीगढ़ की बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण मानकों की जाँच की मांग

4-श्री दलबीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले किलंकर नामक पत्थर से क्या-क्या नुकसान है तथा इसके इस्तेमाल के मानक क्या है ? क्या जनपद अलीगढ़ के कासिमपुर में स्थापित बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री में सभी प्रदूषण मानकों का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सीमेन्ट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले किलंकर से कोई नुकसान नहीं होता है तथा इसके इस्तेमाल हेतु पर्यावरण संरक्षण (अधिनियम), 1986 के अंतर्गत कोई मानक निर्धारित नहीं है, परन्तु सीमेन्ट उत्पादन में इसकी ग्राइन्डिग से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के

कारण पर्यावरणीय प्रदूषण होना सम्भावित है। सीमेन्ट मिल उत्सर्जन के मानक 50 मिलीग्राम/धन मीटर है तथा परिवेशीय वायु गुणता के निर्धारित मानक निम्न हैं :-

1-पर्टिकुलेट मैटर्स (पीएम 10)-100 माइक्रोग्राम/धन मीटर (दस माइक्रो मीटर से कम साइज के पार्टिकल)

2-पर्टिकुलेट मैटर्स (पीएम 2.5)-60माइक्रोग्राम/धन मीटर(2.5 माइक्रो मीटर से कम साइज के पार्टिकल)

जी हाँ, उक्त उद्योग में समस्त उत्सर्जन स्रोतों पर समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित एवं कार्यरत हैं तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को संचालन हेतु वर्ष 2012 की सहमति निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की मोदी शुगर एवं डिस्टलरी द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से निजात दिलाये जाने की मांग

5-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में स्थित मोदी शुगर मिल एवं मोदी डिस्टलरी द्वारा शहर में फैलाई जा रही प्रदूषण एवं जहरीली बदबू से हजारों लोग त्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को इससे निजात दिलायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 मोदी शुगर मिल, शुगर इकाई, मोदीनगर, गाजियाबाद में प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। दिनांक 13-3-2012 को अंतिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित उत्प्रवाह का नमूना जाँचोपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक के अनुरूप पाया गया है। उक्त इकाई के वायु प्रदूषण श्रोत 35 टन प्रति घंटा के तीन एवं 25 टन प्रति घंटा वाष्प जनन क्षमता के ब्वायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित है। दिनांक 17-1-2012 को की गई स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट में उत्सर्जन बोर्ड मानक के अनुरूप पाये गये। वर्तमान में आफ सीजन के कारण चीनी मिल बंद है।

मै0 मोदी डिस्टलरी मोदीनगर में प्रक्रिया जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु बायो गैस डाइजेस्टर रिवर्स ओसमोसिस प्लांट एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लांट स्थापित है तथा इस प्रकार से शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की व्यवस्था स्थापित की गई है अर्थात उत्प्रवाह परिसर के बाहर नहीं जाता है। उद्योग में वाष्प की आपूर्ति पेराई सीजन में चीनी इकाई के ब्यालरों से की जाती है तथा आफ सीजन में 05 टन प्रति घंटा वाष्प जनन क्षमता के ब्यालर से की जाती है, जिसमें ईधन के रूप में बायो गैस एवं राइस हस्क का प्रयोग होता है उद्योग में दिनांक 17-1-2012 को की गयी गई स्टैक मानीटरिंग में प्रचालक बोर्ड मानक के अनुरूप पाये गये हैं। चीनी मिल तथा डिस्टलरी उद्योग में समुचित जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित है। प्रायः चीनी मिल व डिस्टलरी के प्रोसस, उत्प्रवाह के बायो कम्पोस्ट में प्रयोग तथा स्टोरेज लैगून में भण्डारण स्थल से स्वाभाविक गंध निकलती है, परन्तु यह जहरीली नहीं होती है। यह दोनों उद्योग मोदीनगर औद्यौगिक क्षेत्र में स्थापित है।

जनपद मथुरा की अनेकों ग्राम सभाओं में कृषि योग्य भूमि को बेचने, खरीदने पर रोक

6-श्री पूरन प्रकाश-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा आन्योर, जतीपुरा, महमदपुर, राधाकुण्ड देहात एवं भवनपुरा ग्राम सभाओं की कृषि योग्य जमीन को बेचने खरीदने के यू0पी0जेड ए0एल0आर0 के सेक्शन 10 ए एवं 10-2ए के अन्तर्गत कितनी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गयी है ? क्या यह सही है कि यू0पी0 जेड ए0एल0आर0 के सेक्शन 10 ए एवं 10-2ए की अनुमति प्रशासन द्वारा नियम विरुद्ध जारी करके भू-माफियाओं को अनुचित लाभ प्रदान किया गया यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करायगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

यू0पी0जेड ए0एल0आर0 ऐक्ट के सेक्शन 10 ए एवं 10-2ए में भूमि क्रय करने अथवा विक्रय करने सम्बन्धी प्राविधान ही नहीं है। अतः जनपद मथुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा आन्योर, जतीपुरा, महमदपुर, राधाकुण्ड देहात एवं भवनपुरा ग्राम सभाओं की कृषि योग्य भूमि के क्रय/विक्रय की अनुमति नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील मथुरा की कतिपय ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग

7-श्री पूरन प्रकाश-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा आन्योर, जतीपुरा, महमदपुर, राधाकुण्ड देहात में पिछले 25 वर्षों में कितने कृषि योग्य भूमि के पट्टे (आवंटन) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं ? क्या यह आवंटी आवंटित कृषि योग्य भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी जांच कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सभा आन्योर में 78, ग्राम सभा जतीपुरा में 03, ग्राम महमदपुर में 45, ग्राम राधाकुण्ड में 44 अनुसूचित के व्यक्तियों को कृषि भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं। अधिकांश आवंटी मौके पर काबिज है तथा खेती कर रहे हैं। जहाँ तक कुछ प्रकरणों में अवैध कब्जे की शिकायत है ऐसे प्रकरणों में अवैध कब्जों को हटाकर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मथुरा व गोवर्धन में निर्मित उपमण्डी के निर्माण की जाँच कर कार्यवाही की माँग।

8-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन में नवनिर्मित उपमण्डी समिति भी हैण्ड ओवर नहीं हुयी है कि सीमेंन्ट,गिट्टी एवं ईटों के घटिया इस्तेमाल के कारण उपमण्डी समिति की सड़के, दुकानें एवं आफिस अभी से टपकने एवं जमीनें बैठनें लगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा में नवनिर्मित उपमण्डी स्थल गोवर्धन में निर्माण कार्य पूरा कराते हुए दिनांक 29-12-2010 को मण्डी समिति मथुरा को हैण्ड ओवर किया जा चुका है। उक्त मण्डी स्थल में कराये गये कार्यों की विस्तृत जाँच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के इंजीनियरिंग कालेज से करायी गयी । जाँच रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री मानक के अनुरूप पायी गयी तथा दुकानों एवं भवनों में पानी टपकने के कहीं पर कोई स्पाट दिखाई नहीं दिये। मात्र भवनों एवं दुकानों में कुछ स्थानों पर रंगाई-पुताई की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी, जो मिट्टी में साल्ट पीटर होने के कारण है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा की मुख्य मण्डी समिति की आय एवं व्याप्त गन्दगी को दूर करने की मांग

9-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की मुख्य मण्डी समिति में पिछले 2 वर्षों में कितनी आय वृद्धि हुयी है क्या यह सही है कि मण्डी परिषद् मथुरा अन्य जनपदों के मुकाबले राजस्व प्राप्त करने में पीछे है क्या यह भी सही है कि मण्डी समिति के अन्दर व्याप्त पानी तथा गन्दगी के कारण अन्दर के व्यापारी एवं किसानों में भारी रोष है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा में मुख्य मण्डी समिति मथुरा में कृषि वर्ष 2008-09 के सापेक्ष कृषि वर्ष 2009-10 में मण्डी शुल्क में 12.11 प्रतिशत एवं कुल आय में 12.98 प्रतिशत तथा कृषि वर्ष 2009-10 के सापेक्ष कृषि वर्ष 2010-11 में मण्डी शुल्क में 5.28 प्रतिशत एवं कुल आय में 13.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुख्य मण्डी समिति मथुरा में गत वर्षों के सापेक्ष मण्डी शुल्क एवं कुल आय में वृद्धि हुई है, परन्तु मण्डल के अन्य जनपदों के सापेक्ष यह वृद्धि कम है।

जी नहीं ।

मण्डी समितियों में आवश्यकता अनुरुप अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल में नदियों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित एवं जहरीला पदार्थ छोड़े जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल की नदियों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित एवं जहरीला पदार्थ छोड़े जाने की सरकार को क्या जानकारी है ? जनपद देवरिया की मझना एवं राप्ती नदियों में फरवरी, मार्च में जहरीला पदार्थ छोड़े जाने से इन नदियों का पानी मानव या पशुओं के पीने योग्य नहीं है ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी मिल मालिकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

देवरिया जिले में मझना जो कि एक नाला है, में हाटा बुजुर्ग, जिला कुशीनगर स्थित चीनी उद्योग मेसर्स न्यू इण्डिया शुगर लि0 से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण होता है। मझना नाला अन्ततः राप्ती नदी में मिलता है। उक्त चीनी मिल का निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड के स्तर से दिनांक 14-12-11 को किया गया तथा यह पाया गया है कि उद्योग में उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित संयंत्र सुचारू रूप से कार्यरत हैं एवं निस्तारित उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पाई गई है। उद्योग से किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ/उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। देवरिया जिले में ही प्रवाहित हो रही राप्ती नदी में सीधे तौर पर किसी औद्योगिक इकाई का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। देवरिया स्थित कार्यरत उद्योग मेसर्स देवरिया पेपर मिल्स लि0, हाटारोड नरायणपुर के शोधित उत्प्रवाह का भी अद्यतन निरीक्षण 4 अप्रैल, 2012 में किया गया एवं निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया है। उक्त उद्योग से भी किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ/उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक कालेजों में स्थायी प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग

11-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के किन-किन अल्पसंख्यक कालेजों में 7 वर्षों से अधिक समय से स्थायी प्राचार्य नहीं है ? क्या सरकार उक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां,

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त पदों को विश्वविद्यालय के अनुमोदन से प्रबंधतंत्र द्वारा भरा जाता है।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के गांद्यी-फैज-ए-आम कालेज, शाहजहांपुर में स्थायी प्राचार्य नहीं है।

अल्पसंख्यक महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाती है जिसके चयन का अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जाता है। गांधी-फैज-ए-आम कालेज, शाहजहांपुर में दिनांक 27-5-2012 को नियमित प्राचार्य के चयन हेतु साक्षात्कार सम्पन्न हो गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में गत वर्षों से लम्बित वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों के निस्तारण के आदेश

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में प्राप्त वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन-पत्र अनिस्तारित पड़े हैं ? क्या सरकार सभी लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष (2009-10) में 3818, (2010-11) में 2388 व (2011-12) में 1972 अर्थात् कुल 8178 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र अनिस्तारित पड़े हैं।

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2009-10 में 3818, वर्ष 2010-11 में 2388 व वर्ष 2011-12 में 1972 अर्थात् कुल 8178 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र अनिस्तारित बताये गये हैं। नियमों के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लेने का अधिकार जनपद स्तर पर ही निहित है। तद्नुसार जनपदीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में मण्डलीय कृषि मेला एवं रबी फसलों की समीक्षा बैठकों का आयोजन कस्बा कोसी में किये जाने का कथित प्रकरण

13-श्री पूरन प्रकाश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डलीय कृषि मेला एवं रबी फसलों की समीक्षा बैठकों का आयोजन मण्डल के किसी भी जनपद के मुख्यालय पर करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद मथुरा में वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में बैठकों का आयोजन जनपद मथुरा के एक कस्बा कोसी में किया गया था ? यदि हां, तो इसके दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री आनन्द सिंह)

जी नहीं।

मण्डलीय समीक्षा बैठकों का आयोजन मण्डलवार/कई मण्डलों को मिलाकर एक साथ किया जाता है, क्योंकि कई मण्डल एक ही एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अन्तर्गत आते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन स्तर पर होने वाले मेलों का आयोजन संबंधित एग्रोक्लाइमेटिक जोन के

अन्तर्गत किसी भी स्थल पर जो किसानों के भाग लेने हेतु हर तरह से उपयुक्त एवं सुविधाजनक हो, किया जाता है।

वर्ष 2008 में मण्डल स्तरीय उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आगरा, अलीगढ़ एवं कानपुर मण्डलों का आगरा में दिनांक 13-10-2008 को आयोजित किया गया एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अन्तर्गत विराट किसान मेला/प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 12 से 16 अक्टूबर, 2008 तक कोसी (मथुरा) में किया गया तथा वर्ष 2009 में मण्डल स्तरीय उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आगरा, अलीगढ़ एवं मेरठ मण्डलों की दिनांक 26-10-2009 एवं विराट किसान मेला का आयोजन दिनांक 24 से 26 अक्टूबर, 2009 तक कोसी (मथुरा) में किया गया, जबकि वर्ष 2010 में किसान मेला/प्रदर्शनी का आयोजन कोसी (मथुरा) में नहीं किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव मुडिया करोड के अनेकों गाटा संख्या धारकों के कब्जे का विवरण एवं अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

14-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील-बीसलपुर के राजस्व गांव मुडिया करोड़ के अन्तर्गत भूमि संख्या-508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 एवं 517 तथा राजस्व गांव बढैपुरा धारम की भूमि संख्या-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 146, 147, 148, 149 एवं 150 का स्वामित्व एवं वर्तमान समय में कब्जा किसका तथा कब से है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कौन-कौन सी भूमियां गांव सभा/सरकार में निहित हैं ? क्या सरकार गांव सभा/सरकार की भूमियों पर से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम गुडिया करोड के गाटा संख्या-508, 509, 510, 511 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों के नाम दर्ज है, तथा कब्जा खातेदारों का है। गाटा संख्या-512 श्रेणी-5 बंजर दर्ज है, स्वामित्व गाँव सभा का है तथा कब्जा भी गाँव सभा का है । 513, 514, 515, 516, एवं 517 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों का नाम दर्ज तथा कब्जा खातेधारों का है। ग्राम बढैपुरा धारम के गाटा संख्या-100, 101, 102, 103, 104, 105, संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों के नाम दर्ज है तथा कब्जा खातेदारों का है। गाटा संख्या-106 नाला श्रेणी 6 में दर्ज है, मौके पर खाली है। गाटा संख्या-107 क्षेत्रफल 0.417 में से 0.167 हे0 खाली है तथा 0.250 हे0 पर कमरजहां पत्नी अयूब खां नि0 मो0 हबीमुल्ला खां सुमाली बीसलपुर का वर्ष 2007 से अवैध कब्जा है। गाटा संख्या-108 क्षेत्रफल 0.130 हे0 नाला श्रेणी (ग्राम सभा) दर्ज है, जिसमें से 0.047 हे0 खाली है तथा 0.083 पर कमरजहां पत्नी

अयूब खां नि0 मो0 हबीमुल्ला खां सुमाली बीसलपुर का वर्ष 2007 से अवैध कब्जा है, जिस पर पापुलर के 80 पेड़ व 07 पेड़ यूक्लिप्टस के खड़े हैं। गाटा सं0 109 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों के नाम दर्ज है तथा कब्जा खातेदारों का है। गाटा संख्या-146 श्रेणी-5 गांव सभा दर्ज है, जिस पर ध्रुव कुमार पुत्र सोहन लाल का मार्च, 2012 से अवैध कब्जा है। गाटा संख्या-147, 148 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों का नाम दर्ज है तथा कब्जा खातेदारों का है। गाटा संख्या-149 श्रेणी-5 गांव सभा दर्ज है, कब्जा गांव सभा का है। गाटा संख्या-150 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों के नाम दर्ज है तथा कब्जा खातेदारों का है। ग्राम मुडिया करोड के गाटा संख्या-512 व बढैपुरा धारम के गाटा संख्या-106, 107, 108, 146 तथा 149 गांव सभा/सरकार में निहित है।

जी हां। प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि की बिक्री पर रोक को हटाये जाने की मांग

15-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति द्वारा अपनी दादालाई व पट्टे की संक्रमणीय भूमि पर बिना अनुमति के बिक्री पर लगी रोक सम्बन्धी आदेश को हटाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा 157-क एवं धारा 157-कक में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करने के लिये उक्त व्यवस्था की गयी है।

कानपुर के दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज गोविन्द नगर के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति न जमा होने के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री वीरपाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज'' गोविन्द नगर, कानपुर नगर के सामान्य वर्ग के 91 छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2009-10 की छात्रवृत्ति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उनके बैंक खाते में धनराशि कब तक जमा करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, गोविन्दनगर, कानपुर को वित्तीय वर्ष 2009-10 में सामान्य वर्ग के 91 छात्र/छात्राओं के बारे में संबंधित संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित तिथि दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 तक डेटा समय

से विभाग को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण इन छात्र/छात्राओं का डेटा नेट पर अपलोड नहीं किया जा सका। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी।

17-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के प्रमुख महानगरों को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाने की प्रस्तावित योजना

18-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के प्रमुख महानगरों को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या उसमें आगरा महानगर भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 बनाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत आई0टी0सिटी की परिकल्पना भी प्रस्तावित है। इस हेतु प्रमुख महानगरों में आगरा महानगर भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उप कृषि मण्डी समिति की संस्था तथा वर्तमान में बनाने के प्रस्ताव की जानकारी

19-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी उप कृषि मण्डी समिति कार्यरत हैं ? क्या वर्तमान में प्रदेश में उप कृषि उत्पादन मण्डी समिति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

364 उप मण्डियां।

वर्तमान में 03 उप मण्डी स्थल निर्माणाधीन हैं तथा 272 उप मण्डी स्थल निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

भूमि/धन उपलब्ध होने पर निर्माण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आलू बोर्ड गठित करने की मांग

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अन्य राज्यों में स्थापित कॉफी बोर्ड एवं टी-बोर्ड की तरफ प्रदेश में आलू बोर्ड की स्थापना करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

आवश्यकता नहीं है।

विभाग द्वारा कृषकों को उनकी आलू उपज का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से भारत सरकार के सहयोग से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाती है।

शासनादेश संख्या 2840/58-2011-223/2011, दिनांक 26-09-2011 द्वारा मण्डलायुक्त, आगरा एवं कानपुर की अध्यक्षता में मण्डलीय आलू प्रोत्साहन समिति (माप्रोस) का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु कार्य योजना

21-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाई जा रही है यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सहगल समिति की संस्तुतियों के आधार पर समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एक समान (न्यूनतम) पाठ्यक्रम, प्रदेश शासन द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में शोध कक्षाओं में प्रवेश हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण एवं महाविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् (नैक) से मूल्यांकन कराये जाने की प्राथमिकता तय की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी निर्माण की मांग

22-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी न होने से कृषकों को उनकी फसल की पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार केमरी में उप मण्डी का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

टाउन एरिया, केमरी में उप मण्डी घोषित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में राजकीय महाविद्यालय में कतिपय कक्षाओं को प्रारम्भ कराये जाने की मांग

23-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0 की कक्षाओं का संचालन न होने से छात्र उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि जनपद के दूसरे कालेज की दूरी तीस किलोमीटर से भी अधिक है ? यदि हां तो क्या सरकार विलासपुर में राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0 एम0एस0सी0, एम0काम0 की कक्षायें प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नही।

जनपद रामपुर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर एवं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

जी नही।

जी नही।

राजकीय महाविद्यालय, विलासपुर, रामपुर में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ किये जाने हेतु अपेक्षित संसाधन/ अवस्थापना सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जनपद बस्ती एवं गोरखपुर में वर्षवार धान की पैदावार का विवरण

24-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल में वर्षवार कितने मी0 टन धान की पैदावार हुई?

श्री आनन्द सिंह-

वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल में हुए वर्षवार धान की पैदावार का विवरण (हजार मी0 टन में) निम्नवत् है:-

वर्ष	बस्ती मण्डल	गोरखपुर मण्डल
2002-03	313.506	1167.605
2003-04	789.13	1327.34
2004-05	422.255	1004.07
2005-06	667.075	1213.153
2006-07	546.626	1138.834
2007-08	775.281	1205.481

25-श्री संजय कपूर-

[2सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में उद्योगपतियों को विशेष छूट प्रदान करने की नीति निर्धारित का विवरण

26-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा उद्योगपतियों विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने के लिये गुजरात, हिमांचल प्रदेश, महाराष्ट्र की तर्ज पर विशेष छूट देने के सन्दर्भ में क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां,

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को प्रेरित करने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 लागू है, तथा अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2012 प्रक्रियाधीन है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में निम्नलिखित सुविधाएं/छूट दी गयी हैः-

(1) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पूर्वांचल क्षेत्र में रु0 10.00 करोड़ या अधिक (खाद्य एवं प्रसंस्करण इकाइयों हेतु रु0 5.00 करोड़ या अधिक) का पूँजी निवेश करने वाली इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(2) पूर्वांचल क्षेत्र के 29 जनपदों में नई लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट की व्यवस्था तथा मध्यम एवं वृहद् इकाइयों को उनके द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था है।

(3) नई लघु एवं लघुत्तर इकाइयों तथा नई मध्यम या नई वृहद् औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए निस्पादित प्रथम लिखित पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम रुपया 05 हजार के अध्यधीन रुपया 02 प्रति सैकड़ा से रुपया 02 प्रति हजार की छूट प्रदान की गयी है।

(4) मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाइयों को उपभोग या उपयोग के लिए पूँजी माल, संयंत्र मशीनरी एवं अतिरिक्त पुर्जे के स्थानीय क्षेत्र से बाहर किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर के संदाय से 15 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गयी है।

(5) समस्त नई इकाइयों को दस वर्ष की अवधि एवं जिले में स्थापित होने वाली ऐसी पहली इकाई जो पायनियर घोषित की गई हो, को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से 15 वर्ष की अवधि हेतु छूट देने की व्यवस्था की गयी है।

(6) निर्यातकों को उनके द्वारा निर्मित माल में उपयोग या निर्मित माल के पैकिंग में उपयोग के लिए कच्चे माल की सीधी खरीद या उनको सीधी बिक्री पर निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर किये जाने पर वैट से छूट की व्यवस्था की गयी है।

(7) नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों (जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी विनियोजन रु0 10.00 करोड़ या उससे अधिक हो) का कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क से अधिकतम 5 वर्षों के लिए छूट की व्ययस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेन्शन की राशि बढ़ाये जाने की मांग

27-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध नागरिकों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुये क्या सरकार अपने स्तर पर वृद्धावस्था पेन्शन की राशि रु0 1000/- माह करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

28-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[2सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के शीतगृहों की क्षमता तथा उसे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

29-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों के बेहतर रख-रखाव के लिए प्रदेश के शीतगृहों की कितनी मीट्रिक टन की क्षमता है? क्या यह पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कितने मीट्रिक टन की कमी है? इस कमी को कब तक और कैसे सरकार पूरा करेगी?

श्री राजकिशोर सिंह-

वर्तमान में प्रदेश में 1522 शीतगृह कार्यरत हैं जिनकी भण्डारण क्षमता 111.30 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 में लगभग 128.77 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है।

जी नहीं।

प्रदेश के आलू उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 17.00 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के सृजन की आवश्यकता है।

राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत 8 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तावित है।

जनपद पीलीभीत के बीज गोदाम बीसलपुर एवं बिलसण्डा द्वारा कृषकों को बीज वितरण में अनुदान दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

30-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग की जनपद-पीलीभीत की बीज गोदाम बीसलपुर एवं बिलसण्डा द्वारा किस.किस एवं कितने कृषकों को वर्ष 2011 के अन्तर्गत ढैइंचा का बीज तथा वर्ष 2012 में चरी लोबिया एवं हरे चारे का बीच वितरित किया गया? यदि हां, तो क्या ऐसे सभी कृषकों को अुनदान दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आनन्द सिंह-

वर्ष 2011 में जनपद पीलीभीत के राजकीय बीज गोदाम बीसलपुर से 1112 कृषकों को तथा राजकीय बीज गोदाम विलसण्डा से 1112 कृषकों को ढैंचा बीज निःशुल्क प्रदान किया गया। वर्ष 2012 में बीज भण्डार बीसलपुर से 1400 कृषकों को तथा बीज भण्डार बिलसण्डा से 1200 कृषकों को निःशुल्क चरी एवं लोबिया का बीज वितरित किया गया। इससे संबंधित कृषकों की सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

सभी लाभार्थी कृषकों को शतप्रतिशत अनुदान दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर को तहसील बनाये जाने की मांग

31-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बहराइच के वि0ख0 विशेश्वरगंज तथ पयागपुर को मिलाकर पयागपुर तहसील बनायी गयी थी किन्तु बाद में पयागपुर तहसील समाप्त

करके विशेश्वरगंज तथा पयागपुर को सदर तहसील में मिला दिया गया है ? क्या इन ब्लाकों के नागरिको को 70 से 90 किमी0 की दूरी तय करके सदर तहसील जाने में धन व समय दोनों नष्ट करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः पयागपुर को तहसील बनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ,

जी नहीं,

विकास खण्ड विशेश्वरगंज व पयागपुर के अन्तिम राजस्व ग्राम की सदर तहसील से अधिकतम अनुमानित दूरी लगभग 50 कि0मी0 है।

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रस्तावित तहसील पयागपुर में केवल 60 लेखपाल क्षेत्र हैं, जो कि निर्धारित मानक से कम हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

मानक के अनुसार नहीं है।

जनपद बलिया रसड़ा स्थित कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने की मांग

32-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में औद्योगिक क्षेत्र घोषित रसड़ा में स्थित कताई मिल लगभग 15 वर्षो से बन्द पड़ी? यदि हां, तो क्या सरकार उसको चालू कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ। उ0प्र0 औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधनों के अन्तर्गत मिल रसड़ा (बलिया) दिनांक 16-10-2000 से बन्द है।

उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण औद्योगिक रूग्ण कम्पनी (विशेष प्राविधान) अधिनियम, 1985 (सीका) के अन्तर्गत वर्ष 1992 में मा0 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0), नई दिल्ली को संदर्भित की गयी थी, जिसका केस सं0-620/92 है। तदोपरान्त मा0 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0) द्वारा दिनांक 26-11-1992 से कम्पनी को रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया। इसी क्रम में मा0 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0) ने दिनांक

06-05-2008 को मिलों के पुनर्वासन हेतु संशोधित पुनर्वासन योजना आपरेटिंग एजेन्सी के माध्यम से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में नार्दन इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद (निट्रा) द्वारा तैयार की गयी संशोधित पुनर्वासन योजना को दिनांक 21-10-2010 को शासन के अनुमोदनोपरान्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (आपरेटिंग एजेन्सी) को दिनांक 15-11-2010 को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त पुनर्वासन योजना में मिलों को विक्रय कर निजीकरण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी की रसड़ा कताई मिल भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अनेको ब्लाकों में आगजनी से फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

33-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विशेश्वरगंज ब्लाक के खानपुर मल्लोह कुरसहा, कान्धभारी, मझरिया, होलागाड़ा सेमरौना, गनेशपुर, पाठकपुरवा में आगजनी के कारण जिन किसानों की गेहूं व गन्ने की फसल नष्ट हो गई है, को मुआवजा प्रदान करने के लिये प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0प0/ज0हि0/2012-13/ख-एस0नं0-005912/290 दिनांक 23-04-12 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी

जी हाँ।

अग्निकाण्ड में खड़ी फसल जलने पर खलिहान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति के सचिव को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। ग्राम होलागाड़ा सेमरौना, जलालपुर एवं कुरसहा में विद्युत तारों की टकराहट से उत्पन्न चिनगारी से अग्निकांड की घटना की जाँच आख्या की प्रति नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बहराइच को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

34 से 38 तक-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-78 से 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रबुद्धनगर में अनुसूचित जाति की पुत्रियों के विवाह में चयनित व्यक्ति को प्राप्त धनराशि की जानकारी

39-श्री सुरेश राणा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर में अनुसूचित जाति की पुत्रियों के विवाह के लिये वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? उनमें से कितने लोगों को धन प्राप्त हो चुका है तथा कितने शेष है ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद प्रबुद्धनगर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति के पुत्रियों के विवाह हेतु 517 व वित्तीय वर्ष 2011-12 में 635, कुल 1152 लाभार्थियों का चयन हुआ।

कुल चयनित 1152 लाभार्थियों में से 1127 लाभार्थियों को अनुदान राशि उनके बैंक खाते में हस्तानान्तरित कर दी गयी है। वर्ष 2011-12 में 25 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण अवशेष है। अवशेष प्रकरणों का निस्तारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर दिया जायेगा।

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर की चल-अचल सम्पत्ति तथा इसमें कार्यरत सेवादारों की सुविधाओं में वृद्धि की मांग

40-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की चल-अचल सम्पत्ति कितनी है तथा इससे दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार मंदिर में कार्यरत सभी सेवादारों के वेतन सहित अन्य सुविधाओं की वृद्धि पर विचार करेगी ? यदि नही ? तो क्यों ?

श्री आनन्द सिंह-

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के पास चल-अचल सम्पत्ति के रूप में भूमि, भवन तथा अन्य बहुमूल्य सामग्रियां हैं। चल व अचल सम्पत्ति के रूप में मन्दिर के पास क्रमशः रु0 30,86,83,601.11 व रु0 14,87,37,735.48 की सम्पत्ति है।

दर्शनार्थियों की सुविधा के लिये मंदिर परिसर का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पेयजल एवं समुचित प्रकाश आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। पूरे मंदिर परिसर में पर्याप्त मात्रा में पंखे लगाये गये हैं तथा पूजा अर्चना एवं आरती को देखने के लिये टी0वी0 सेट लगे हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पूरा मंदिर सी0सी0टी0वी0 कैमरे से आच्छादित किया गया है। मंदिर की साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं।

मंदिर स्टाफ के अन्तर्गत कार्यालय सहायक, अर्चक व सेवादार सम्मिलित हैं, जिन्हें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद् द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रतिमाह किया

जाता है। समय-समय पर मा0 न्यास परिषद् द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में मंदिर स्टाफ के मानदेय में वृद्धि होती रहती है।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री महन्त घनश्याम गिरि तथा कन्हैया लाल के निधन पर शोकोद्गार

(श्री श्याम देव राय चौधरी सहित विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब निधन का निर्देश है। इस पर तो गंभीर होइये। बैठिये। चौधरी साहब बैठ जाइये। अब आप बहुत जिद कर रहे हैं। निधन का निर्देश हो जाने दीजिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य महन्त घनश्याम गिरि का 25 सितम्बर, 2011 को निधन हो गया। महन्त घनश्याम गिरि वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार-देहरादून से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। महन्त घनश्याम गिरि एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। महन्त घनश्याम गिरि के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कन्हैया लाल का 06 फरवरी, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे। श्री कन्हैया लाल का जन्म 01 अगस्त, 1918 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कन्हैया लाल वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, जिला मथुरा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन(अ0जा0), जिला मथुरा से पुनः कांग्रेस पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन (अ0जा0), जिला मथुरा से लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कन्हैया लाल ने बी0एन0 पोद्दार स्कूल में अध्यापन किया था। वे नगर पालिका परिषद्, मथुरा के उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् मथुरा के सदस्य भी रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक, मथुरा के संचालक, जिला कांग्रेस कमेटी, मथुरा के अध्यक्ष तथा जिला दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें कृषि, देशाटन, पठन-पाठन तथा विज्ञान में रुचि थी। श्री कन्हैया लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

मैं इस सदन की व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों को पहुँचा दूँगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

जनपद बुलन्दशहर में रोडवेज की बस और टाटा-407 में हुई टक्कर से मृत व्यक्तियों एवं घायलों को मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता एवं उपचार की व्यवस्था कराये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल के दौरान तो यह नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्य जी, आप माननीय नेता विरोधी दल हैं, आप कभी भी हस्तक्षेप कर दें, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसीलिए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह चूँकि मानवीय संवेदना से परिपूर्ण मामला है। बुलन्दशहर जनपद में थाना सिकन्दराबाद में मुकुन्दगढ़ी गांव है। मान्यवर, आज एक मृतक परिवार का एक आदमी अपनी माँ के दाह संस्कार के लिए गंगा घाट पर गया था और गंगा घाट से लौटते वक्त टाटा-407 रोडवेज की बस से टकरा गई, जिसमें 20 लोग मर गये तथा 25 लोग घायल हो गये हैं और जिलाधिकारी ने कुछ घायलों को मेरठ मेडिकल में भेजा भी है, कुछ को ट्रामा सेण्टर दिल्ली भेजा है। चूँकि यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है, इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुग्रह पूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी अपने कोष से उन मृतक परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता दे दें और घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था करा दें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधीदल ने बहुत गम्भीर सवाल उठाया है और यह घटना भी बहुत गम्भीर है। समाजवादी सरकार जब से बनी है तो आप जानते होंगे, ऐसी घटनाओं पर सरकार की तरफ से जो सहयोग और मद्द होती है वह करते आये हैं और इस प्रकरण को भी दिखवा कर पूरी मद्द की जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रश्न काल चल रहा था और मा0 सदस्य के प्रश्न का उत्तर भी पूरा नहीं हुआ था और निधन के निर्देश आपने लिया, आपने निर्देश दिया कि मैं निधन के निर्देश ले रहा हूँ आप लोग बैठ जाइये। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है, कृपा कर के कार्यवाही दिखवा लीजिए एक प्रश्न भले हो, लेकिन आपके द्वारा सदन में यह घोषणा नहीं की गई कि प्रश्नकाल समाप्त। यदि प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा पीठ के द्वारा नहीं की गई है तो फिर प्रश्नकाल समाप्त नहीं हैं।

अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 301 की सूचनाएँ ले रहा हूँ। आज दिनाँक 31 मई, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें 17 सूचनायें स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद प्रबुद्धनगर की कैराना तहसील में नलों से प्रदूषित एवं लाल बदबूदार पानी से गांव के लोगों में विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत गांगी नदी व बेसो नदी पर पुल निर्माण कराए जाने के संबंध में है,

तीसरी सूचना श्री यासर शाह की बहराइच जिले में 15 दिन पहले जायरीनों से भरी बस में आग लग जाने से 20 लोगों के मरने तथा अग्निशमन के साधन बहुत ही सीमित होने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर फ्लोराइड एवं लवण की अधिक मात्रा होने के कारण पेय जल पूरी तरह दूषित होने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के आंवला नगर को रोडवेज परिवहन डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में है, वह अनुपस्थित हैं, छठी सूचना श्री बजंरग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधान सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती न किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी के 22 छोटे बड़े गन्दे नालों का मलयुक्त पानी सीधे गंगा नदी में गिराने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद प्रबुद्धनगर में औद्योगिक इकाईयों से उत्सर्जित होने वाला गंदा पानी के प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां फैलने एवं पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद शहर में रामनगर स्थित पार्क के चारों तरफ तथा

जोड़ने वाली सड़कों की जर्जर हालत के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना अनूप कुमार गुप्ता की नगर पंचायत महोली सीतापुर में पेयजल के संकट के सम्बन्ध में है, (वह अनुपस्थित हैं) ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना राजेश त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत ग्राम खखई चघौर निवासी श्री सुशील शुक्ला को फर्जी रूप से मुकदमे में फंसाए जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डा0 धर्मसिंह सैनी की नकुड़ विधान सभा क्षेत्र जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सरसावां के अन्तर्गत जमुना नदी के किनारे पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में है (वह अनुपस्थित हैं) चौदहवीं सूचना श्री सुशील सिंह की विधान सभा क्षेत्र सकल डीहा में समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध है, पन्द्रहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनीं मिलों को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की जनपद गोण्डा स्थित दतौली चीनीं मिल से हो रहे दूषित जल प्रवाह के कारण हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की इन्दिरानगर लखनऊ के सेक्टर-22 में दबंगों द्वारा पार्कों एवं सरकारी गोदामों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में हैं (वह अनुपस्थित हैं।)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गई :-

1-श्री मनबोध प्रसाद,

2-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

3-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

4-श्रीमती विमला सोलंकी,

5-श्री भगवती प्रसाद,

6-श्री त्रिलोकी राम,

7-श्री ललितेश मणि त्रिपाठी,

8-श्री छोटेलाल वर्मा,

9-श्री रमेश चन्द्र,

10-श्री जय प्रकाश निषाद,

11-श्री रामहेत भारती,

12-श्री सूरजपाल सिंह,

13-श्री रामलाल अकेला,

14-श्री भीम प्रसाद सोनकर तथा

15-श्री राकेश बाबू

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद प्रबुद्धनगर की कैराना तहसील में नालों से प्रदूषित एवं लाल बदबूदार पानी से गांव के लोगों में विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री हुकुम सिंह-

[महोदय,

यमुना नदी का पौराणिक महत्व है परन्तु कुछ समय से नदी के पास लगे उद्योगों ने जल को प्रदूषित किया है उससे आसपास बसे गांव की पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गयी है। जनपद प्रबुद्धनगर की कैराना तहसील के गांव भड़ी, चौसाना, बसेड़ा पठेर, खुरगान में लगे इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का पानी मैंने स्वयं भी जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम को ले जाकर दिखाया सभी नालों से प्रदूषित पानी जिसका रंग कुछ-कुछ हल्का लाल तथा बदबूदार था। इन समस्त गांवों की जनसंख्या विभिन्न रोगों से ग्रसित हो चुकी है। पानी के नमूने भी भरवायें गये हैं परन्तु जब तक वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था नहीं होती तब तक नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा। वर्तमान में यह महामारी का रूप धारण कर चुका हैं।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत गांगी नदी व बेसों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ के बारे में अवगत कराना पड़ रहा है कि मेरी विधान सभा दो नदियों से घिरी हुई है। यह नदियां गांगी नदी और बेसो नदी बारिश में या जब नदी में पानी आ जाता है तो तीनों पुल न बनने से लगभग सैकड़ों गांवों के लोगों को 30-40 किमी0 घूम कर आना पड़ता है। इसलिए तीनों पुलों का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। पूर्व में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जो इस विधान सभा क्षेत्र के एम0एल0ए0 थे तीन-तीन बार घोषणा करने के बाद भी उन्होंने इन तीनों पुलों का निर्माण नहीं कराया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इन तीनों पुलों की स्वीकृति प्रदान करने की महती कृपा की जाय।

1-ग्राम सभा करिया गोपालपुर, उत्तर पुरवा यादव बस्ती के उत्तर तरफ से मूलचन्द यादव जय गुरूदेव के खेत से दक्षिण तरफ गांगी नदी पर पुल का निर्माण इससे लगभग 50 गांवों को लाभ मिलेगा।

2-ग्राम सभा कलीचाबाद और चेबार पूरब के बीच में गांगी नदी पर पुल का निर्माण जो लगभग 60 गांवों को जोड़ता है।

3-ग्राम सभा कम्मरपुर पसिका यादव राजभर बस्ती के पास बेसो नदी पर पुल का निर्माण का कार्य जो लगभग 40 गांवों को जोड़ता है।]

बहराइच जिले में 15 दिन पहले जायरीनों से भरी बस मे आग लग जाने से 20 लोगों के मरने तथा अग्निशमन के साधन बहुत ही सीमित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यासर शाह-

[महोदय,

मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम में पूरे प्रदेश को भीषण अग्निकांडों से गुजरना पड़ता है। मेरे अपने जिले बहराइच में 15 दिन पहले जायरीनों से भरी बस में आग लग गयी जिसमें 20 लोग मर गये, बड़ी दुखद घटना रही है तथा इसके चार दिन बाद ही ग्राम अशरफा बजरिया में आगजनी काण्ड में छः लोग मारे गये। अग्निकांड की स्थिति इतनी भयावह थी एक-एक दिन 20-25 जगह आग लगती है जिसके लिए अग्निशमन के साधन बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। पूरे जिले के लिए केवल तीन अग्निशमन की गाड़ियां उपलब्ध हैं, जो उपलब्ध भी है रख-रखाव के अभाव में उन पर कोई भरोसा नहीं है। समस्त प्रकरण केवल जनपद बहराइच के लिए ही नहीं है यह पूरे प्रदेश की समस्या है। पूरे प्रदेश को यह समस्या गर्मी के दिनों में झेलनी पड़ती है।

अतः मैं चाहूँगा कि इस लोक महत्व एवं जनहित के बिन्दु पर भीषण आगजनी काण्ड से निपटने हेतु पूरे प्रदेश में ब्लाक स्तर पर एक-एक अग्निशमन गाड़ी तथा अग्निशमन विभाग को अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रों से लैस किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।']

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर फ्लोराइड एवं लवण की अधिक मात्रा होने के कारण पेयजल पूरी तरह दूषित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[पानी के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसीलिये कहा गया है कि 'जल ही जीवन है'। जड़ से लेकर चेतन तक सभी के जीवन का आधार पानी पर निर्भर करता है, चाहे मानव हो, पशु-पक्षी हों, अथवा पेड़ पौधे हों, पानी सभी के लिये परम आवश्यक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निम्नांकित स्थानों पर फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित हो गया है, जिसके कारण पेयजल पीने के योग्य नहीं रह गया है। चूँकि सई नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। अतः मानव तो क्या पशुओं के पीने के योग्य भी नदी का पानी नहीं रह गया है। सई नदी का समीपवर्ती क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लेबल (भूमिगत जल स्तर) भी काफी नीचे है, अतः हैण्ड पाईपों एवं कुओं द्वारा पीने के लिये पानी नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में पेयजल में ऐसे हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। चूँकि पेयजल में हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद है, अतः मात्र वाटर सप्लाई के माध्यम से ही पेयजल सुलभ हो सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की लगभग एक लाख की आबादी पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझ रही है- जनहित में **चाहिन-समसपुर-दर्रा, कलापुर- रोहाड़ा- सोहागपुर, अमावॉ, दलापट्टी इटैला, उदयपुर, थरिया, रामगंज बाजार, नौढ़िया एवं हिसामपुर धनाटिकरिया** आदि में ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है जिससे पेयजल की समस्या से परेशान क्षेत्रीय जनता को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। पेयजल की गम्भीर समस्या के कारण इस क्षेत्र की जनता में घोर निराशा, चिन्ता एवं कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधान सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा जनपद महराजगंज के अन्तर्गत बृजमनगंज में एक सामुदायिक अस्पताल का भवन बनकर तैयार है, परन्तु उसमें डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ तथा उपकरणों की व्यवस्था अभी तक न होने से इस क्षेत्र के निवासी स्वास्थ्य लाभ से वंचित हो रहे हैं। सरकार द्वारा क्षेत्र के नागरिकों की चिकित्सा सुविधा के लिए उक्त अस्पताल का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण कराया गया है, परन्तु अस्पताल का निर्माण हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक उसमें डाक्टर व अन्य स्टाफ एवं उपकरण की व्यवस्था शासन द्वारा न किये जाने के कारण क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के निवासियों को अस्पताल होते हुए भी इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र की जनता निराश एवं परेशान है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बृजमनगंज सामुदायिक अस्पताल में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ तैनाती कराकर संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

वाराणसी के 22 छोटे गन्दे नालों का मलयुक्त पानी सीधे गंगा नदी में गिराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय, सर्वविदित है कि माँ गंगा का हिन्दू जनमानस में जन्म लेने से मरने तक अत्यन्त महत्वपूर्ण और श्रद्धा तथा विश्वास का स्थान है। लेकिन अत्यन्त दुःख और खेद का विषय है कि गंगा नदी के पानी की अविरलता, पवित्रता और निर्मलता में लगातार गिरावट आती जा रही है जिससे आस्था रखने वालों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। काशी में उक्त के विरुद्ध कई सन्तजन आमरण उपवास पर हैं जिनकी स्थिति लगातार गम्भीर होती जा रही है और केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। उक्त गंगा नदी में रसायनयुक्त पानी तथा अनेकों प्रकार के कचरे गिर रहे हैं। यह बहुत ही खेद का विषय है कि आज भी कोई भी घाटों का निरीक्षण करें तो देख सकता है कि लगभग 22 नालों का गन्दा मलयुक्त सीवर का पानी लगातार गंगा नदी में गिर रहे हैं जिससे गंगा नदी का पानी बिल्कुल काला पड़ता जा रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार आचमन के लायक भी नहीं रह गया है जो घोर चिन्ता का विषय है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से अविलम्ब गंदे नालों को गंगा नदी में गिरने से रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रबुद्धनगर में औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होने वाला गन्दा पानी के प्रदूषण के कारण गम्भीर बीमारियां फैलने एवं पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन जनपद प्रबुद्धनगर के मध्य से कृष्णा नदी होकर गुजरती है जिसमें आसपास के सभी औद्योगिक इकाईयों से गंदा जहरीला पानी नदी में

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ही डाला जाता है। औद्योगिक इकाईयों से उत्सर्जित होने वाला पानी गंदा तो होता ही है साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार के जहरीले रसायन मिले होने के कारण वह पानी को दूषित भी कर रहा है। जिस कारण नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। कृष्णा नदी का पानी पीने से विभिन्न प्रकार की गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं। लोग लीवर, गुर्दा आदि की बीमारी से कई लोगों की जान भी चली गयी है। प्रदूषित पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनहित में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पानी की टंकियां बनाया जाना आवश्यक है। पानी की टंकी निर्माण होने के बाद स्थानीय जनता को नदी का पानी पीने से निजात मिल जायेगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए थानाभवन में कृष्णा नदी के किनारे बसे गांवों में पीने के पानी हेतु टंकियों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद शहर में रामनगर स्थित पार्क के चारों तरफ तथा जोड़ने वाली सड़कों की जर्जर हालत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री सुरेश बंसल-

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद में रामनगर स्थित पार्क के चारों तरफ सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं तथा उनको जोड़ने वाली सड़कें जिनसे वहां की जनता शहर को निकलती है, पर रिक्शे तक चलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वहां के निवासियों में जन आक्रोश है।

अतः आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से जनहित में सड़कों के निर्माण कराये जाने का अनुरोध करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अन्तर्गत रपटुआ नाले पर एक छोटा पुल स्वीकृत हुआ है जिसे कि लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता (सड़क एवं पुल) श्री एस0के0 गर्ग मात्र एक गांव रायपुर को लाभान्वित करने की दृष्टि से राजनैतिक प्रभाव में गांव रायपुर के पास रपटुआ नाले पर बनाना चाहते हैं। यहीं पर एक अन्य गंदे नाले का पानी रपटुआ नाले में गिरता है। परिणामतः स्वीकृत पुल के अतिरिक्त एक अन्य पुलिया बनानी होगी तभी गांव रायपुर के नागरिक पुल का लाभ उठा सकेंगे। यहां पर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भूमि का स्तर भी अत्यन्त निचला है जबकि गांव रायपुर सहित गांव रसिया खानपुर, लुहिचा, मीरपुर गिरंद, बौनी, करनपुर लायकराम, अदिलाबाद बीसलपुर, भदेरी, भदारा, खनका उचसिया, रोहनियां कर्मापुर माफी, शिवपुरी नवदिया, मलूकापुर, बैदखेड़ा, मानपुर मरौरी, इमिलिया मरौरी, बैरा, लाड़पुर, खरगपुर कला, कैथुलिया, बिहारीपुर कुमिरखा, सफौरा, चठिया सेवाराम एवं गुलेंदा गोटिया आदि ग्रामों को उक्त पुल के उपयोग से वंचित किया जा रहा है। इन गांवों के लाभ के लिए गांव बौनी एवं रायपुर के मध्य रपटुआ नाले पर कथित पुल बनना उपयुक्त होगा ताकि इन सभी गांवों के नागरिक नगर बीसलपुर आ जा सकें। यहां पर भूमि की सतह भी ऊंची है। ज्ञातव्य हो कि उक्त अभियन्ता पूर्व राज्य मंत्री उ0प्र0 शासन मा0 अनीस अहमद उर्फ फूलबाबू के विधान मंडल विकास निधि के विनियोजन में कमीशन खोरी के लिए चर्चित रहा है। इसलिए वह उक्त अनीस अहमद के प्रभाव में अनुपयुक्त पुल का निर्माण कराना चाहता है ताकि मेरा उचित सुझाव निर्मूल हो सके।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कथित पुल का निर्माण मेरे सुझाव के अनुरूप उपर्युक्त स्थान पर सुनिश्चित कराने की मांग करता हूँ ताकि अधिक से अधिक जनता लाभान्वित हो सके।]

विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत ग्राम खखाई चखोर निवासी श्री सुशील शुक्ला को फर्जी रूप से मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री राजेश त्रिपाठी-

[संज्ञान में लाना है कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के विकास खण्ड-गगहा के अन्तर्गत ग्राम खखाइचखोर, थाना-बड़हलगंज के निवासी श्री बलिराम यादव जो कि वर्तमान समय अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। उन्हें ग्राम की प्रधानी और कोटे की राजनीति के कारण रंजिशन थाना-बड़हलगंज के मु0अ0सं0-70/12अ0 धारा-302, 506 आई0पी0सी0 तथा थाना-झंगहा के मु0 अ0सं0-114/12 में फर्जी फंसाया जा रहा है, उनके साथ में श्री सुशील शुक्ला को फर्जी रूप से उक्त वादों में फसाया जा रहा है जबकि उक्त वादों से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। उक्त वादों की निष्पक्ष जाँच हेतु उच्च अधिकारियों एवं शासन से इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 जॉच कराये जाने का अनुरोध भी किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जाँच हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जॉच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने की भी माँग करता हूँ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री सुशील सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 381-सकलडीहा जनपद-चन्दौली में विद्युत आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति केवल 7 घण्टे हो रही है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण जनता को इस भीषण गर्मी में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जबकि शासनादेश ग्रामीण क्षेत्र में 14 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अगल-बगल जनपदों में 14 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की मांग करता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय के ध्यानाकर्षण सूचना पर मा0 मंत्री जी के वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री पुर्णमासी देहाती-

[मान्यवर,मैं, अतिलोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई लक्ष्मीगंज व रामकोला, छितौनी व पिपराइच जनपद गोरखपुर बसपा शासन काल में बन्द कर दिया गया जिससे हजारों मजदूर व लाखों किसान इससे प्रभावित हुए हैं जिससे भुखमरी की स्थिति तथा किसानों का अपना गन्ना दूसरे चीनी मिल को देना पड़ता है जिससे काफी कठिनाई होती है जनहित में बन्द चीनी मिलों को चलाया जाना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त चानी मिलों को तत्काल चलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा स्थित दलौली चीनी मिल से हो रहे दूषित जल प्रवाह के कारण हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

[महोद्य, आपका ध्यान जनपद-गोण्डा के दतौली चीनी मिल (मनकापुर) की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दतौली चीनी मिल के स्थापित होने के बाद वहाँ के आसपास के रहने वालों

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का जीवन इतना दुर्लभ हो गया है कि लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं इस मिल के कारण इतनी गन्दगी हो रही है कि जिसके कारण मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाने से जनता त्रस्त है और तो और सांस लेना भी दूभर हो गया है। खाना पकाना व खाना दोनों ही कठिन हैं मिल का गन्दा पानी बिसुही नदी में गिराने से नदी की मछलियाँ मर रही हैं। जानवर पानी पीकर बीमार पड़ जाते हैं। मक्खी मच्छर का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है और सांस के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है अतः इस मिल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना समुचित होगा कि अपने गन्दे पानी का बहाव नदी में न करके मिल स्वयं इसकी व्यवस्था करें। समस्त प्रकरण जनहित से जुड़ा है।

अतः आपके माध्यम से जनहित के मामले को सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करती हूँ कि मिल के विरुद्ध कार्यवाही किया जाय तथा उसके गन्दे पानी का बहाव बिसुही नदी में न करने हेतु आदेशित किये जाने की माँग करती हूँ।]

आज की कार्यसूची में एक ही तारांकित प्रश्न होने के कारण प्रश्नकाल के पूरे समय का सदुपयोग न हो पाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, आपकी भी इच्छा है, सरकार की भी इच्छा है कि यह सदन चले और सदन के अन्तर्गत मान्यवर, अधिक से अधिक जनहित की समस्यायें जो जनता से सम्बन्धित हैं, उन्हें उठायें।

मान्यवर, जब प्रश्न काल होता है तो निश्चित रूप से आपके संरक्षण में विपक्ष का बहुत बड़ा अधिकार है कि हम उसका उपयोग करके अपनी बातों को उठायें और उसका लाभ जनता तक पहुंचे सरकार के माध्यम से। मान्यवर, आज का एक मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप आज की कार्यसूची देखे। मान्यवर, आज की कार्यसूची में नत्थी-(क) के अन्तर्गत केवल एक ही तारांकित प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे सम्मानित सदस्य हैं, चाहे इधर के हो, चाहे उधर के हो, उन्होंने अपने प्रश्न मान्यवर, लगाये होंगे, चाहे अल्पसूचित तारांकित में लगाये होंगे या अतारांकित में लगाये होंगे। मान्यवर, अभी विधान सभा शुरू हुयी है और हमारे पास इस बात का अवसर है कि 11 बजे से लेकर 12.20 बजे तक हम उसका लाभ उठा सकें। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपापूर्वक इस बात को दिखवा लें ताकि अधिक से अधिक प्रश्न उठें तो हम उसका लाभ उठा सकें। यह बात मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण है और आपके संरक्षण में मान्यवर, और आप भी चाहते हैं। आपके चाहने के बाद भी अगर सारी की सारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यसूची इस तरह से आयेगी। मान्यवर, हम लोग इसमें ढूंढते हैं, सुबेरे से जागते हैं हम इंतजार करते हैं कि कार्यसूची आयेगी, हमारा प्रश्न उसमें होगा।

मान्यवर, उसके बाद जब निराशा हाथ लगती है, केवल एक ही प्रश्न लिया गया है। मान्यवर, मुझे इसको बहुत विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है, आप की भी इच्छा है और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की भी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को पूरा कौन करेगा मान्यवर, उसे पूरा आप ही के संरक्षण में आप ही को करना है मान्यवर, एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ, साथ में मान्यवर, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका जिस समय उत्तर आता है या अस्वीकार होते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उसका उत्तर अंकित नहीं होता है। मैं आपके संज्ञान में आपको लिखकर भिजवा दूँगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ और अगर हो जाएगी तो मान्यवर, वह बहुत ही निरविकार रूप से है, उसमें किसी की कोई हानि नहीं है, पर यह सदन अपने दायित्व का निर्वाह कर देगा। मान्यवर, कल एक महत्वपूर्ण दिन था, भारत के ग्रैड मास्टर विश्वनाथन आनंद.....

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, पहले इनका उत्तर तो दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप उत्तर दे दीजिए, उसके बाद कहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना साहब, आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है, अभी यह नई विधान सभा प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूँ कि यह सोलहवीं विधान सभा का तीसरा उपवेशन है। दिक्कत यह है कि नए सदस्य है, प्रश्न तो अतारांकित बहुत हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया यह नहीं समझ पाते कि कैसे करें कि यह तारांकित हो जाए। हम इसको दिखवाते हैं और इसीलिए प्रशिक्षण में भी कहा गया था कि इनको इस तरह से प्रश्न लगाना चाहिए। प्रश्न नियमावली के अंतर्गत नियमों के अंतर्गत आते हैं और उन नियमों के अंतर्गत अगर तारांकित नहीं बनता है, तो आप तो खुद मंत्री रहे हैं, आप जानते हैं कि कैसे आते हैं। तो कैसे होगा लेकिन इसमें यह हो सकता है कि अपने-अपने दल के मा0 सदस्यों को मीटिंग करके बता दें कि प्रश्न ऐसे-ऐसे पूछे, जिससे वह नियमों में आ जाये तो उसे तारांकित में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। किन्तु आज ऐसा नही था, इसलिए नहीं हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-110 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव लाने के प्रयास पर आपत्ति

श्री प्रमोद तिवारी-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली...

श्री अध्यक्ष-

ये जो आपका है, इस पर अभी आप बैठ जाएं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक बात हो जाए उसके बाद आप.....

श्री अध्यक्ष-

मैं समझ गया था कि आप नियम-110 में कहना चाहते हैं, मैं अनुज्ञा दूँगा तभी न कहेंगे, अभी आप बैठ जाइए, उस पर हम सभी नेताओं से बात करके तब कुछ कहेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप बैठ जाइए, मेरा भी कुछ कहना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

हम बैठकर बोल नहीं सकते मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि विश्व नाथ आनंद पाँचवी बार ग्रैडस्लैम जीते हैं। इसके लिए उन्हें सदन बधाई दे इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री जी खड़ें हैं नियम-300 ले लेने दीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में भी जो बात होती है, हम उसका सम्मान करते है। आपकी तरफ से अगर कोई टेलीफोन आता है, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। आप किसी से कोई संदेश भेजते हैं, हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि इस परिसर में मा0 अध्यक्ष जी इस पीठ का सम्मान सिर्फ यही बैठकर नहीं है हर जगह है। जिस विषय को मा0 प्रमोद तिवारी जी ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी कहाँ उठाया है, उठाना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

देखिए, विषय उठ गया है और रिकार्ड पर आ गया है। जो बात हमारे आपके बीच हुई थी, वह बात और थी और वही बात मा0 तिवारी जी से भी आपकी हुई होगी तो या तो हमारे और आपके बीच ये तय हो जाने के बीच यह तय हो जाना चाहिए कि बात होने के बावजूद भी हम उसका सम्मान नहीं करेंगे और सिर्फ रिकार्ड पर लाने के लिए इस सम्मानित पीठ के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। जब एक बात आपके, हमारे और प्रमोद तिवारी जी के बीच तय हो गयी थी तो मान्यवर, उस इश्यू को यहाँ उठाना नहीं चाहिए था इस अंदाज से, और मेरे ख्याल से यह बात भविष्य के लिए भी अच्छी नहीं है। हम किसी दूसरे ढंग से अपनी बात को लाकर रिकार्ड पर लें आएं और सरकार को कार्नर कर दें, मेरे ख्याल से यह बात ठीक नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, आपसे मेरी बात हुई थी। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी बात की थी, सब लोग सहमत थे। इनको इसीलिए इसमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, कि सर्वसम्मति से बात हो जाए तब कुछ होगा। वे केवल खड़े हुए थे, प्रस्ताव तो रख नहीं पाए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आप कार्यवाही देखिए, कार्यवाही में पूरी बात आ गई हैं। अब कोई जरूरत ही नहीं है किसी रेजूलूशन को लाने की, अब क्या जरूरत है? अब तो हो गया काम, अब क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसीलिए तो उनको मना कर दिया। कह दिया कि यह प्रस्ताव नहीं आएगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कार्यवाही में भी आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं देख लूँगा, अगर है तो मैं तो उसे निकाल कर फिर से सब से सर्वसम्मति से बात करके तब बनाऊँगा। आप बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह मेरी पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, कोई मा0 सदस्य अपनी बात कहने लगे तो मैं उसमें उन्हें रोक ही तो सकता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नहीं मान्यवर, यह ब्रीच आफ ट्रस्ट है। यह कोई अच्छी परिपाटी नहीं है कि आपके और सरकार के बीच बात हो जाने के बावजूद रिकार्ड पर ले आया जाए उस चीज को घुमा कर। मान्यवर, यह समझदारियाँ तो औरों में भी हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इनका यह प्रस्ताव तो बिना किसी सूचना के भी 110 में कभी कोई सदस्य कोई प्रस्ताव रख सकता है।

आपने भी कहा, माननीय नेता विरोधीदल से मैंने बात किया कि जो भी प्रस्ताव जाय सर्वसम्मति से जाय उन्होंने एक नोटिस भेजी और उस पर हमारी बात आपसे हुई, इनसे बात हुई आपने भी बात की उसी के तहत उनको मैंने मना किया कि आप नहीं रखेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्षमा के साथ सदन बहस के लिए है, बहस के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि बहस के लिए नहीं है लेकिन कैसी बहस, ऐसी बहस जिसमें ब्रीच आफ ट्रस्ट हो, जिसमें हमारे आपके बीच जो बात तय हो जाय और कुछ माननीय सदस्य के बीच में तय हो जाय उस बात पर अमल न किया जाय और सिर्फ इसलिए कि रिकार्ड पर हमारी बात आ जाय और कल अखबार में छप जाय और हम अपनी पार्टी को दिखा दें कि साहब हमने यह इश्यू उठाया और सरकार सोती रही, सरकार तो नहीं सो रही है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह हल्की बात है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के बीच में, न नेता विरोधी दल के बीच में क्या बात हुई। माननीय नेता विरोधी दल यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइये मेरी कोई बात हुई हो, संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें मेरी कोई बात हुई हो, आप बता दें मेरी कोई बात हुई हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सुनिये, मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए। जो मैंने दिया है वापस लेता हूँ। सुनिये मान्यवर, इस सदन की गरिमा को देखते हुए मैं स्वयं वापस लेता हूँ। आप जैसा उचित समझें करें लेकिन यह बात रिकार्ड पर आ जानी

चाहिए कि आपसे और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के बीच में जो बात हुई प्रमोद तिवारी को नहीं मालूम।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

लेकिन मान्यवर, यह बातें वह हैं जिनसे सदन प्रभावित होता है, हमारी आपकी बात हुई, पूरे सदन को गवाह बनाकर कहते हैं कि बात हुई और माननीय प्रमोद तिवारी जी के इस इश्यू पर ही हुई और मेरा आपकी तरफ से यह आश्वासन भी हुआ कि किस तरह से पेश करेंगे अब यह कहना कि इसे विवादित न करें तो विवादित तो हो गया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, नियमावली में प्राविधान है 110 में, कोई भी मा0 सदस्य किसी प्रकार का प्रस्ताव उसमें नियम बना हुआ है कि कौन-कौन सा प्रस्ताव बिना सूचना के भी ला सकता है, यदि अध्यक्ष की अनुज्ञा हो, मैंने उनको अनुज्ञा दी ही नहीं, तो प्रस्ताव कहां से आया, अभी तो अनुज्ञा दी ही नहीं प्रस्ताव आया नहीं, न ही यह प्रस्ताव माना जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह रिकार्ड पर आ गया, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

हम दिखवा लेंगे।

*श्री कलराज मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रमोद जी ने कुछ बात रखने की कोशिश की लेकिन आपने उनको आज्ञा नहीं दी वह बैठ गये माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को पता रहा होगा। उन्होंने आपसे चर्चा की और जो वाद विवाद चला है इससे लगता है कि सदन में चर्चा हो रही है। यह वाद विवाद जो चला है इससे लगता है कि कोई गम्भीर मामला है और इसलिए उस बात को सदन के सामने रखना चाहिए। सदन में चर्चा हो रही है और सदन के अन्दर इस प्रकार की गोपनीयता रखना ठीक नहीं है। इसमें मैं आपसे चाहता हूँ कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों का संरक्षण रखते हुए इस बात को निश्चित रूप से सदन के बीच में आना चाहिए कि आखिर वार्ता क्या हुई है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बहुत गम्भीर होकर आपसे वार्ता कर रहे हैं और आप भी उसी रूप में उत्तर दे रहे हैं, माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं हैं उसमें यह भी बात आ रही है कि नेता विरोधी दल और आप और इनके बीच में चर्चा हुई है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो सदन के संज्ञान में नहीं आनी चाहिए। यह सदन के संज्ञान में बात रखी जाय यह मैं अनुरोध करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इस विषय में मैं केवल इतना अनुरोध करूँगा, स्थिति आप अपने स्तर से ही स्पष्ट करें जिससे कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति सदन में न बने। क्योंकि जो प्रस्ताव आना है वह कल आयेगा यह अपने स्तर से आप सूचना दे दें। इस पर किसी प्रकार का विवाद का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इस पर कोई बात नहीं है, नियम 110 के अन्तर्गत कोई भी किसी प्रकार का प्रस्ताव, बधाई संदेश टाइप या किसी प्रकार का शोक प्रस्ताव, किसी प्रकार का इस नियमावली में लिखा है इतने प्रस्ताव लाये जा सकते हैं।

और वह सदन के अध्यक्ष की अनुज्ञा से उठाये जा सकते हैं तो एक कोई सूचना आई, हालांकि उसे लिखित देने की जरूरत नहीं थी, कोई भी आदमी खड़ा होकर कह सकता था कि यह सूचना दे रहा हूँ। अध्यक्ष अगर अनुज्ञा नहीं देते तो नहीं आता। माननीय तिवारी जी कोई प्रस्ताव रखना चाहते थे, बधाई का था, क्या था, उसकी मैंने अनुज्ञा नहीं दी। क्योंकि मैं इस विषय में चाहता था कि विवाद न हो और सभी नेताओं से बात करके सर्वसम्मति से, पूरी सहमति से इसे पास किया जाये। इसीलिये मैंने उनको रोका और सब नेताओं की बैठक कराकर जो उचित होगा, वह किया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में कोई इस प्रकार की बात करनी है तो यदि इस पर चर्चा हो ही रही है तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रस्ताव रख दें ताकि इसी समय वह भी हो जाये।

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

(बैठे हुये) आपसे वार्ता के बाद हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद दलीय नेताओं की बैठक कराकर इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 मई, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की जिला योजना समितियों की बैठकें निष्प्रभावी होने के कारण जनप्रतिनिधियों की कम होती भूमिका के संबंध में, दूसरी सूचना श्री सतीश महाना

की पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण आज भारत बंद के आह्वान के फलस्वरूप विधान सभा की कार्यवाही में माननीय विधायकों को पहुँचने में हुई कठिनाई के संबंध में, यह नियम-300 में तो आता नहीं, इसे आप प्रिवेलेज में दे दें, कि कहाँ किसने रोका। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में डायलिसिस मशीन स्थापित किये जाने विषयक विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में, इनका प्रश्न से सम्बन्धित है, इसलिये लिया जायेगा। चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की सदन में प्रश्नों के लिये निर्धारित एक घण्टा बीस मिनट का समय अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में यह नियम-300 में नहीं आता। पांचवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की सरकार के कार्य को पारदर्शी एवं जनहित के कार्यों को सुगमता प्रदान करने हेतु जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में, यह सुनी जायेगी। छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में अनिस्तारित पड़े वृद्धावस्था पेंशन की आवेदन-पत्रों को निस्तारित कराये जाने के संबंध में, अगली सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की आन्दोलित प्रदेश के टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों पर किये गये पुलिस बल प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, यह नियम-300 तो बनता ही नहीं है। अगली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू एवं जनपद पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा विधान मण्डल विकास निधि के दुरुपयोग की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के संबंध में, यह नियम-300 का मामला नहीं है।

(श्री हुकुम सिंह का नाम पुकारे जाने पर एवं श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

यह टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों का मामला नियम-300 में नहीं बनता। आप पहले नियम तो पढ़ो। श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर अभी आपका भाषण जारी रहेगा, आप उसी में बोल लीजियेगा। विधान सभा किसी नियम से चलेगी या आपके मन से चलेगी।

जिला योजना समितियों की बैठकें निष्प्रभावी होने के कारण जन प्रतिनिधियों की कम होती भूमिका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, 50 के दशक में संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गयी कि देश का जो विकास होगा उसके लिये एक योजना बनेगी और योजना आयोग का गठन किया गया, शनैः शनैः उसका विकेन्द्रीकरण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया। उसके बाद प्रदेश में वह बात आई और प्रदेश में जिला स्तर पर नियोजन समितियों का गठन किया गया, उसके बाद इसे मजबूती देने के लिये, कि विकास केवल लखनऊ में बैठकर न हो, विकास केवल दिल्ली में बैठकर न हो, बल्कि जनप्रतिनिधि अपने जनपदों में जाकर बैठे और जो नियोजन समिति बनाई गयी, उसके संबंध में मैं आपका ध्यान चाहता हूँ यह असाधारण गजट है 29 जुलाई, 1999 का। इसके अन्तर्गत एक अधिनियम पारित हुआ और उसका नाम था। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999, इसके अन्तर्गत इन समितियों का गठन किया गया, फिर उसके नियम बने, 2008 में दुबारा नियम बने और उसमें प्रावधान किया गया कि कौन-कौन इसके सदस्य होंगे। बाकी सदस्यों के नाम का तो मैं उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन विशेष रूप से सांसद, दोनों सदनों के, विधायक दोनों सदनों के और बाकी लोग उसमें थे। उसका जो सभापति होगा वह प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्री होगा। बहुत सुचारु रूप से सारा कार्यक्रम चलता रहा सरकारें आती रहीं जाती रहीं लेकिन जिला योजना का काम ठीक चलता रहा। उनके प्रस्ताव आते थे, उसी प्रस्ताव के अनुरूप यहाँ धन आवंटन होता था और काम होता रहता था। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों से जिला योजना केवल कागजों पर रह गई है, मीटिंग हुई, प्रभारी मंत्री जी गये लेकिन जो परिव्यय स्वीकृत हुआ उसके अनुरूप एक पैसा भी नहीं भेजा गया। मेरे पास में वर्ष 2011-2012 की जिला योजना का प्रारूप है, सरकारी प्रारूप मेरे सामने है उसके अन्तर्गत आगरा मण्डल में 4 हजार, करीब-करीब 48 लाख का दिया गया है और पूरा टोटल 9 हजार करोड़ रुपए का था पूरे मण्डलों का। 9 हजार करोड़ रूपये का परिव्यय आ गया लेकिन अब यह समझ में नहीं आता कि धन कहा गया क्योंकि जिलों में तो गया नहीं। हमारी शिकायत यह है कि हर बार हम योजना पास करते हैं और किसी योजना के अन्तर्गत पैसा नहीं आ रहा तो उस योजना का मतलब क्या रहा। मान्यवर, यह किसी शासनादेश के अन्तर्गत नहीं है बल्कि अधिनियम बना है, इसके अन्तर्गत जब नियमानुसार पारित हो गया तो पैसा वहाँ पर क्यों नहीं गया वह पैसा कहाँ डाइवर्ट कर दिया गया। मान्यवर, इस सदन के सम्मानित सदस्य, माननीय सांसद, सभी उसके सदस्य हैं और सदस्यों की मौजूदगी के बावजूद, उनकी भागीदारी के बावजूद अगर प्रस्ताव पारित होता है और पारित होने के बाद जनपदों में उसके अनुरूप धन नहीं जाता है, काम नहीं होते हैं, तो मान्यवर सभी को यह सोचना होगा कि आखिर यह धन कहाँ गया। क्यों नहीं आया धन, मैंने कहा कि 9 हजार करोड़ रुपए का परिव्यय था वर्ष 2011 और 2012 का। मान्यवर, सांकेतिक रूप से कहीं चला गया हो तो चला गया हो लेकिन हमें अपने जनपदों का पता है कि वहाँ कोई धन नहीं गया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कुछ कहना है बाद में कह लीजिएगा लेकिन इसकी गम्भीरता को न भंग कीजिए। आखिर दो वर्ष का 9 हजार करोड़ रुपए परिव्यय स्वीकृत हुआ था और मैं अपनी जानकारी के अनुरूप कह रहा हूँ कि 9 हजार करोड़ रुपए के विरूद्ध अगर एक हजार करोड़ रुपए भी नहीं गया है। तो फिर धन कहाँ चला गया। मैं यह कहकर केवल औपचारिकता नहीं बरत रहा हूँ बल्कि मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि आप इसके केवल औपचारिकता के रूप में न लें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, नेता सदन बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, नेता कांग्रेस बैठे हैं, मान्यवर, सबका परामर्श ले करके मेरी मांग यह है कि इन सारे मामलों को देखने के लिए कम से कम चार वर्ष के लिए सदन की एक समिति बने, संसदीय कार्यमंत्री उसके अध्यक्ष हो जाएं या कोई और हो जाए लेकिन उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो। इस समिति के द्वारा इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिलों की योजना का प्रारूप यहां पर आया, पैसे का आवंटन हुआ उसके बाद वह पैसा चला कहाँ गया और किस अधिकार से पैसे का डाइवर्जन हो गया। आज इस विषय का निस्तारण न किया जाए बल्कि मैं चाहूँगा कि इस विषय पर सबके विचार आ जाएं और विचार होने के बाद जैसा कि मैंने माँग की है एक संसदीय समिति का गठन होना चाहिए जो एक निश्चित समय में जाँच करके अपनी रिपोर्ट आपके समक्ष सदन में प्रस्तुत करे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई दो राय नहीं बहुत गम्भीर प्रश्न है और यह अच्छी बात है कि नेता सदन इस वक्त सदन में हैं और उनकी मौजूदगी में यह प्रश्न आया है। केवल इतना ही नहीं हुआ है कि धन कहाँ चला गया बल्कि इस हद तक हुआ है कि जो धन किसी कारण के लिए बसपा सरकार से पहले की सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था मिसाल के तौर पर कहीं सीवर लाइन डलवानी थी तो उसमें पूरा पैसा दे दिया जाता है और जब सीवर सिस्टम का पैसा एलाट होता है तो उसी के साथ उस पर सड़क बनाने का पैसा भी साथ ही साथ रिलीज होता है दोनों धन एक साथ रिलीज होते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं सीवर के लिए सिर्फ इतना ही नहीं होता कि पाइप बिछाने का ही पैसा दिया जाता है बल्कि एस0टी0पी0 बनाने का और जितना कुछ होना है पूरा पैसा दिया जाता है। शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा धन समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा पैसा शत-प्रतिशत जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में भेज दिया जाता रहा है लेकिन सरकार जाने के बाद वह तमाम जिले जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं थे वहां के सारे काम रोक दिये गये यह तो समझ में आता है लेकिन पैसा कहाँ गया यह आज तक नहीं पता। इसलिए यह जरूरी है कि इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए, नेता सदन बैठे हैं मैं आग्रह करूंगा आपसे, इसलिए नहीं कि हुकुम सिंह जी ने रखा है बल्कि इसलिए कि प्रदेश की गाढ़ी कमाई की लूट जिस जालिमाना

ढंग से जिस बेहयाई से हुई, उसकी जांच भी होनी चाहिए और उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ससंदीय कार्यमंत्री जी ने भी इसकी गम्भीरता को समझा, माननीय हुकुम सिंह जी ने इसकी गम्भीरता को सदन के सामने प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं। जैसा कि आपने प्रस्ताव किया है उसके अनुसार इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं सभी दलों के नेताओं से परामर्श करूंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो राय देंगे, चाहे वह समिति बनाने के लिए कहें या दूसरी एजेंसी से जांच कराने की बात कहें, जो भी होगा उसका निर्णय मैं आपको बता दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस विषय को मैंने उठाया है और सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि इस पर संसदीय समिति का गठन किया जाए। बहुत एजेंसी अपने तरीके की हैं लेकिन मान्यवर, यह सदन से पास हुआ है, जिला समितियों से पास हुआ है, मान्यवर, एक बार यह तो हो जाए कि सदन का भी कुछ ध्येय है, सदन का भी कुछ प्रभाव है और सदन के सदस्य भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सही जांच करके सही तथ्यों को यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं यह संदेश प्रदेश में जाना चाहिए। पार्लियामेंट में कमेटी बनी हुई है, सर्वदलीय कमेटी बनी हुई है उन्होंने भी जांच की है। मैंने भी सर्वदलीय कमेटी की बात की है किसी एक दल की बात नहीं की है मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार करें, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मान्यवर, आप सबसे ऊँचे आसन पर बैठे हुए हैं, हमारे अधिकारों के आप रक्षक हैं। आपने सही बात कही कि मैं नेता सदन से परामर्श करूंगा, आप परामर्श करें लेकिन मान्यवर, सदन की गरिमा तभी रहेगी जब सदन की सर्वदलीय समिति बनेगी और वह तमाम पहलुओं की जांच करेगी और जांच करने के बाद अपना मन्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल और सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करूँगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसमें एक चीज और जोड़ लें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि 2007 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा दिये गये पैसे को कहां डाईवर्ट कर दिया गया और कहां खर्च किया गया उसकी जांच की जायेगी। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि 2007 से ले करके 15 मार्च, 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जिस मद के लिए जो पैसा

आवंटित किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उस पैसे को कहां डाईवर्ट किया गया है इसकी भी जांच यह समिति करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बहुत वाजिब बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरे सदन को और खास तौर से माननीय नेता विरोधी दल को यह जानकारी पहले भी दी जा चुकी है और आज फिर भी दे रहे हैं कि आपकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जिन पर कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई नहीं रोका गया है, सब काम पूरा कराया जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह भी बता दें कि क्या सभी योजनाएं भी यथावत चलती रहेंगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा आप ही बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। आप जो कह दें हम वहीं कर दें। आप ही बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। उर्दू, अरबी, फारसी, यूनिवर्सिटी का नाम माननीय, मान्यवर श्री कांशीराम के नाम पर होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और अगर बदला जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उसको फिर से दुरूस्त करेगी। इस मुगालते में न रहियेगा कि हम नाम बदल देंगे तो परमानेन्ट हो जाएगा, आप परमानेन्ट वहां नहीं हो, फिर हमें वहां आना है।

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जो उधर बैठे हैं उसमें से चन्द तक हमारी यह बात पहुंचे कि "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" और उत्तर प्रदेश में जब-जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी जिलों के नाम बदले गये। एक जिले का नाम अकबरपुर था, अकबर बादशाह को मुसलमान इस नाम से जानते हैं कि वह बहुत सेक्युलर बादशाह थे उन्होंने दीन-ए-इलाही चलाया था वह अकबर भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होते। वह अकबर भी बर्दाश्त नहीं हुए और दूसरा अकबर तो पैदा कर नहीं सके, चारों सरकारों में किसी एक मुसलमान के नाम से न कोई शहर, न कोई जिला, न कोई विश्वविद्यालय, न कोई ग्राम, एक भी नहीं, बस वोट चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा। इस बार वोट नहीं मिला तो कहां बैठे हैं।

एक सदस्य-

कभी नहीं मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

इंशाअल्ला नहीं मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज भी अकबरपुर तहसील है, कोई नाम नहीं बदला गया है।

श्री मोहम्मद आज़म खॉ-

क्या कहने-क्या कहने, इतना बड़ा एहसान मुसलमानों पर। आप कहिये कि इसे भी वापस लिया जाए, इतना बड़ा एहसान, अरे मर जाएंगे हम इस एहसान से दबकर वाह,वाह, वाह, वाह इतना बड़ा एहसान क्यों कर दिया मान्यवर। आपके समय में जब मुस्लिम उलेमा मिलने आये मुख्यमंत्री जी से तो सड़क पर उनके जूते उतरवा लिए गये और फरमाया आपके सदस्य ने कि जूते साफ नहीं कराये गये। मैं उन भाइयों तक यह सन्देश भेजना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी ने यह कहा कि जूते साफ नहीं कराये गये और मान्यवर, सड़क पर जूते उतरवाये गये और जब मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए तशरीफ लाई तो सारे आलिम नंगे पैर बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री जूते पहनी थीं और पैर पर पैर इस तरह रखे थे कि एक समाचार-पत्र में जो फोटो छपा है, वह जूता किस जगह दर्शाया गया है उस समाचार-पत्र में, इसके लिये पूरे समाज को शर्मिन्दा होना चाहिए।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी और श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, रिजवी साहब।

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण आज भारत बन्द के आह्वान के फलस्वरूप विधान सभा की कार्यवाही में मा0 विधायकों के पहुंचने में हुई कठिनाई के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आपका विषय है कि बन्द के नाते आपको, विधायकों को आने में कठिनाई हुई।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज भी इस आसन पर मौजूद हैं और आज से पांच वर्ष पूर्व भी आसीन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे। मान्यवर, आप एक भी सूचना ऐसी हमें बतायेंगे जो नियम-300 में आती हो और आपने ले ली हो। मान्यवर, अगर नियम-300 में नहीं आती है तो आप उसे रिजेक्ट कर दें यह आपका विशेषाधिकार है और हम इसको विनम्रतापूर्वक मानेंगे ही मानेंगे। मान्यवर, आज पूरे का पूरा देश पेट्रोल की मंहगाई को लेकर चिन्तित है इसके विरोध में राजनीतिक सीमाओं को लाँघकर पूरा का पूरा देश खड़ा हो गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विषय नहीं है लेकिन यह हमसे सम्बन्धित है, हमारी जनता से सम्बन्धित हैं पेट्रोल का दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे है। पिछले 3 साल में लगभग दो गुने दाम हो गये हैं, 7.50 रुपये एक बार पेट्रोल के दाम बढ़ाने के कारण जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। उस त्राहि-त्राहि को इस सरकार के मुखिया ने और आपने भी स्वीकारा। आपने भी अपनी बात कहकर इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र सरकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। हम सब लोगों ने भी उसी रास्ते पर चल करके क्योंकि जनता की बात है प्रभावी ढंग से भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें सारे के सारे राजनैतिक दल, एक पार्टी को छोड़कर जिन्होंने यह पाप किया है। उनको मान्यवर, अगर हटा दें तो आज सबके-सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। पेट्रोल के दाम पर सदन को इस बात का अधिकार है कि हम इस बात को आपके माध्यम से केन्द्र सरकार तक पहुंचाये। मान्यवर, सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये। आज लगभग 78-79 रुपये प्रति लीटर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल आज कौन इस्तेमाल कर रहा हैं, वे लोग जिनको चार हजार, पांच हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, सबेरे मोटरसाइकिल पर जाते हैं जो पेट्रोल से चलती है, उस स्कूटर पर जाते है जो पेट्रोल से चलती है। बड़ी-बड़ी गाड़ियों, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए या बड़े धनाढ्य लोग हैं उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने वाला है जो गरीब आदमी है, जो डिब्बेवाला है जो स्कूटर से खाना पहुंचाने का काम करता है, फर्क पड़ने वाला है उस किसान को जो अपने स्कूटर पर गेहूं लेकर जाता है, सब्जी बेचने जाता है, उस पर फर्क पड़ता है। मान्यवर, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नियम-110 के माध्यम से जो प्रस्ताव हमारी तरफ से है, आपसे मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं कि

श्री अध्यक्ष-

आपने तो लिखा है कि आने में बाधा हुई उस पर तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। आप दूसरी बात कह रहे है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जब मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, तब स्कूटर पर चलूंगा, अभी स्कूटर पर चलने का मौका तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि मुझे आने में कठिनाई हुई, वह आप बतायें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सुन तो लीजिए पूरे प्रदेश की जनता की कठिनाई सुनना आपका धर्म है। सरकार उसके लिए चिन्तित हैं, इसी कारण सरकारी पक्ष के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, हम भी उतरे हुए हैं। पुराने जमाने की तरह हम लोग घोड़ा और खड़खड़ा लेने के लिए मजबूर हो गये हैं और मोटर साइकिल और स्कूटर घर में रखने के लिए मजबूर हो गये हैं। इस बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई से हम सब लोगों को, इस सदन को नियम-110 के माध्यम से केन्द्र को यह प्रस्ताव करना चाहिए कि हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। केन्द्र सरकार ने जो इसके ऊपर एक्साइज बढ़ाया है, टैक्स बढ़ाया है। 39 रुपये के बाद लगभग उतना ही टैक्स लिया जा रहा है, चाहे वह एक्साइज या विभिन्न करों के माध्यम से लेते हों उसको उन्हें कम करना चाहिए। भ्रष्टाचार और घोटाले का यहां पर जिक्र नहीं करना चाहता। यहां पर होड़ लगी हुई है, यहां पर इसको ठीक करने की होड़ लगी है, वहां पर इसको बढ़ाने की होड़ लगी है। (कांग्रेस के एक सदस्य ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि कर्नाटक की हालत देखिये) मान्यवर, हमारी चिंता है कि तेल का दाम न तो कर्नाटक तय करता है, और न इसको उत्तर प्रदेश तय करता है, न बिहार तय करता है, तेल का दाम केन्द्र सरकार तय करती है और वह कम्पनियों के माध्यम से तय करती है ....(कांग्रेस के एक मा0 सदस्य द्वारा कुछ कहने पर) मान्यवर, इनकी बात मत सुनियेगा। इन्हीं के पाप के कारण आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और इन्हीं के कारण आज सड़क पर आन्दोलन करने के लिये मजबूर है। सड़कों के ऊपर खड़ी हुई है, न इनको जनता की चिंता है, न इनको गरीब की चिंता है, न इनको किसी आदमी की चिंता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं अंतिम बात कह कर समाप्त करूँगा। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरा आपसे, मा0 नेता सदन से, संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय पर जो नियम-110 के अंतर्गत प्रस्ताव दिया है, यदि पूरा सदन इस बात को एक मत होकर, अगर एकमत होकर बात करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो बहुमत के आधार पर हम केन्द्र सरकार को यह संदेश भेजें कि उनको इस साढ़े सात रुपये की बढ़ोत्तरी को वापस लेना चाहिए, जिससे गरीब आदमी को राहत मिल सके। यह मैं आपके सामने प्रस्ताव करता हूं,

मा0 मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव करता हूं। निर्णय उनका है, निर्णय आपका है। (भा0ज0पा0 के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयी।)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अब मैं बता दूं कि मैं कैसे पहुंच पाया।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री सतीश महाना-

अंतिम बात, आपने पूछा आये कैसे? मान्यवर, घर से चला ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अभी भत्ता लिया नहीं है। मान्यवर, वहां से पैदल आया बी0जे0पी0 कार्यालय और वहां से घोड़े पर चढ़कर आया, स्कूटर पर नहीं आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

आजकल मुकदमा भी लिखा जाता है, आचार संहिता लगी हुई है, घोड़े पर चढ़कर आये हो।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, किसी गधे के ऊपर नहीं चढ़ा, घोड़े के ऊपर चढ़ करके आया हूं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय सदस्य बतायेंगे कि घोड़े और गधे की पहचान क्या है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस सदन में मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से ज्यादा निगाह किसकी तेज हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी में डायलिसिस मशीन स्थापित किये जाने विषयक प्रथम सत्र, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आपने जो सूचना दी है यह नियम-63 के अन्तर्गत आपको देनी चाहिए कि प्रश्न का उत्तर गलत आया। अगर प्रश्न का उत्तर गलत आया है तो इसे नियम-63 के अन्तर्गत दीजिए जिन्होंने गलत उत्तर दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी।

*श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आप कृपापूर्वक रिकार्ड देख लीजिए आपने कहा है कि इसको सुना जाएगा। आपने कृपापूर्वक यह निर्देश दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राह्यता के सवाल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय 2011 के विधान सभा के द्वितीय सत्र में मैंने नियम-51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा यह मांग की थी कि वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय है वहां बनारस के ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के आसपास के जिलों के भी हजारों गरीब मरीज आते हैं। वहां डायलिसिस की सुविधा और डायलिसिस की मशीन न होने से उनको काफी तकलीफ होती है उसकी स्थापना की जाय। उस सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या का मैंने इसमें उल्लेख किया है उसके द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया अब उसके बाद मैंने एक सवाल लगाया अभी जो वर्तमान सरकार है प्रथम सत्र 2012 के प्रथम बुधवार कल ही था उसमें मुझे यह उत्तर मिला मैंने जो पूछा था कि क्या ऐसा पत्र मिला है ऐसा हुआ है उन्होंने कहा कि जी हाँ, सब कुछ जी हाँ अन्त में कहा कि हीमोडायलिसिस मशीन की स्थापना हेतु नेफ्रोलाजिस्ट विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है अतः मानव संसाधन की कमी के कारण मशीन को स्थापित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है विशेषज्ञ की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

इसमें गलत क्या है। इसमें उन्होंने पत्र भेजा और शासन ने निर्णय लिया इसमें उत्तर गलत कहाँ है।

श्री श्यामदेव राय चौघरी (दादा)-

इसमें ग्राह्यता यहाँ है कि मैं आपके माध्यम से शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि यह जो उत्तर दिया गया है वह सत्य से परे है। क्योंकि वहाँ पर पवन कुमार सिंह एक नेफ्रोलाजिस्ट हैं, एम0डी0 हैं वह वहाँ आलरेडी तैनात हैं। मंत्री जी ने कहा कि विशेषज्ञ नहीं हैं मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इस तरह से गरीबों के साथ मजाक न किया जाय और यह जो अधिकारी वर्ग हैं उनके बने बनाए उत्तर को यहाँ प्रस्तुत कर दिया जाय जो तर्कसंगत भी न

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सत्य से परे हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा बजट नहीं आना है मैं यह भी बता दूँ कि अभी मैंने अहमद हसन साहब से बात किया।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने सब कर लिया तो सदन में उठाने की क्या जरूरत थी।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

उन्होंने कहा कि चौधरी साहब बिल्कुल सही है आप लिखकर दे दीजिए मैं वहाँ लगवा दूँगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो सब उत्तर दे ही दिया। चौधरी साहब आपकी बात से पूरा सदन अवगत हो गया माननीय मंत्री जी अवगत हो गए यह नियम-300 में नहीं आता इसे मैं अग्राह्य करता हूँ अगर आपको लगता है कि आपकी सूचना पर दिया गया। उत्तर गलत है तो आप नियम-63 में दे दीजिए। मैं उसका परीक्षण करवा लूँगा अगर उत्तर गलत पाया जायगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-(दादा)

मैं सदन में शपथपूर्वक कह रहा हूँ कि जो उत्तर है वह सत्य से परे है। मैं वहाँ नाम बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-63 में दीजिए मैनें बता दिया।

पाँचवी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है।

महाना जी आप बैठ जाएं। मैंने आते ही कहा था कि इस पर बात करके बताएंगे।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होकर बोलने पर)

अब खन्ना जी शाहजहाँपुर के अलावा अन्य जिलों में वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण लम्बित होने के मामलों के सम्बन्ध में आप कहना चाहते हैं यह नियम-300 में कहाँ से आता है। आप वहाँ के सीडीओ को डायरेक्ट लिख सकते हैं अपना पत्र। आप बैठ जायें। मा0 श्यामदेव राय चौधरी आप भी कृपया बैठ जायें। आज मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर जवाब देंगे और कल भी इस पर कुछ मा0 सदस्य बोल लेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया नये सदस्यों को बोलने का मौका दे दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-(दादा)

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया वाराणसी के जिला अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था करा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है वह उनकी संज्ञान में आ गया। आप माननीय अहमद हसन साहब से भी बात कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वह लगवाने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है कि आप सदैव बनारस शहर की तरक्की के लिये प्रश्न उठाते हैं यह अच्छी बात है आप बैठ जायें।

सरकार के कार्य को पारदर्शी एवं जनहित के कार्यों को सुगमता प्रदान करने हेतु जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नीतिगत प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक योजना बनी, जिला योजना का धन आंवटित हो गया वह धन कहां चला गया अभी आप ढूंढ रहे हैं सरकार ढूंढ रही है लेकिन उसका पता नहीं चला है। अब प्रयास यह हो रहा है कि सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दी जाये जो इसकी जांच कर ले। मान्यवर, जनपदों में, प्रदेश स्तर पर जनहित कल्याणकारी योजनाओं पर आज सही ढंग से पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। जो धन किसी और मद में आवंटित है वह किसी और मद में डाल दिया जाता है। मान्यवर, माननीय सांसदों और माननीय विधायकों को पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इसमें दिया गया है। क्योंकि मान्यवर यह महसूस किया गया था कि माननीय विधायकों के जो पत्र जाते हैं वह अनिस्तारित रह जाते हैं कई कई महीनों तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अधिकारीगण उसका उत्तर नहीं देते हैं। आपने इसी दृष्टि से एक नया अधिनियम जिसका नाम जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 है उसको बनाया है। यह 17 फरवरी, 2011 को विधान सभा में पारित हुआ, 21 फरवरी, 2011 को विधान परिषद् से पारित हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस पर दिनांक 3 मार्च, 2011 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी। 5 अगस्त, 2011 को यह उत्तर प्रदेश का अधिनियम बन गया। इसमें यह व्यवस्था है कि समस्त माननीय विधायक सांसद भी अगर कोई पत्र किसी विभाग को भेजेंगे चाहे वह किसी विकास के बारे में हो उसके बारे में तहकीकात करना चाहे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हर विभाग में एक डेजिगनेटेड आफिसर इसी काम के लिये बनाया जायेगा जिससे जब भी पत्र जाय सम्मानित विधान सभा के सदस्य का वो उसके बारे में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वस्तुस्थिति का पता लगाकर सूचना दे। पहले यह प्रोटोकाल था, पहले यह आशा थी, पहले यह अपेक्षा थी लेकिन जब उसका ह्रास हुआ लगा कि उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है तो मान्यवर अधिनियम 3, 2011 बन गया। मान्यवर, दूसरी बात जिसके लिये मैं सदन में लाया हूँ जिससे हम सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हो इसलिये 300 के अन्तर्गत लाया हूँ। अब एक नया रास्ता ढूँढा गया एक डेजिगनेटेड आफिसर एक विभाग में होना चाहिए। पिछले डेढ़ साल से ज्यादातर विभागों ने अपने डेजिगनेटेड आफिसर बनाये ही नहीं। अब भेजिये पत्र जवाब कहाँ से आयेगा। मान्यवर, मेरा इसको लाने का आशय आपके माध्यम से यह है कि हर विभाग को एक डेजिगनेटेड आफिसर बनाना पड़ेगा। इस अधिनियम 3 के अन्तर्गत जो 2011 में बना। हम विकास के सन्दर्भ में, बजट के सन्दर्भ में हम जो भी जानकारी चाहेंगे। एक निश्चित समय के अंदर जवाब देना पड़ेगा और अगर जवाब नहीं देंगे तो मान्यवर, उसकी अपील होगी। अपील का अधिकारी भी तय होगा। मान्यवर, यह तो हो नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष-

राजस्व मंत्री जी इसका जवाब देंगे ?

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जिस समस्या का जिक्र किया है, यह बात सही है कि आम बोलचाल की भाषा में जिसको पब्लिक चार्टर कहते हैं इसको ध्यान में रखते हुए यह अधिनियमित हुआ 2011 में और 2011 में इस अधिनियम पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। 6-7 महीने के बाद एक संशोधन इसमें तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत किया जिसमें कुछ और विभागों को जोड़ते हुए क्योंकि पहले इसमें 3 ही विभाग थे बाद में दो और विभागों को जोड़ते हुए मात्र 5 विभागों को इसके दायरे में ले आये। मैं इसकी सूचना देना चाहता हूँ सदन को कि सभी विभाग इसमें नहीं हैं 5 विभाग हैं। इसमें एक बड़ा भारी व्यतिक्रम है। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपापूर्वक यह विभाग मुझे देखने के लिये दिया तो पहली बैठक में ही उसमें एक बड़ा भारी व्यतिक्रम यह नजर आया कि उसकी सारी अपीलें राजस्व विभाग के अधिकारियों के ही जिम्मे सुने जाने का मामला था और वह अपने विभाग के ही अपीलें सुन सकें तो उसके बारे में अन्तिम अपीलीय अधिकारी अगर मण्डलीय कमिश्नर को बना दिया जायेगा तो कमिश्नर और कोई काम नहीं करेगा सिर्फ शिकायतें सुनते रहेंगे और उसका निस्तारण नहीं कर पायेंगे और वह बढ़ती चली जायेंगी। इसलिये यह विचार किया गया कि जितने विभाग हैं वह सभी विभाग अपने अधिकारी नामित करें और वह उनको यह अपीलीय अधिकार अपने संशोधन के माध्यम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ले आयेंगे और उनको देंगे। यह प्रक्रिया में है और विभागों को निर्देश दे दिया है। जो सम्बन्धित विभाग हैं कि वो अपने लिये वो तय कर लें कि किस लेविल पर फर्स्ट अपील, सेकेन्ड अपील और फाइनल डिसीजन उसमें जिस जिस अधिकारी का है तय कर के बता दें क्योंकि यह कई विभागों से सम्बन्धित है मान्यवर, यह उनको दे दिया गया। आशा करते हैं कि इस सत्र में तो नहीं हो पायेगा क्योंकि सभी लोग बजट और सदन में व्यस्त हैं इस सत्र के बाद जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर लेंगे। सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर यह विधायन हमने किया है तो उसका पूरा पूरा अनुपालन हो। जनता को ठीक से उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके और खास तौर से जो जन प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों का सम्मान हो सकें। हम इसके लिये पूरा प्रबन्ध कर रहे हैं। यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी जी को और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिये इसको अग्राह्य करता हूँ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आश्वासन बन गया है।

श्री अध्यक्ष-

अगला श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का था इसमें बोलना नहीं है। यह जनपद शाहजहाँपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में अनिस्तारित पड़े वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्रों को निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह नियम-300 में कहाँ जाता है। इसमें यदि आप एक पत्र लिख देते डायरेक्टर समाज कल्याण को कि इसको कर दीजिये। इसमें नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

अखिलेश प्रताप सिंह जी की सूचना नियम-300 में, आन्दोलित प्रदेश के टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों पर किये गये पुलिस बल प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 में नही आता है। अगली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की है, इन्होंने श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू एवं जनपद पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा विधान मण्डल विकास निधि के दुरूपयोग की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यदि आप हमें एक पत्र लिख देंगे, हम सी0बी0आई0 से तो नहीं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी से कहकर उच्च स्तरीय जांच करा देंगे जो दुरूपयोग हुआ है। इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

घोड़ा है, कि गधा है, इस पर तो सुना गया, इनको आने में दिक्कत हुई, यह तो सुना गया लेकिन महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ यह नहीं सुना गया। यह उचित नहीं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

लाठी चला या डंडा चला, यह 300 का विषय नहीं है यह आप अपने भाषण में कहिए। तिवारी जी आप तो उठाते है यह 300 में नहीं बनता है। तिवारी जी आप ईमानदारी से बता दीजिए, 300 में नहीं आता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह मेरी बात सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे बहुत योग्य है, लेकिन महाना साहब को लगा कि जब इनको यहां आने में कठिनाई हुई और यह घोड़े पर कब चढ़े, कब पैदल हुए फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इनसे घोड़े और गधे का अन्तर भी पूछ लिया यह नये सदस्य है इनको लगा इतनी सारी टी0ई0टी0 महिलाओं पर लाठी-चार्ज हुआ यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

महिलाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ है एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा चल रही है उसमें कह दीजिएगा। यह नियम-300 में नहीं आता है अपने भाषण में अपनी बात कह दीजिएगा। (शोर) अपने भाषण में कहिएगा। कल आप चर्चा कर रहे थे, आप क्यों नियमों को तोड़ मरोड़ रहे है। आप चर्चा कर रहे थे आपकी चर्चा पूरी नहीं हुई है उसमें आप इसका उल्लेख कीजिएगा। शासन के संज्ञान में आ जाएगा यह नियम-300 में नहीं आता है। कहीं लाठी चल जाए, कही कुछ हो जाए तो यह नियम-300 में आएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[XXX XXX XXX]

श्री अध्यक्ष-

आपका लिखा नहीं जाएगा। चर्चा जारी है आप उसमें बोलेंगे तो कार्यवाही में आ जाएगा। अलग से देने का क्या औचित्य है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

अनुग्रह नारायण जी आप क्यों खड़े हो गये? इस तरह की परम्परा न डाले, आप बैठ जाएं।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर आज पूरा प्रदेश बन्द है, सदन चल रहा है, इसका मतलब सदन की कार्यवाही से कुछ नहीं था, आपने इतनी देर तक सुना। लखनऊ में, राजधानी में, तमाम नौजवान जो रोजगार पाने के लिए प्रयासरत है वह अपनी आवाज उठाने के लिए यहां आते हैं। उन पर लाठी चलती है। यह बात सही है कि यह नियम-300 में नहीं आता है लेकिन जिन नियमों में आता है वह लम्बित है। ग्राह्यता पर इनको सुन सकते थे हमें यह आपत्ति नहीं है कि किस को सुना लेकिन जब सदन चल रहा है और प्रदेश बंद है उसको सुन रहे है।

श्री अध्यक्ष-

इनकी चर्चा प्रारम्भ होनी है इनकी चर्चा पहले नम्बर पर लगी है जो बात यह 300 के अन्तर्गत कहनी है वही बात चर्चा में कह लेंगे कार्यवाही में आ जायगा अलग से देने की क्या जरूरत है कल माननीय राजस्व मंत्री पर कुछ आरोप लगाए थे यह परिपाटी है कि जिस पर आरोप लगता है उस माननीय सदस्य को अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकारी है।

मैं उन्हीं नियमों के तहत माननीय अम्बिका चौधरी से कहना चाहता हूं कि उनको जो आरोपों के बारे में कहना हो कहें।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होने और कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। सीमा पार न करिए, कल जब आप बोल रहे थे तब कोई नहीं, बोला, आप बैठिए।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) द्वारा अपने ऊपर श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा सदन में दिनांक 30 मई, 2012 को लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में लम्बे समय से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं। जिसको पक्ष और प्रतिपक्ष का भेद छोड़ करके सत्ता स्नेह और आशीवार्द प्राप्त हुआ है। आज भी मेरा सौभाग्य है कि नेता सदन भी मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है, नेता भाजपा भी मौजूद है और बहुत वरिष्ठ नेता कलराज जी मौजूद है और इस सदन के वरिष्ठतम नेता प्रमोद तिवारी जी हैं और सभी दलों के सम्मानित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता है और उस परिस्थिति में मुझे आज खड़ा होना पड़ा है जिस विषय के लिए मुझे 1993 के दिसम्बर से लेकर आज के पूर्व कभी भी सदन में ऐसी स्थिति के लिए नहीं खड़ा होना पड़ा है। मेरे लिए स्वयं यह दुःखद विषय है कि सफाई देने के लिए मुझे कभी आवश्यकता पड़ी हो। पिछले 5, 7 वर्षों में अखबारों में, मीडिया में जो कुछ भी छपता रहा मैंने कभी किसी बात के कान्ट्ररिडक्शन के लिए, सफाई के लिए किसी मंच का इस्तेमाल नहीं किया जितने भी अनर्गल आरोप और मेरे पास रिकार्डिंग है मान्यवर, मैं उसे आपके कक्ष में दूँगा, यहाँ सुनाने लायक नहीं है। सार्वजनिक तौर पर जितनी गालियाँ दी गई, उसके बावजूद भी मैंने किसी बात का उत्तर देना उचित नहीं समझा, मुझे नहीं लगा कि इन बातों को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए लेकिन सदन में बजाय क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करने के और उसके विकास की कोई बात करने के या उससे जुड़ी कोई समस्या रखने के जिस तरीके से और जितने घटिया तरीके से, जितने फूहड़ तरीके से जो आक्षेप किए गए वह अत्यन्त पीड़ादायक हैं। मैं स्वयं इसको कहते हुए दुःखी हूँ कि यह बात मुझको यहाँ कहनी पड़ रही है। इसको कहने की आवश्यकता मुझे अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं पड़ी छोटे से लेकर बड़े तक कभी भी मुझे राजनीतिक जीवन में कभी किसी पर न आक्षेप लगाने की जरूरत पड़ी और न अपना स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ी। मैं राजनीति में अपनी बात कहता हूँ, अपने नेताओं की बात कहता हूँ और उतने से मेरा काम चल जाता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता मुझे कभी नहीं पड़ी। यह सदन गवाह है, हमने पूरी तौर पर राजनीति सवालों पर विरोध किया जब मौर्या जी यहाँ बैठते थे, माननीय हुकुम सिंह जी और कलराज जी यहाँ बैठते थे, लेकिन कभी भी एक दिन के लिए भी ऐसा अवसर नहीं आया कि हमने इस तरीके की कोई बात कही हो और कभी सदन में आया भी तो मैंने अपनी छोटी औकात में भी उसको हमेशा पैसिफाई करने का प्रयास किया और चाहे किसी पर भी आक्षेप लगा हो, मैंने कहा कि यह बात मुनासिब नहीं है और तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए साक्ष्यों के अलावा, ऐसी कोई बात हम लोगों ने रेज करने की कोशिश नहीं की, सामान्य बात तो सरकार के खिलाफ कही जाती है, विपक्ष अपना काम करता है। मान्यवर, कल मेरा और मेरे परिवार के तमाम सदस्यों के नाम लेकर और इतनी बातें कहीं गई है जो मेरे लिए बहुत कष्टप्रद हैं। मैं सदन में आज एक बात कहना चाहता हूँ कि अन्य किन्हीं सवालों पर, सदन की ज्वाइंट पार्लियामेन्ट्री कमेटी बने चाहे नहीं बने लेकिन इस सवाल पर, जितने आरोप कल माननीय सदस्य ने लगाये है, उस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जी जिसको नामित करें उसकी अध्यक्षता में सदस्यों की एक समिति बन जाये और इसके एक-एक बिन्दु की जाँच मौके पर जा करके कर ले, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं और आपत्ति ही नहीं, मैं तो यह माँग करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं तय कर लें और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बन जाये और एक-एक बातें जो कही गई हैं, उनकी जाँच कर लें, मैं सर्वाधिक

संतुष्ट उसी से रहूँगा, मुझे किसी दूसरी कमेटी की बात नहीं करनी है। तीन-चार तरीके की बातें कही गई। मान्यवर, मैं बिन्दुवार कहूँ तो फिर उसी पर उतर आऊँगा जिसको मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, तीन-चार बातें कहीं। पहली बात कही गई कि जमीन संख्या फलाने, जमीन संख्या फलाने, रकबा फलाने, उनका नाम फलानें, उनके चाचा ये, उनके भाई ये, इस तरीके की बातें जो इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं, वह मनगढ़ंत बातें कही गई और यह कहा गया कि यह-यह जमीनें कब्जा कर ली और यह जमीन फलाने ने ले लिया और यह जमीनें एक्सचेंज कर लिए, मैं सिर्फ इनके द्वारा अपने मान्यवर, श्री उपेन्द्र तिवारी जी ने एक रिट फाइल किया। पी0आई0एल0 फाईल किया। वर्ष 2005 में 8741/2005 और वह रिट माननीय उच्च न्यायालय के सामने यह सारे एलीगेशन्स लगाते हुए फाईल किया और मुझे भी इसमें पार्टी बनाया। मैं इसमें पार्टी नम्बर-7 हूँ और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पी0आई0एल0 को पूरी तरह से खारिज कर दिया उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। यह मैंने कभी भी उल्लेख नहीं किया और इस तरह का एक भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लम्बित भी नहीं है जिसमें किसी एक इंच भी भूमि को लेने देने का मामला हो। मैं यह बात सदन में कहना चाहता हूँ और जहाँ हाईकोर्ट में दाखिल हुआ वहाँ खारिज हुआ।

श्रीमन् मुझ पर दूसरा आरोप लगाया गया कि चुनाव के बाद फलाने-फलाने के इन्होंने घर उजड़वा दिये। मान्यवर, हिंचलाल तिवारी बनाम स्टेट का फैसला और दो वर्ष से जिनको छः बार नोटिस दी गयी थी उसकी शुरूआत हुयी और सदन में फिर कहना चाहता हूँ कि एक भी घर नहीं गिराया गया है, बाउंड्री वाल गिरायी गयी है और अभी घर गिराये जाने है, अगर न्यायालय का आदेश चलेगा तो घर गिराये जायेंगे। वह अभी अधूरा रह गया और नौटंकी के कारण अधूरा रह गया। मान्यवर, यह बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर तालाब है, जहाँ जलाशय है वहाँ सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। पिछली बार जब मैं राजस्व मंत्री था तो एक देश के बहुत धनाढ्य है उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनकी शुगर मिलें चलती है तो शुगर मिल में उनके गेस्ट हाउस को उन्हीं से गिरवाया और उन्हीं से गढ्ढा भरवाया और मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। न मैंने उनको कोई निर्देश दिया न मैंने उनको कोई आदेश दिया। यह सामान्य प्रक्रिया के तहत वहाँ कलेक्टर, एस0डी0एम0, तहसीलदार वहाँ जो कोई भी हो उसने अपना काम किया और उसका पूरा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि वह अदालत की बात थी वह अदालत जाने। उसका मुझसे कोई सम्बंध नहीं है। दुनिया भर के टी0वी0 पर यह सारी चीजें दिखायी जाती है समाचार पत्रों में छपता है मैं किसी को स्पष्टीकरण भी नहीं देने गया। मीडिया के तमाम मेरे साथी है मुझसे लोगों ने कहा कि आप बताइये तो मैंने कहा कि मैं इस पर क्या कहूँ। मैं उम्मीद करता था कि एक नौजवान आदमी दो-दो बार जमानत जब्त कराकर बड़ी कठिनाई से इस बार आया

है, इस बार सौभाग्य से आ गया है तो बहुत बढ़िया बातें करेगा, क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छी बात चलेगी। मैंने यहाँ बधायी दी मैंने वहाँ बधायी दी कल सदन में दो बार बधायी दी और मेरी इच्छा थी कि अगर क्षेत्र के विकास की बात आएगी तो सरकार में रह कर अपने इस नौजवान साथी की मद्द कर सकूंगा। हम दो लोग मिलकर क्षेत्र का ज्यादा विकास कर सकेंगे। मान्यवर, अगला बिन्दु यह था कि पिछले पंचायत के चुनाव में जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैं रिवाल्वर लहराते हुए गया और जाकर मैंने लूट लिया और गोली चला दी। तमाम सदस्य यह सुनना चाहते थे कि और बोलो, और बोलो। तो और बोलो, और बोलो की सफाई यह है कि मान्यवर, मेरा मुँह सूख रहा है क्योंकि भावनात्मक रूप में मुझे इसकी बहुत पीड़ा है। कभी राजनीतिक जीवन में इस तरह का आरोप लगा नहीं और यहाँ जो लोग बहुत दिनों से है वह मुझे जानते है। मैं श्री कलराज जी को अपनी जमानत में रखना चाहता हूँ। इनके सामने भी वह शिकायत गयी तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया मैंने इनको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस वक्त लखनऊ में था। प्रमोद जी को मैंने बताया, आपने पूछा और मैंने बताया। श्रीमान् इस मामले में छोटी-मोटी इकाई नहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार में यह मामला गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ज्यादा निष्पक्ष और बड़ी संस्था नहीं हो सकती और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11-01-2007 को यह स्पष्ट निर्णय कर दिया कि इनका इस तरह का कोई आरोप सही नहीं है। यह सारे आरोप मिथ्या हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्णय मेरे पास है। आदरणीय कलराज जी, आदरणीय हुकुम सिंह जी मैं इसको आपके कक्ष में लेकर आऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तय कर दिया।

पुनः जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो एक जनरल आदेश निकला कि तीन साल के अन्दर जो मुकदमें नहीं दाखिल हुए थे, वह मुकदमें दाखिल हो जाये, जो अपराध हुए थे। उसी में मेरे विरूद्ध मान्यवर, फिर डकैती का मुकदमा और तमाम दूसरी धाराओं में मुकदमा, यह प्रथम सूचना संख्या 61/7-06-07-2007 को, मई में सरकार बनी थी और छः जुलाई को मेरे विरुद्ध और परिवार के सदस्यों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में भी श्रीमान फाईनल रिपोर्ट लग गई, तफ्तीश हुई आपकी सरकार थी, मैं विपक्ष में बैठा था मैं कोई सत्ता पक्ष में बैठा हुआ तफ्तीश को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं था और आपकी पुलिस ने ही तफ्तीश की और तफ्तीश करके इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, वह मामला भी वहीं समाप्त हो गया और उसके बाद श्रीमन् आज तक उस मामले में भी कम्प्लेंट में इस प्रकार का कुछ चल रहा है मैंने सुना है, जब अदालत मुझे सम्मन करेगी तो मैं अपनी बात कहने का अधिकारी होऊँगा, वहां जाऊँगा और देखूँगा और उन बातों को, जो कुछ मुझे कहना होगा मैं कहूँगा। मान्यवर, वह बात भी खत्म हो गई। अब पुनः जब यह चुनाव हो गये

हैं तो यह घटना घटी जिसमें कह दिया गया कि मैंने यानी अम्बिका चौधरी ने और उनके परिवार के फलाने-फलाने ने बम फिंकवा दिया। मैं सदन में उनका नाम नहीं लूँगा, मैं नियम जानता हूँ, सदन में उनका नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए मान्यवर, उसमें घटना हुई रात में एक बजे बम फटा, अलग-बगल के लोगों ने सबने सुना, सब दौड़ कर आये, लेकिन घटना ऐसी थी कि रात को पुलिस को बताना सम्भव नहीं था, पाँच सौ मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था, चूँकि बम कैसे फटा यह मै बाद में आगे बताऊँगा। सुबह साढ़े छः बजे उन्होंने पुलिस को टेलीफोन किया कि हमारे यहां बम फट गया, टेलीफोन की सूचना पर जब पुलिस आई तो देखा कि भई बम क्या फट गया यह तो ट्रैक्टर का टायर फट गया है और यह आया कहां से। उस पर एक महान नेता हमारे विधायक चुने गये हैं, जब यह साढ़े नौ बजे आये तो इन्होंने कहा कि इस पर अम्बिका चौधरी का नाम नहीं डाला तब तो कोई बात ही नहीं बनेगी। इन्होंने उसकी शुरूआत किया और शुरूआत करके जितना दबाव बना सकते थे, उतना दबाव बनाने का इन्होंने प्रयास किया कि इनके और इनके परिवार के नौ लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी जाए। चूँकि मैं यहां आलरेडी लखनऊ में मौजूद और सारी बातें थीं, पुलिस ने वह दरखास्त ले लिया और एडीशनल एस0पी0 कप्तान के बाद एडीशनल एस0पी0 ही हमारे जिले में सबसे बड़ा अधिकारी है। सी0ओ0 से भी नहीं, एडीशनल एस0पी0 से जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने वह दरखास्त दे दी कि इसकी जांच करवा लीजिए, और श्रीमान् मामला इतना गम्भीर था कि एक ओर मंत्री पर आक्षेप और आक्षेप लगाने वाला सदन का विधायक, उसकी उच्चस्तरीय जांच हुई और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई, आगरा फोरेंसिक लैब से लोग गये, उसकी जांच किया और जांच कर के वह रिपोर्ट आ गई जिसमें यह तय हो गया कि यह बम बाहर से फेंका जाना सम्भव ही नहीं है। श्रीमन्, मैं सब कागज लेकर के आ जाऊँगा और मैं आपके यहां नही मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में रख रहा हूँ, लेकिन आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कागज दिखा सकूँ, अगर आप मुझे इसकी अनुमति दे। मैं भावनात्मकतौर पर यह बात आपसे कहना चाहता हूँ और श्रीमन् उसमें फोरेंसिक लैब की यह रिपोर्ट आ गई कि बम अन्दर से फटा है। कल के एस0पी0 ने बयान दिया है कि अब हम इसकी जांच करेंगे और इसके लिए जिस पर हमको संदेह होगा हम इस तरीके का इल्जाम लगाने वाले लोगों का नाम नहीं लिया कि इनकी जांच करेंगे, लेकिन जहां संदेह होगा वहां उसकी ब्रेन मैपिंग करेगें, नारको टेस्ट करेंगे और लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे ताकि इस बात की सत्यता का पता चल सके कि आखिर यह बम आया कहां से और कहां से नहीं आया, कहां से बम बना और कहां रखा गया, कैसे गया, कैसे आया और इसकी जांच होना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, कारण क्या है कि अगर बम वहां आने लगा, बिहार के अपराधी वहां आने लगे तो यह किसी दिन कोई बहुत गम्भीर घटना घट जायेगी। माननीय सदस्य भी अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं और मैं उनकी सुरक्षा को लेकर स्वयं चिन्ता व्यक्त करता हूँ, गम्भीर घटना घट जायेगी, वह वहीं बैठते हैं, आते-जाते हैं और बम वहां बन रहा है या कहीं से लाकर रखा जा रहा है तो कोई गम्भीर घटना घट सकती है, इसलिए इसकी जांच होना बहुत जरूरी है और लाई डिटेक्टर या सारे साइंटिफिक टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि कहां से बम आया, कैसे गया, क्या हुआ, कैसे बम फटा इसकी जांच आगे हो मैं चाहता हूँ, मैं जांच बन्द कराने का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यह सफाई देना चाहता हूँ अपने स्पष्टीकरण में कि इतने जो आरोप मुझ पर लगाये गये, यह आरोप मुझ पर मिथ्या लगाये गये। रोज बाहर लगाये जाते हैं, चरित्रहनन के लिए लगाये जाते हैं, मैं इनसे प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन श्रीमन् जब सदन में यह सारी बातें कही गई तो मान्यवर मुझे यह बात कहने की आवश्यकता हो गई और अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा।..... इन्होंने आपने नामांकन में आदरणीय सदस्य ने अपने नामांकन के साथ जो बाहलफी दाखिल की है, उसमें 11 मुकदमों का जिक्र किया है, 11 आपराधिक मुकदमों का जिक्र किया है जो [xxx] मिथ्या हैं। मान्यवर, [xxx] शब्द निकाल दें। जो मिथ्या है, जो गलत है। असलियत है कि अभी मान्यवर, उसमें मुकदमें छुपाये गये हैं और इसके लिये जहां जो जरूरत होगी तो हम करने का काम करेंगे। 11 मुकदमें इलाहाबाद के हैं जिसमें 9 मुकदमें जो इलाहाबाद के दिखाये गये हैं और बलिया के 5 मुकदमें हैं जो सिर्फ 2 दिखाये गये हैं। मान्यवर, मैं आज की बात नहीं करूंगा। पुरानी बात करूँ अगर तो श्रीमन् मुकदमें किन धाराओं में हैं। मुकदमें है, मुकदमा अपराध सं0-680/95, धारा-500, 504, 503, 506 छोटा है। मान्यवर, मुकदमा अपराध सं0-699/95, धारा-147, 148, 149, 307 जिसमें आजीवन कारावास का दण्ड है। यह छोटा नहीं है और मान्यवर, 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट ऐक्ट। मान्यवर, मुकदमा सं0-1217/95, धारा- 323, 504, 506, 427, 7 क्रिमनल लॉ अमेण्डमेण्ट ऐक्ट, यह कोई छोटा नहीं है। मान्यवर, मुकदमा, सं0-80/96, धारा-147, 332, 341, 7 क्रिमनल लॉ अमेण्डमेण्ट ऐक्ट जो मान्यवर, छोटा नहीं है। मान्यवर, मुकदमा सं0-357/96, धारा-147, 148, 149, 307, 7 क्रिमनल लॉ अमेण्डमेण्ट ऐक्ट। मान्यवर, मुकदमा, सं0-1061/96, धारा-147, 148, 149, 307, 332, 353, 391, 7 क्रिमनल लॉ अमेण्डमेण्ट ऐक्ट। मान्यवर, मुकदमा, सं0-833/99, धारा-336, 427, है। मान्यवर, मुकदमा, सं0-567/2000, धारा-323, 504, 506, 452, 394 है। मान्यवर, वर्ष 1997 में 392/411 हुआ। श्रीमन् मैं सिर्फ इसलिये कहना चाहता हूं कि मुझ पर ये आरोप इतने उत्साही व्यक्ति द्वारा लगाये गये है। इतने उत्साही व्यक्ति द्वारा लगाये गये है जिसके विरुद्ध 20 मुकदमे लंबित हैं और बम चलाने के आरोप भी इनके ऊपर लगे हैं और बम बनाने का भी रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। बम बरामद हो रहा है, बम फेकनें के आरोप कुछ तो जुबानी और बम फेंकने का मुकदमा उन पर जारी है इलाहाबाद में। मैं जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूँ और इसलिये मान्यवर, कैसे किसकी रक्षा होगी, यह तो अलग बात है लेकिन इस सदन में मैं अपनी सफाई इसलिये दे देना चाहता हूँ क्योंकि कल बहुत सारे सदस्य इस बात को बहुत प्रसन्नता से कि जल्दी बोलों, जल्दी बोलो और बोलो, दिखाओ कह रहे थे। मैं इसलिये दिखा देना चाहता हूँ कि पूरी बात आपकी जानकारी में रहे, उनकी बातों को मैंने धैर्यपूर्वक जहां भी था सुना भी और उनको काट नहीं की। आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, उनकी बधाई दी और मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन सदन में अगर स्पष्टीकरण में नहीं दूंगा तो मेरे लिये दूसरी और कोई जगह नहीं है। इसलिये श्रीमन् मैंने इसको रखा है। मैं आपका आभारी हूं।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप कल कहे है। आज कुछ नहीं। आप बैठिये, बैठिये।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

पंडित जी, बैठिये, बैठिये। बहुत ज्यादा वो न करिये, चलिये बैठिये अपनी सीट पर। अब मद सं0-5 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप ले लें, आगे बढ़ जायें।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

मा0 सदस्य अपनी सीट पर जायें, वहां बात न करें। आपके नेता आपको निर्देश दे रहे हैं, उसको मानिये, उनके निर्देश को मान करके बैठिये। बैठिये, बैठिये, बैठिये। आप जाइये बैठिये। यह सदन है कोई चौराहा नहीं है, जाइये बैठिये वहां। रिजवी साहब मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि बैठ जाइये।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के सदन की सीट से हट कर सदन में खड़े होने पर)

चलिए आप बैठिए अपनी सीट पर अब मद संख्या-5, अब आगे बढ़ जांए। शांत हो जाइए। मा0 सदस्य आप अपनी सीट पर जाएं वहाँ पर बात न करें आपके नेता आपको निर्देश दे रहे हैं, आप उनके निर्देश को मानिए। अपने नेता के निर्देशों को मानकर बैठिए, आप अपनी सीट पर बैठिए। यह सदन है यह कोई चौराहा नहीं है। आप वहाँ पर बैठिए।

(सदन में शोर)

(श्री रिजवी के खड़े होने पर)

रिजवी साहब, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि बैठ जाइए। संसदीय काम को आगे बढ़ जाने दें। अब बात हो गई है उन्होंने कहा और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, बात खत्म। देखिए आपने जो कहा तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, जो कुछ आपको कहना हो, मुझे लिख कर दीजिए। पंडित जी आप बैठ जाइए, आपके नेता कह रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइए। कलराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

*श्री कलराज मिश्र-

अध्यक्ष, महोद्य जो सदय की कार्यवाही की सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत जिस मा0 सदस्य ने यहाँ से अपनी बात रखी थी। मैं तो उस समय यहाँ पर था नहीं मुझे जानकारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी तो नहीं था।

श्री कलराज मिश्र-

उसका आपने मा0 मंत्री जी को जवाब देने का या स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया है और उन्होंने दिया है। मैं समझता हूँ कि चीजें आ गई हैं और आ जाने के पश्चात् बाकी की चीजें जो भी आपस के विवाद हैं, जो भी आपस की सारी चीजें हैं उनको देखने के बाद कि किस ढंग से उसका समाधान निकल सकता है, उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है। यदि उसके बाद और चीज आगे न बढ़े क्योंकि यह सदन परस्पर एक-दूसरे के विवाद को निपटाने का सदन नहीं है। यह सदन तो पूरे प्रदेश का एक सही दिशा प्रदान करने के लिए। सामूहिक स्तर पर पूरे प्रदेश को चलाने के लिए, आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाकर उसका समाधान दिलाने के लिए इस दृष्टि से सदन है। व्यक्तिगत जो भी बातें हुई हैं, समझता हूँ कि उसे ज्यादा प्रश्रय न देते हुए, उसको अभी स्थगित किया जाए। यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मद संख्या-5 कार्यमंत्रणा की सूचना लेते हैं। (श्री अध्यक्ष के सूचना लिए जाने के बीच में मोहम्मद आजम खाँ के खड़े होने पर)

नगर विकास, संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 अध्यक्ष जी मेरा निवेदन यह है कि मा0 कलराज मिश्र जी ने बहुत अच्छी तरह इस समस्या का समाधान और सुलझाने का जो तरीका अपनाया है वह स्वागतयोग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह के आक्षेप कल लगाए गए और जो आचरण कल था और जो आचरण आज है।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के सीट के हट कर बोलने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पंडित जी, आप यहाँ पर खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं। मा0 नेता भाजपा आपसे निवेदन है कि आप इन्हें समझाएंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

मा0 सदस्यगण आप सभी लोग बैठ जाएं। जब संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हैं तो आप लोग बैठ जाएं।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने के कारण शोर तथा श्री उपेन्द्र तिवारी सदन से बाहर जाने लगे)

आप लोग अभी नए आए हैं, सदन का एक नियम है कि जब संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो, नेता विरोधी दल खड़े हों और मा0 अध्यक्ष खड़े हों तो सबको बैठ जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप लोग नए हैं और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं यही कह रहा था कि जिस तरह का विचार मा0 कलराज मिश्र जी का आया उसका स्वागत करने योग्य है और एक वरिष्ठ नेता से यही उम्मीद भी करना चाहिए और शायद कल वह सदन में रहे होते, तो बात इतनी न बढ़ी होती। खेद इस बात का है कि हम अपनी सीमाएँ कहाँ तक हैं खुद तय करेंगे। यह सदन पूरे सदन की सीमाएं मिलकर तय करता है, और उसके लिए नियम हैं। हम सब नियमों से बंधे हुए हैं। सदन के बाहर की कटुता को हम किस हद तक यहाँ रखेंगे और उस कटुता को रखने का तरीका क्या होगा। मान्यवर, यह सदस्य को तय करना होगा, नियम तय नहीं करेंगे।

हम सारे लोग क्योंकि किसी न किसी से हमारी मुखालफल होती है, वह हार या जीतकर आते हैं अगर इस तरह का आक्षेप एक दूसरे पर करेंगे ता स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रखी है वह भी देखा जा सकता है, उसकी कार्यवाही को भी पढ़ा जा सकता है जो बातें कल आई हैं उन्हें भी पढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि माननीय सदस्य मौजूद होते तो मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में होता लेकिन उनके चले जाने के बाद और माननीय कलराज मिश्र के इस रवैये के बाद उसकी कतई आवश्यकता नहीं रह गयी है लेकिन इतना जरूरी है कि आप कल की कार्यवाही देख लें, जो भी अपमानजनक बातें हैं उनको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

कल ही मैंने कह दिया था।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 मई, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की है:-

1-दिनांक 31 मई, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 21 जून, 2012 से 26 जून, 2012 तक सदन की बैठकें न हो।

3-शनिवार, दिनांक 30 जून, 2012 को सदन की बैठक हो, प्रश्नकाल न हो एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण किया जाए तथा केवल नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं।

4-दिनांक 31 मई, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए:-

मई, 2012

31 गुरुवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

जून, 2012

01 शुक्रवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
02 शनिवार 03 रविवार	बैठक नहीं होगी।
04 सोमवार	(हजरत अली का जन्म दिन) बैठक नहीं होगी।
05 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-विधायी कार्य।
06 बुधवार 07 गुरुवार 08 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन+आधा दिन दिनांक 08 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
30 शनिवार	<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u> उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कल माननीय अखिलेश सिंह जी चर्चा कर रहे थे वह चर्चा प्रारम्भ करें।

विधान भवन स्थित सेन्ट्रल हाल कैन्टीन में लोक सभा की भांति सम्पूर्ण आहार की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

मान्यवर, इस विधान सभा में हम सब लोग आते हैं आपके संरक्षण में। हम सब लोगों के खानपन की व्यवस्था कैन्टीन में आपके निर्देशों से की जाती है उसकी बड़ी दुर्दशा है उसकी हालत बहुत खराब है उस कैन्टीन में सारे माननीय विधायक सुबह से चले आते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन तक उसी कैन्टीन में करना चाहते हैं।

मान्यवर, चना, छोला और साधारण खाने के अलावा और कोई खाना नहीं मिलता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज खाने के लिये मन बनाकर जाते हैं, लेकिन बगैर खाये वापस आ जाना पड़ता है। तो मान्यवर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की सर्वसम्मत इच्छा होगी कि इस कैन्टीन की व्यवस्था सुधारी जाये और एक सम्पूर्ण मेन्यू, सम्पूर्ण आहार जैसे लोक सभा की कैन्टीन में है, सेन्ट्रल हाल में मिलता है उस तरह से मान्यवर, यहां व्यवस्था हो जाये, इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्य मांसाहारी खाना भी खाना चाहते हैं तो मांसाहारी खाने की व्यवस्था भी यहां की जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हो गयी बात, यह कोई विषय नहीं है। आपने सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया, यह मेरे संज्ञान में आ गया।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, आपकी तरफ से कोई निर्देश तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

इससे बढ़िया कितने लोग खाते हैं। कितने लोग तो भूजा चबाकर अपनी जिन्दगी बिता लेते हैं। कृपया थोड़ा कम खाइये।

(खाद्य मंत्री के खड़े होने पर)

ठीक है, माननीय खाद्य मंत्री जी आप बताइये, क्या कहना चाहते हैं।

*खाद्य रसद एवं, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया)-

माननीय अध्यक्ष जी, सचिवालय में चलने वाली कैन्टीन कर्मचारी कल्याण निगम की है और सरकार इसको संचालित करती है। माननीय सदस्य का जो कहना है, यह सही बात है कि भोजन वहां पर संतोषजनक नहीं मिलता है और कई माननीय सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वहां पूरा मेन्यू होना चाहिये ताकि वह अपनी पंसद का भोजन चुन सकें और अगर आप मतदान करा लेंगे तो यह शाकाहारी और मांसाहारी का विवाद भी समाप्त हो जायेगा तो अन्तिम निर्णय आपका है श्रीमन्। हम लोगों का आपसे निवेदन है कि जिस तरह से लोक सभा की कैन्टीनों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन मिल सकते हैं और कदाचित् हमारी इस कैन्टीन में भी आज से 15 वर्ष पूर्व मांसाहारी भोजन मिला करता था। यह तमाम माननीय सदस्यों की इच्छा है और इसमें अन्तिम निर्णय आपका है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खाद्य मंत्री जी, एक व्यवस्था चल रही है। लोक सभा की कैन्टीनों के लिये लोक सभा के पास बहुत अधिक धन है और वह बहुत ज्यादा सब्सिडी देकर चलाते हैं। आप लोग तो गरीबों को रिप्रेजेन्ट करके आते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो भी आदेश होगा इसलिये कि कैन्टीन आपके अधिकार में आती है। वह हमारा अधिकार नहीं है और आप पर हमारा अधिकार है। खाने की क्वालिटी खराब है, यह आपके कक्ष में भी बात हुयी और कल माननीय सभी सदस्यगण मौजूद थे, उस उक्त भी बात हुयी थी और कुछ बात और भी आई थी। मान्यवर, यह सही है कि पार्लियामेन्ट जैसा इंतजाम नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और यह कह देना माफी के साथ, कि चंद भूखे विधायकों को ढंग से खाना न मिले इससे

* वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश लुट जायेगा। ऐसा कर लीजिये एक तो व्यवस्था यह बदल दीजिये किसी और एजेन्सी से जैसा कि आपका ही सुझाव था, पर्यटन से, इसका सिलसिला कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दूसरा, यह कि जब सदन चले तब माननीय विधायकों को सब्सिडाइज रेट पर अच्छा खाना मुहैया कराया जा सके और वहीं तर्ज हो, रेलवे से तो नहीं लेकिन आप पार्लियामेंट का मेन्यू मंगा लीजिये जो पार्लियामेन्ट का मेन्यू है, वही यहां का मेन्यू हो जाये जिससे देश चल रहा है वहां मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, वहां अटल जी भी रहे हैं, वहां अडवाडी जी भी मौजूद हैं, गडकरी जी मौजूद हैं तो फिर यह भेदभाव कैसा। धन्यवाद।

श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया-

कितने माननीय सदस्य शाकाहारी हैं, कितने मांसाहारी हैं तो उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब कक्ष में बैठकर इस पर विचार कर लिया जायेगा अगर आप पर्यटन विभाग को कहते हैं तो पर्यटन विभाग को ही दे दिया जाये। वैसे वह कल्याण निगम इन्हीं के अधीन है। माननीय खाद्य मंत्री जी कल्याण निगम किसके अधीन है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया-

कर्मचारी कल्याण निगम की कैन्टीन इस सचिवालय शाखा के अन्तर्गत आती है, जो खाद एवं रसद विभाग चलाता है।

श्री अध्यक्ष-

इसे आपको ठीक कराना चाहिये, मुझे क्यों कह रहे हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया-

अगर आपकी अनुमति हो तो हम कल से शुरू करा दें, अनुमति हो श्रीमन्, तो कल से बनवाना शुरू करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम बात करके इसको करेंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा†

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मैंने नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचना आपको दी थी। (इसी मध्य 01 बजे अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुये।) उसमें आपने व्यवस्था दी कि हम अपनी चर्चा में इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन दुःख का विषय यह है कि हम सिर्फ लाठीचार्ज पर चर्चा नहीं चाहते थे। जिन करीब 5 लाख बच्चों ने टी0ई0टी0 का एक्जाम दिया, उसमें से करीब 75 हजार बच्चे सेलेक्ट हुये, उनकी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उसके बाद किन्हीं कारणों से वह चयन प्रक्रिया रूक गयी है। यह नौजवान मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हम उम्मीद करते थे कि सत्तापक्ष की तरफ से आयेगा क्योंकि नौजवानों का मामला है। आज नौजवान कितनी मजबूरी से नौकरी पाता है, यहां पर बैठे हर नौजवानों को उसकी भी पीड़ा होगी। चूंकि पिछली सरकार के दौरान इन टी0ई0टी0 छात्रों ने नौकरियां पायी थीं और आज उनकी नौकरियों पर तलवार लटक रही है। सरकार किस तरह से इनकी नौकरियों को ज्वाइन कराने में डील कर रही है। हम बस इतना चाहते थे कि सरकार का रुख इस पर आ जाए। सरकार निश्चित रूप से पॉजीटिव रूख अख्तियार करेगी क्योंकि यह नौजवानों की सरकार है। अधिक से अधिक नौजवान यहां चुन करके आये हैं और वह इन नौजवानों की पीड़ा को जरूर समझेंगे। आपका आदेश हुआ हम इस मुददे को चर्चा में वर्णित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब यह सरकार अपना वक्तव्य देगी तो निश्चित रूप से टी0ई0टी0 छात्रों की जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं उसमें सरकार क्या रुख अपनायेगी, कैसे इन छात्रों को नौकरियां मिल सके, अधिक से अधिक इनका भला हो सके, इस पर अवश्य चर्चा करेगी और सरकार अपना रूख स्पष्ट करेगी। हम इसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों का भी सहयोग चाहेंगे। नौजवानों का भी सहयोग चाहेंगे कि वह टी0ई0टी0 के छात्रों के लचीला रुख अख्तियार करते हुये इन छात्रों को जो नौकरियों में सेलेक्ट हो गये हैं उनको ज्वाइन कराने की प्रक्रिया को तेज करायें।

मान्यवर, अब मैं अपने कल के मुख्य मुद्दे पर आता हूं जिसमें मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य देने के लिये निर्देशित किया गया है। मैंने जो अपनी बात कल शुरू की थी वह सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण पर चालीसवें पृष्ठ पर एक पैरा है कि हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को 10 प्रतिशत जी0डी0पी0 दिला देंगे। हमें जिज्ञासा है और इस सदन के अन्दर बैठे हुये तमाम सदस्यों को भी जिज्ञासा होगी कि उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत ग्रोथ रेट कैसे हो जायेगी ? हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट बढ़े।

† दिनांक 29 मई, 2012 की कार्यवाही से।

हर प्रदेशवासी को खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट सरकार बढ़ा दे, परन्तु बहुत सी समस्याओं का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा। मान्यवर, यू0पी0 आज सिर्फ ड्रेनिंग स्टेट बनकर रह गया है यहां औद्योगिकीकरण का पिछले 20-22 वर्षों में पलायन हो चुका है, नये उद्योग नहीं लग रहे हैं, उद्योग के नाम पर कुछ चीनी मिलें और बिजली घर लगने के प्रस्ताव शासन के अन्दर विचाराधीन हैं। सिर्फ ड्रेनिंग स्टेट की बदौलत कोई भी सरकार 10 प्रतिशत का ग्रोथ रेट लाये यह तो बहुत ही मुश्किल और दूभर रास्ता है। मान्यवर, हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे फील्ड हैं बहुत सी ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर इण्ड्रस्टलाइजेशन काफी जोरों पर है। लेकिन यू0पी0 में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो हिन्दुस्तान में लोग जानते हों कि उत्तर प्रदेश में अमुक या फलॉ चीज का हब है। न यहां एजूकेशन का हब है न आटोमोबाइल का हब है न ही यहां इलेक्ट्रानिक का हब है न ही यहां सिविल एविएशन मैन्यूफैक्चरिंग का हब है। न यहां सीमेंट का हब है न ही टूरिज्म का हब है। जबकि टूरिज्म के लिये यहां ताजमहल है अगर उसकी व्यवस्था करें तो हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें। व्यवस्था बनाए रखें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आप कौन सी ऐसी योजना ला रहे हैं कौन सी ऐसी चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का 10 प्रतिशत ग्रोथ रेट लाने में यह सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। यह तो सरकार का लक्ष्य होना चाहिये। सरकार का विजन होना चाहिये कि वह किस चीज को फोकस करेगी उत्तर प्रदेश में किस उद्योग को यहां पर प्रोत्साहित करे कि हिन्दुस्तान में यह जाना जाय कि अमुक चीज के लिये उत्तर प्रदेश मशहूर है। जैसे साउथ में एजूकेशन हब बोला जाता है, बंग्लौर में इलेक्ट्रानिक वैरायटी का हब बोला जाता है मद्रास में आटोमोबाइल का हब बोला जाता है। महाराष्ट्र आटोमोबाइल और एजूकेशन का हब बोला जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सिर्फ क्रिमिलाइजेशन के हब के रूप में जाना जाता है। इस छवि को बदलना होगा। यह सरकार इसमें अपनी नीति बताये जो इसमें नहीं बताई गई है। दूसरा मान्यवर, किसी भी स्टेट में अगर उद्योग को लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली सड़क पानी स्थायी सरकार बिजली की समस्या अभी है। सड़क की समस्या कुछ दूर हो रही है पानी की समस्या अभी है। कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय होता है स्थायी सरकार एक महत्वपूर्ण विषय होता है। किसी उद्योग या उद्योगपति को इस प्रदेश में आने के लिये। स्थायी सरकार तो मिल चुकी है कानून व्यवस्था पर अभी सरकार को बहुत काम करने हैं। इस सरकार में आज भी कानून व्यवस्था को आज भी हम ए कैटेगरी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि कोई भी बिजनेसमैन जो उद्योग लगाने के

लिये आता है सरकार के रुख के अलावा उसकी पोलिटिकल पार्टी की क्या रीति नीति है उनके कैडर का क्या कल्चर है क्योंकि रोजाना के क्रियाकलापों में वह बिजनेसमैन उन वर्कर्स की कल्चर से प्रभावित होता है। अगर इन सब चीजों का निराकरण यह सरकार नहीं कर पाती है यह बड़ी भारी चुनौतियां हैं तो हमें विश्वास नहीं है कि 10 प्रतिशत का ग्रोथ रेट यह सरकार उठा पाएगी। मान्यवर, मैं अब इसके बाद अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में हमारे जिले देवरिया में दो नेशनल हाइवेज के लिये भारत सरकार से पत्र आये हैं प्रदेश सरकार को उस पर अनापत्ति देनी है। हम चाहेंगे कि प्रदेश सरकार उस पर अनापत्ति दे और जनपद देवरिया में जहां कोई नेशनल हाई वे नहीं है भारत सरकार का यह नियम है कि अधिक से अधिक नेशनल हाई वे बनाये जायं और सड़कों का व्यापक जाल बिछाया जाय। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी अनुमति दे। हम यह चाहेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जोड़ा जाय और सरकार इसको पारित करे। जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय। सरकारी मेडिकल कालेज की एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाय और एक आई0आई0टी0 की स्थापना की जाय। हम यह चाहेंगे कि रुद्रपुर जनपद देवरिया में बिजली की समस्या बहुत है 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन स्थापित किया जाय और 33 के0वी0ए0 का सब स्टेशन स्थापित किया जायं मान्यवर, इन्हीं सब बातों के साथ में सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं। जो बातें मैंने कहीं हैं सरकार उसको जरूर अमल करे तभी 10 प्रतिशत का ग्रोथ रेट हम उत्तर प्रदेश में ला सकेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में हम 10 प्रतिशत ग्रोथ रेट लाएंगे तो हमारा नेशनल ग्रोथ रेट जो 7-8-10 प्रतिशत के बीच घूम रहा है वह उसमें दो तीन प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा जो देश के लिये बहुत बड़ा एचीवमेंट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा रखें गये विश्वास मत पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण कोई कोरा कागज या उपन्यास या कोई कहानी नहीं होता। राज्यपाल जब यहाँ पर अपना भाषण करते हैं तो उसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का लेखा जोखा होता है। जब वह यहाँ पर भाषण देते हैं तो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता यह देख रही होती है कि सरकार उस जनता के हित के लिये इस सदन में किन-किन कार्यक्रमों को लेकर आई है। वैसे तो मान्यवर, आपके सामने दाईं और बांयीं तरफ बैठे सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में जाने जाते हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी कोई जाकर उधर बैठता है तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी कोई इधर आकर बैठता है। लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए आज वह भी बदली नजर आ रही है। सत्ता में जो लोग कल आपके बॉयी ओर बैठे थे। आज दांयीं ओर बैठे हैं और उन लोगों का चरित्र भी बदला नजर आ रहा है। कल तक जो भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त प्रशासन देने का दावा करते थे। आज जब यह लोग दो-दो सी0एम0ओ0 और एक डिप्टी सी0एम0ओ0 के कत्ल में फॅसते हुए नजर आ रहे हैं, एन0आर0एच0एम0 के घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थर और मूर्तियों के घोटाले में फॅसते नजर आ रहे हैं तो आज यह विलाप करते घूम रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसी सरकार को झेलने का काम किया है। अगर कोई आवाज उठाता था तो या तो उसकी आवाज बन्द कर दी जाती थी या उसको जेल के अन्दर डाल दिया जाता था। एक भय का वातावरण था। जनता ही नहीं जनप्रतिनिधि भी उस भय के वातावरण में अपना समय काट रहे थे। नेता प्रतिपक्ष इस समय मौजूद नहीं हैं, मैं तो चाहता था कि मौजूद रहते तो मैं उनकी सरकार का आइना भी उनके सामने रखता। नेता प्रतिपक्ष और उनके दल के लोग निजी तौर से सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, मुझे जानकारी है, लेकिन यह बेचारे मजबूर हैं। यह जानते हैं कि सरकार कृत संकल्पित है, सरकार ने जिन योजनाओं को जनता के बीच में रखा है, उनसे जनता का भला होने जा रहा है, लेकिन यह अपने दिल की बात तो जबान पर नहीं लाते। एक रिमोट कन्ट्रोल से चलते हैं और वह रिमोट कन्ट्रोल देश की राजधानी दिल्ली से चलाया जाता है। जब रिमोट को ऑन किया जाता है तो वह बोलता है और जब उसको आफ किया जाता है तो वह बंद हो जाता है। वह उतना ही बोलता है जितना बोलने के लिये आदेश मिलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर यह ज्यादा बोलेंगे तो इनकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। आज ही हमारी इस सरकार ने जो-जो अपने मैनोफेस्टो में वादा किया था, मैं तो बधाई देना चाहता हूं। अपने युवा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि चुनाव से पहले उन्होंने जनता से जो-जो वायदे किये थे। उनको अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन वायदों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। चाहे कन्या विद्याधन हो, बेराजगारी भत्ते की बात हो, चाहे कृषक दुर्घटना बीमा की रकम को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये देने की बात हो।

मान्यवर, 10वीं और 12वीं पास छात्र/छात्राओं को टेबलेट और लैपटॉप देने की बात है। यह बात हमारी सरकार ने कही है, उसको वह पूरा करेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जनता से जो वायदा किया था उस पर उन्होंने कैबिनेट की प्रथम बैठक से ही निर्णय लेना शुरू कर दिया है। मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले पांच वर्ष में जो सरकार रही उसकी मूर्ति और पत्थर लगाने की योजनाओं से जनता पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका हश्र उस सरकार ने देख लिया। आज उत्तर प्रदेश की

जनता मूलभूत सुविधाओं सड़क, पानी, बिजली के लिए सरकार की ओर आशाभरी निगाहों से देख रही है। इस सरकार के आने से एक अच्छा माहौल बना है। मान्यवर, पिछली सरकार ने पांच वर्षों के समय के भीतर जो जनता से और जन प्रतिनिधियों से नाता तोड़ रखा था, लेकिन इस सरकार ने आते ही जनता से नाता जोड़ लिया है। जन प्रतिनिधियों के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने अपने दरवाजे खोल दिये हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुस्लिम समाज की हाईस्कूल पास बच्चियों की पढ़ाई और शादी के लिए एकमुश्त तीस हजार रु0 की धनराशि अनुदान के रूप में देने की बात कही है। इसी तरह से, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 कोचिंग के लिए लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर की स्थापना की बात कही है जो स्वागत योग्य है। मान्यवर, इसी तरह से, जो हमारे प्रदेश में कब्रिस्तान हैं उन पर अतिक्रमण रोकने के लिए चहारदीवारी बनाने का निर्णय लिया है, जो काबिले तारीफ कदम है। मान्यवर, हमारी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में जिन-जिन बातों को करने के लिए कहा था। उनको पूर्ण करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिये हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये भी हैं और सरकार उस दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रही है। मान्यवर, पिछली सरकार ने जिन-जिन व्यापारियों पर धारा 3/7 के माध्यम से जो उत्पीड़न करने का काम किया था, उसका हश्र इस चुनाव में पिछली सरकार के नेताओं ने देख लिया है। आज हालत यह हो गयी कि पिछली बार इनके 230 विधायक थे। इस बार 80 माननीय विधायकगण ही चुनकर आ पाये हैं। मान्यवर, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के माध्यम से हमें यह सुनने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया है, हमारी समाजवादी पार्टी पर कि इसमें परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वह इस समय यहां पर नहीं हैं कि पिछले चुनाव में उनके परिवार के कितने सदस्य चुनाव लड़े थे विधान सभा का और कितने अन्य पूर्व विधान सभा के सदस्यों के परिवारीजनों को टिकट दिये गये थे। मान्यवर, मैं इस सोलहवीं विधान सभा के लिए निर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मा0 मुख्यमंत्री के रूप में, नेता सदन के रूप में एक ऐसे नौजवान युवा व्यक्ति को चुना है जो प्रगति के मार्ग पर इस प्रदेश को आगे ले जाने का संकल्प रखते हैं, जिनका मन और मस्तिष्क बिल्कुल साफ है कि कैसे इस प्रदेश को तरक्की दी जाये। जो प्रदेश की जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है जो नौजवानों और बेरोजगारों के बारे में सोचते हैं, जिनके मन में व्यापारियों के प्रति पूरा आदर और सम्मान है। मैं उनको बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे.....

श्री अधिष्ठाता-

आपके दल की ओर से जो सूची आई उसके अनुसार बुलाया जाएगा।

श्री रोशन लाल वर्मा-

श्रीमन् मेरा व्यक्तिगत मामला है दो मिनट सुन लिया जाए बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

राज्यपाल के अभिभाषण पर, संशोधन प्रस्ताव पर, आप बल देने लिए खड़ी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने 5 से 7 मिनट का समय निर्धारित किया है हमारा अनुरोध है कि आप समय सीमा के अन्दर रहें।

श्रीमती रजनी तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण संशोधन पर वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सवायजपुर जनपद हरदोई प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में एक है। यह पांच नदियों से घिरा हुआ है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से यहां भयंकर त्रासदी होती है। बाढ़ के कारण से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जिस समय बाढ़ आती है उस समय सभी क्षेत्रवासी उसी बाढ़ में फंसकर रह जाते हैं। उनके पास कोई सहायता भी नहीं पहुँच पाती है। इसलिए इस क्षेत्र में छोटे पुलों की अति आवश्यकता है तथा रामगंगा नदी पर दो जनपदों हरदोई एवं फर्रुखाबाद को जोड़ने के लिए बड़ागाँव, अर्जुनपुर के मध्य पुल की अति आवश्यकता है। विगत 30 वर्षों से पी0डब्लू0डी0 इस स्थान पर पैन्टून पुल बनवाता है। इस स्थान पर 100 से अधिक लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। बड़ागाँव, अर्जुनपुर पुल निर्माण इस क्षेत्र की सबसे बड़ी माँग एवं आवश्यकता है। पुल न होने के कारण रामगंगा नदी के पार रहने वाले क्षेत्रवासी लगभग 100 किलोमीटर घूमकर आते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी मैं सदन में दुबारा चुनकर आयी हूँ। पूर्व में बी0एस0पी0 की सरकार में मेरे प्रस्ताव पर चार पुलों की मंजूरी प्रदान की गयी थी। मेरे अथक परिश्रम से पुलों के लिए धन आवंटन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जो कि अब पूर्ण होने को है। माननीय अधिष्ठाता जी, जिन पुलों का निर्माण मेरे अथक प्रयास से मेरे प्रस्ताव पर किया गया था उन पर स0पा0 सरकार के गठन होते ही स0पा0 का पत्थर लगाकर शिलान्यास कर दिया गया। जबकि पुलों का निर्माण लगभग पूरा होने को है। जो उस पत्थर पर लिखा है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व की बी0एस0पी0 सरकार में मेरे क्षेत्र में 56 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु रु0 1 करोड़ 52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी

थी जिस पर कार्य आरम्भ कर दिया गया था परन्तु नयी सरकार का गठन होते ही इस कार्य पर रोक लगा दी गई। माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहर डिवीजन शाहजहांपुर से दो रजवहे एक बरवन, रजवहा दूसरे रुपापुर रजवाहे में पानी नहीं आता। इन रजवहों की न सफाई करवाई जाती है न पानी छोड़ा जाता है जिससे क्षेत्रीय किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कस्बा सवायजपुर तहसील मुख्यालय है। यहां पर फायर स्टेशन का होना अति आवश्यक है। जिला मुख्यालय से अधिक दूरी होने के कारण जब तक फायर स्टेशन से गाड़ियां आती हैं। तब तक काफी नुकसान हो जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कारण यहां पर 70 प्रतिशत मकान कच्चे एवं झोपड़ियां हैं। आग लगने से अक्सर बड़ी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसी तरह से मान्यवर बरसात के दिनों में जब भी बांधों से पानी छोड़ा जाता है तो इस क्षेत्र की पांचों नदियां तबाही फैला देती हैं तो यदि बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई स्थायी प्रबन्ध कर दिया जाय तो इस क्षेत्र को बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलेगी और विकास होगा। धन्यवाद्।

श्री सईद अहमद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की, नेता प्रतिपक्ष ने दो दिन पहले कहा था कि यह किसान विरोधी सरकार है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जन विरोधी सरकार पिछली सरकार रही है। किसान विरोधी सरकार पिछली सरकार रही है जिसने मूर्ति स्मारक बनाने का काम किया।

चौवालीस हजार करोड़ रुपया जनता का बर्बाद किया गया था, मैं इस सदन में सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इलाहाबाद में कचरी के किसानों ने पूर्ववर्ती सरकार में लाठी खाने का काम किया है। गाजियाबाद का किसान जिसकी जमीनें छीनने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, किस प्रकार नेता विरोधी दल ने इस सरकार को किसान विरोधी सरकार कहने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ, इसके पहले की सरकार में प्रदेश के किसानों ने एक बोरी खाद के लिए लाठी खाने का काम किया था। एक-एक किलोमीटर लम्बी किसानों की लाइन लगती थी, एक बोरी खाद पाने के लिए। लाइन से बे-लाइन किसान होता था तो लाठी खाता था। अधिष्ठाता महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ऐसी सरकार जिसने जनविरोधी कार्य किया था, उनके कार्यकाल में लूट-खसोट का राज रहा है, पूरी गुण्डागर्दी की सरकार थी, पूरे 5 साल गुण्डागर्दी की सरकार चली है जिसके कारण प्रदेश ने 5 साल पीछे जाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार जो न किसानों की रही, न नौजवानों की, न गरीबों की, यहाँ तक कि बच्चियों की भी वह सरकार

नहीं रही, बच्चियों को जो वजीफा मिलता था, 20 हजार रुपये का, उस सरकार ने उसे बन्द करने का काम किया था। वह जनविरोधी सरकार थी, किसान विरोधी सरकार थी। मैं बताना चाहता हूँ किसान आन्दोलन को कुचलने का काम किया गया था और प्रदेश के किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी अपनी किसी माँग के लिए विधान सभा के सामने अपनी माँग रखने आता था तो शायद ही किसी विभाग का कर्मचारी हो जिसने लाठियाँ खाने का काम न किया हो। इस प्रकार से एकदम आतंक का राज रहा या काला दिवस की तरह पूरे 5 साल रहा है। हम लोग अंग्रेजों के शासन से उसकी तुलना करने लगे थे, उस सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी बात सुनी थी, सड़क पर उनकी लड़ाई लड़ी है, किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने उस पर उँगली तक नहीं उठायी, उनकी मौन स्वीकृति रही है। मैं कहना चाहता हूँ। आज जनता का जनादेश जो आया है, वह पूरी तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने और जनता ने जो अपमान सहा है, जनता ने जो परेशानियाँ सही हैं, उसके परिणाम स्वरूप आया है। ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष को हमारी सरकार पर उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि सरकारी अधिकारी और मुख्य मंत्री मिलकर लूट कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस सरकार में डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या कर दी जाए, 25-25 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी मंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ गयी हो, ऐसी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को हमारी सरकार पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बसपा के मंत्री और उनके विधायकगण, उन लोगों ने खुलेआम महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार किया था, कल एक विपक्ष के नेता ने बात उठायी थी, एक थाने की मुझे याद है, लखीमपुर खीरी थाने में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी लाश को थाने के प्रांगण में लटका देने का काम किया गया था, ऐसी पूर्ववर्ती सरकार रही है। इन लोगों को हम कहना चाहते है, मुस्लिम समाज की ओर से, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पिछले चुनाव में बसपा को वोट देने का काम किया था लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुस्लिम समाज का बहुजन समाज पार्टी ने किया था। मैं कहना चाहता हूँ, याद कर लें, बहुजन समाज पार्टी के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम समाज का वोट मिलने वाला नहीं है। पूरे तौर पर मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया मोहम्मद आजम खां ने मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ी है। 15-20 वर्षों से हम लोगों ने महसूस किया है कि मुस्लिम समाज की शुभचिन्तक समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। और करती रहेगी। मैं इस सदन में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर चुनकर माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को देश का मुखिया प्रधानमंत्री बनवा दें तो देश की महंगाई की समस्या समाप्त हो जाएगी। मान्यवर, मेरे

क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। फूलपुर विधान सभा में इलाहाबाद-गोरखपुर राजमार्ग मुख्य मार्ग है। वहां से फूलपुर में एक रेलवे फाटक है वहां पर बाईपास मार्ग बनाने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर बहुत जाम लगता है। सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक बाईपास मार्ग बनाने का काम किया जाये। मान्यवर, मेरा क्षेत्र चूंकि कछारी और पठारी है, गंगा और जमुना नदी का किनारा पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि गंगा जमुना के संगम के किनारे से कम से कम 1 किमी0 तक बांध बनवाने की आवश्यकता है। उस पूरे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न के बराबर है। पूर्ववर्ती सरकार और उसके विधायक ने कहीं कुछ नहीं किया है। वहां कम से कम मेरे क्षेत्र में 25 नलकूप की आवश्यकता है। पेयजल की समस्या है। वहां विद्यालय बिल्कुल नहीं है। बच्चियों के लिये प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल नहीं है और साथ ही साथ वहां पर पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 की व्यवस्था करने का भी काम किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री राघव लखनपाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव को बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश, प्रदेश और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और वास्तव में यदि हम भारत की बात करें तो वह उसका किसान होता है और जब तक हमारे देश, प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक वह प्रदेश भी खुशहाली, उन्नति और विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। मान्यवर, किसान से जुड़ा हुआ उद्योग है। उद्योग और खेती यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग से यदि हम देखेंगे तो हम कभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पायेंगे जहां हमें बहुत पहले होना चाहिये था। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में जिस प्रकार से यह कहा गया है कि मेरी सरकार का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे आकर्षक निवेश प्रदेश के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। एक औद्योगिक वातावरण बनाने की बात कही गयी है। कल ही इसी माननीय सदन के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत सुनहरा वादा किया कि किसानों को उचित दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाएगी। बहुत बढ़िया, हम इसके लिये आपको बधायी देते हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं। किन्तु आप एक बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे को देंगे यह कहां तक उचित है यह सोचने का विषय है। आप किसान को सही रेट पर या कम रेट पर बिजली उपलब्ध कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ उद्योगों को महंगी दर पर बिजली उपलब्ध कराना चाहते हैं तो फिर कहां से औद्योगिक वातावरण और कहां से वह वादा जो आपने किया है वह कहां से पूरा होता है। मान्यवर, पिछले 5 वर्षों की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार में मुझे भी यह अवसर था कि मैं इसी स्थान पर बैठा था और मैंने यह देखा था कि पिछली सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया और आज यदि हम अपनी तुलना अन्य प्रदेशें से करें या गुजरात जैसे विकसित प्रदेश से तुलना करें, जिसके लिये फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि गुजरात चीन के ग्वांगडांग प्रोविंस जितना तरक्की कर चुका है और औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। आज फाइनेंशियल टाइम्स यह बात कह रहा है। तो कहां हम खड़े हैं इस दृष्टि से यह सोचने का विषय है और ऐसे ढंग से यह सरकार कदम उठायेगी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये यह भी सोचने का विषय है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, दुनियां ढांचा ही नहीं, सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं हैं, इण्डस्ट्रियल जोन्स नहीं है, कुछ हल्की फुल्की बात कही गई है कि इण्डस्ट्रियल जोन्स क्रियेट किये जायेंगे, लेकिन क्या उनका स्वरूप रहेगा, क्या कुछ वहां उपलब्ध रहेगा, यदि बिजली महंगी मिलेगी या बिजली मिलेगी ही नहीं तो कहां जेनरेटर के सहारे उद्योग चलेंगे। तो मान्यवर, एक बहुत ही ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ रही है प्रदेश की कि मुझे तो आगे बिजली जो है नहीं उपभोक्ताओं के लिये भी नहीं है, घरेलू भी नहीं, किसानों के लिये भी नहीं, आगे उद्योगों के लिये भी नहीं, केवल अंधकार ही अंधकार सामने व्याप्त है और वह नजर आ रहा है। मान्यवर, उद्योग लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर आपको यह बेरोजगारी भत्ता नहीं देना पड़ेगा, तीस से चालीस वर्ष की उमर के लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं क्या चालीस वर्ष की उमर में जिन्दगी पूर्ण हो जाती है या उसके बाद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती या उसके बाद रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती, क्या मानक क्या है या इसमें समझदारी क्या है, इसका औचित्य क्या है, मेरी समझ से बाहर है, शायद सरकार के लोग ज्यादा बेहतर समझते हों, लेकिन हम क्यों अपने नौजवानों को निर्भर कर रहे हैं किसी भत्ते पर, क्यों उनसे कह रहे हैं कि आप सरकार से भत्ता लो। मान्यवर, इस प्रकार के बेरोजगारी भत्ता बहुत से प्रगतिशील विकसित देशों में भी हैं। जैसे नार्वे का मैं उदाहरण आपको बताता हूं और मेरे मामा जी का बेटा वहीं पर रहता है वह मुझे बता रहा था कि वहां उस बेरोजगारी भत्ते को लेने से लोग परहेज करते हैं, शरम करते हैं, उन्हें शर्म आती है उसे लेने से कि कहीं उनका नाम यदि उस लिस्ट में आ गया तो समाज में उनकी बदनामी होगी, लेकिन मान्यवर यहां हमने प्रदेश को ऐसी हालत में छोड़ दिया है, नौजवानों का ऐसा हाल कर दिया है कि उनके लिये रोजगार के लिये प्रदेश में कहीं कोई अवसर नहीं है और उनको मजबूरन लाइनों में धूप में खड़ा होकर आवेदन करना पड़ रहा है बेरोजगारी भत्ते के लिये।

मान्यवर, उद्योगों को बढ़ावा दीजिये, यहां उद्योग स्थापित कीजिये, रोजगार जेनरेट कीजिये, लोगों को रोजगार दिलवाइये और जब रोजगार आप दिलवायेंगे तो एक कम्पटीशन का माहौल होगा, उस कम्पटीशन में यह आवश्यक है कि हम अपना शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें

भी सुधार लायें। अभिभाषण में यह कहा गया है कि प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में आठवीं कक्षा तक मुफ्त किताबें दी जायेंगी और कन्याओं को हर वर्ष दो वस्त्र मुफ्त दिये जायेंगे। दीजिये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा, क्योंकि आज यदि हमारे प्राइमरी स्कूल में आप देखें एक अध्यापक यदि ढाई सौ, तीन सौ बच्चों को एक घण्टे के लिये ढंग से बिठा ले, इस बीच वह मतगणना का भी काम कर रहा है और मिड-डे-मील भी बना रहा है और न जाने क्या-क्या काम कर रहा है, यदि वह एक घण्टा उन्हें बिठा ही ले तो बहुत है, शिक्षा को क्या उन तक पहुंचा पायेगा। तो मान्यवर, गुणवत्ता बढ़ाने की, बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय खड़े करने की आवश्यकता है। यदि मैं बात करूं पश्चिम क्षेत्र की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में तो मान्यवर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद न जाने कितने जिलों से दस लाख से भी अधिक छात्र वहां पढ़ने आते हैं, क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है सहारनपुर जैसे जिले में जो अपने आप में एक मण्डल भी है। वहां एक यूनिवर्सिटी चालू की जाय और वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्सेज जो इन्जीनियरिंग के रिलेटेड हों, मैनेजमेन्ट से रिलेटेड हों या मेडिकल से रिलेटेड हों उनको जोड़ा जाय। सहारनपुर में एक स्पोर्ट कालेज भी है, मेडिकल कालेज भी है उनको भी इस यूनिवर्सिटी के भीतर लिया जाय, इससे कितना लाभ होगा और जब आप लोगों को शिक्षित करेंगे, आगे उन्हें रोजगार दिलवायेंगे तो प्रदेश निश्चितरूप से उन्नति की ओर बढ़ेगा। मान्यवर, हमारे नगरीय क्षेत्र बिल्कुल कूड़े के ढेर हैं, न सीवर हैं, न सड़कें हैं, न साफ-मथुरा पानी है पीने का, सहारनपुर की भी यही दुर्दशा है और प्रदेश के सभी शहरों की यही दुर्दशा है। मान्यवर आप पंजाब का उदाहरण लीजिये। पंजाब सरकार ने हर गांव में आर0ओ0 सिस्टम इन्स्टाल किया है। वहां 60 रुपये प्रतिमाह प्रति घर से वो लेते हैं और साफ स्वच्छ पीने का पानी देते हैं। शायद उ0प्र0 में 60 रुपये ज्यादा हो तो 30 रुपये कर दीजिये। बी0पी0एल0 परिवार हैं तो उनके लिये मुफ्त कर दीजिये और यदि आप कहते हैं कि आपके पास पैसा ही है इन स्कीम्स के लिये तो मैं कहता हूं कि मान्यवर, क्यों नहीं है। अनावश्यक दीवारों को बनाने की क्या जरूरत है। क्यों खाईं पैदा कर रहे हैं समाज के बीच में, क्यों दीवार डाल रहे हैं आप समाज के बीच में। अच्छे सीधे सकारात्मक कदमों पर अपना पैसा लगाइये और इस प्रदेश का उन्नति की राह पर चलाइये। मान्यवर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि 10 प्रतिशत जी0डी0पी0 की ग्रोथ होगी। न जाने किस चीज की ग्रोथ होगी। भ्रष्टाचार की होगी या क्राइम की होगी। कानून व्यवस्था किस प्रकार से ठप है। इसका सीधा उदाहरण मा0 मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में अभी जो नरसंहार हुआ है 6 लोगों का वह एक सीधा साधा उदाहरण आपके सामने है मान्यवर। अन्त में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे अभिभाषण में मैं एक ही चीज से सहमत हूं, एक ही पैराग्राफ है जो सच

है और सत्य है और वो पैराग्राफ यह है मान्यवर पहले पृष्ठ पर कि यह राज्य पिछले 5 वर्षों में देश के इतिहास का सबसे बड़े भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों के उत्पीड़न और जंगलराज का गवाह बना है। जनता को पत्थर, मूर्तियों और स्मारकों के अलावा और कुछ नहीं मिला। मान्यवर, कहीं ऐसा न हो कि 5 वर्षों बाद जब दूसरी सरकार आये तो, हमारी सरकार आये तो इसी प्रकार से अभिभाषण में लिखा जाये कि प्रदेश को दीवारों के अलावा और कुछ नहीं मिला। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया धन्यवाद।

(राधेश्याम जी के बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

देखिये जो व्यवस्था मा0 अध्यक्ष जी ने दी है उसी अनुसार होगा। सण्डाजी के बाद आपको मौका मिलेगा। इसके बाद आपको मौका दे देंगे। श्री अनूप सण्डाजी, इसके बाद श्री राधेश्याम जी।

श्री अनूप सण्डा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर श्री योगेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं और सिर्फ इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का एक सदस्य हूं। बल्कि इसलिये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं कि 5 साल की तानाशाही के बाद आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आयी है जो सरकार गांधी के दरिद्र नारायण के प्रति और डा0 लोहिया के उस गरीब आदमी के प्रति समर्पित है जिसके बारे में डा0 लोहिया ने कहा था कि मेरे पास आज कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हिन्दुस्तान का गरीब आदमी यह समझता है कि डा0 लोहिया उनका अपना आदमी है और आज उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी यह समझता है कि मा0 अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वह उसकी अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश के गरीबों की सरकार है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रहा है। हमको याद है कि पिछली विधान सभा में भी बैठने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। मान्यवर, लखनऊ की सड़कों पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का काफिला जब निकलता था तो आपात स्थिति लग जाती थी। मान्यवर, विधायक रहते हुये भी हम लोगों को सड़क पर आधा-आधा घण्टे इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मा0 अखिलेश यादव जी ने शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को यह अहसास कराया है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि किस तरीके से होना चाहिये और आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का गरीब, अमीर हर आदमी इस सरकार को अपनी सरकार समझता है। मान्यवर, इस सरकार में जहां एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के प्रति समर्पण है, सादगी

है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के विकास के लिये एक आधुनिक सोच है, एक सोच है किस तरीके से इस प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है। मान्यवर, डा0 लोहिया से किसी ने पूछा कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि दो शब्दों में यदि समाजवाद की परिभाषा देनी हो तो समता और सम्पन्नता युक्त समाज का निर्माण समाजवाद का लक्ष्य है और समाजवाद की परिभाषा है और मान्यवर, आज समाजवादी पार्टी की सरकार जो मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही है। आज उत्तर प्रदेश को समता और सम्पन्नता युक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। इस बात के लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, एक तरफ किसानों के लिये, जिन किसानों का 5 साल लगातार उत्पीड़न किया गया। खाद नहीं दी गयी, बिजली नहीं दी गयी। खेत की सिंचाई के लिये नहर में पानी नहीं दिया गया। वही आज हमारी सरकार ने आने के बाद तत्काल यह फैसला किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के किसानों की बीमा की रकम एक लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपये की जायेगी। मान्यवर, इस बात पर भी हम लोगों को विचार करना है। मान्यवर, यह ऐसी सरकार है जिसने जहां एक तरफ गांव के गरीबों के बारे में सोचा, गरीब परिवारों के लिये कन्या विद्या धन योजना शुरू की, वहीं पढ़ने वाले छात्रों के लिये कम्प्यूटर और लैपटॉप के बारे में भी सोचा। मान्यवर, यह वह सरकार है जिस सरकार में डा0 लोहिया का नारा था, समाजवादियों का नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा, पढ़ाई मुफ्ती होगी और पिछली सरकार से मान्यवर, हम लोग निवेदन करते रहे सरकार से कि जो गरीब है जिनके पास इलाज के लिये धन नहीं था, उनके इलाज के लिये सरकार, मा0 मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से कुछ धन दे दें एक भी गरीब मरीज को एक भी पैसा सरकारी खजाने से नहीं मिला, लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने घोषणा कर दी कि अपने सारे मेडिकल कालेजों और सरकारी संस्थानों में गम्भीर रोग के इलाज की मुफ्त व्यवस्था कराई जायेगी और डा0 लोहिया के इस नारे को साकार करने का काम किया है कि दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। मान्यवर, हम आपसे कहना चाहते हैं इस सम्मानित सदन से कहना चाहते है आपके माध्यम से कि मान्यवर, आज एक तरफ जहां प्रदेश में 5 साल भय का, भ्रष्टाचार का, आतंक का माहौल रहा, वहीं आज यह सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। लखनऊ को मेट्रो रेल से जोड़ने की तैयारी हो रही है, लखनऊर को मेट्रो रेल देने की तैयारी हो रही है और इस प्रदेश में लगातार किसानों की समस्याओं को नहीं सुना गया, बिजली का सवाल लोगों ने उठाया। मान्यवर, हम लोग जानते हैं कि पिछली सरकार में गावों में 2 घंटे, 3 घंटे बिजली मिलती थी, जबकि हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने उन छात्रों के लिये जो इण्टर और हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उनके पढ़ाई के समय में रात में 6 बजे से 10 बजे तक अबाध बिजली की आपूर्ति देने का काम किया। इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सण्डा साहब, कृपया समाप्त करें।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, नदियों के प्रदूषण के लिए, हमारी सरकार की इस बारे में भी परियोजना है,और मान्यवर, डा0 लोहिया ने 1956 में कहा था कि यदि नदियों को प्रदूषण से मुक्त नहीं कराया जाएगा तो फिर इस देश के ऊपर बड़ा भारी संकट आने वाला है। उन्होंने कहा था कि नदियाँ इस देश की जीवन रेखा हैं। जहाँ एक तरफ लोगों की आशाएँ जुड़ी हुई हैं नदियों से, वहीं दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन नदियों के माध्यम से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, और मान्यवर, इन नदियों की सफाई के बारे में, प्रदूषण के बारे में भी सोचने का काम मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि तमाम कब्रिस्तान हैं पूरे प्रदेश में, जिन कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जा हो रहा है, जिन कब्रिस्तान के ऊपर अवैध कब्जे किए जा रहे थे। सरकार ने नीति बनाई है कि प्रदेश के समस्त कब्रिस्तानों के ऊपर शासन द्वारा बाउन्ड्रीवाल और चहारदीवारी का निर्माण करने का काम किया जायेगा और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने एक ऐसी सोच विकसित करने का काम किया है मान्यवर, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। मान्यवर, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, आठवीं तक की गरीब बच्चियों को साल में दो जोड़ी ड्रेस, स्कूल की यूनिफार्म देने का काम तथा अच्छे अंक से पास होने वाली बच्चियों को साइकिल देने का काम हुआ है और मा0 अध्यक्ष जी अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, बेकारी भत्ते के बारे में उन्होंने टिप्पणी की। हम कहना चाहते हैं मान्यवर, कितने ही समय के लिए सही लेकिन उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के दर्द को जो समझने का काम किया है। यह काम सिर्फ एक समाजवादी सरकार ही कर सकती थी और उस समाजवादी सरकार ने लोहिया के सपने को साकार करने का काम किया है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। श्री राधेश्याम जी उसके बाद बोलेंगे।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया हालांकि कृपा आपकी मुझ पर नहीं हो पाई। मै आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री राधेश्याम-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं इस सदन में पहली बार सदस्य हुआ हूँ और आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, जहाँ तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव की बात है मेरा मानना है कि अभिभाषण में किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया गया है जिससे नौजवानों की समस्याओं या दूसरे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका निराकरण कराया जाय। मेरी विधान सभा दो जिलों में बंटी हुई है तहसील हेडक्वार्टर कहने के लिए एक भी नहीं है लेकिन 3 तहसील हेडक्वार्टर हैं और 5 ब्लाक हैं, गोमती नदी के किनारे का क्षेत्र है बल्दीराय ब्लाक क्षेत्र में दो थाना क्षेत्र आते हैं आये दिन अग्निकांड होता है। वहाँ पर फायर की कोई गाड़ी नहीं है और जिला मुख्यालय से आते आते पूरा गांव तबाह हो जाता है। बहुत सारे अग्निकाण्ड हो चुके हैं और बहुत नुकसान हो चुका है। मेरी मांग है कि प्रथम वरीयताक्रम में वहाँ फायर की गाड़ी थाना हलियापुर में उपलब्ध करा दी जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा नया जिला बनाया गया है जिला मुख्यालय पहुँचने के लिए तहसील हेडक्वार्टर ब्लाक मुख्यालय से अधिकारियों के पास जाने के लिए क्षेत्र की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा कोई बस का इंतजाम नहीं है जो प्राइवेट टैक्सियां होती हैं वह मनमाना किराया वसूलती हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए बस का संचालन कराया जाय। पूर्व में हमारी विधान सभा में पूर्वांचल विकास निधि के द्वारा 10 गांव में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए विभाग को धन दिया गया लेकिन उसके ट्रांसफार्मर आज तक नहीं बदले गये। गोमती नदी हमारे क्षेत्र से होकर निकलती है ग्राम साल्पिन में एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है जोकि आजकल बन्द पड़ा हुआ है उस पर निर्माण को बन्द न किया जाय उसे पूर्ण कराया जाय। सुकुल बाजार मुख्यालय में पीएचसी को सीएचसी में परिवर्तित करके उसकी बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था, जो आधा-अधूरा कार्य करके बन्द कर दिया गया है उसको पूर्ण कराया जाय। औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर हमारी विधान सभा में है वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा हिन्दोस्तान पेपर मिल लगाने का प्रस्ताव रखा गया है उसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाय। इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराया जाय जो क्षेत्र की जनता के दोनों समुदाय के लोगों की भावनाओं को पूरा करती है वह हरगांव है वहाँ से शुरू हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके मंडरी शाह बाबा की एक मजार होती है उसको छूते हुए सूरतगढ़ गांव को टच करती है जो लगभग 12 कि0मी0 है उस सड़क का निर्माण कराया जाय। इसके साथ-साथ आपसे एक क्षेत्र की समस्या के बारे में और कहना है कि हमारे यहाँ जगदीशपुर 33/11 केवीए का पावरहाउस जगदीशपुर में बना हुआ है वहाँ से देवकली फीडर के लिए लगभग 3 न्याय पंचायत को विद्युत आपूर्ति की जाती है जो वहाँ के 11000 के0वी0ए0 के तार पूरे जर्जर हैं इस तार को बदलवाया जाय। जिससे आपूर्ति सही हो सके और हैदरगढ़ खंड-28, जो कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के दो ब्लाक की सिंचाई के लिये कार्य करता है और 28 का संचालन हैदरगढ़ मुख्यालय से होता है जहाँ पहले एक्स0सी0एन0 बैठते थे, पिछली सरकार ने उस आफिस को तेलीबाग, लखनऊ शिफ्ट कर दिया जिसकी वजह से न तो कोई अधिकारी जिला स्तरीय मीटिंगों में जाता है और न नहरों में पानी जा रहा है। यह समस्या वहां बनी हुयी है, उसके संदर्भ में इतना ही कहना है कि उपरोक्त खंड-28 मुख्यालय जो हैदरगढ़ था, उसको पुनः हैदरगढ़ में ही रखा जाये, तभी इस समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा जो पानी हम लोगों को सिंचाई के लिये नहीं मिल पाता है वहाँ पर सहियनघाट में एक कैनाल बना करके गोमती नदी से पानी लेकर सिंचाई की सुविधा कराई जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री मो0 इरफान का नाम पुकारे जाने पर बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य खड़े होकर बुलवाये जाने का अनुरोध करने लगे, जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

इसके बाद आपका ही नाम पुकार लिया है। आप लोग बैठ जाइये देखिये, जो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी ने बनाई है, उसके अनुसार एक माननीय सदस्य इधर से और एक माननीय सदस्य इधर से बोलेगा। मैं आपका नाम पहले ही ले चुका हूँ और आपका नाम आ चुका है। इसके बाद आपही बोलेंगे।

श्री मो0 इरफान-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं पूर्ण रूप से सम्मान करते हुये धन्यवाद देता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो प्रस्तावित योजनायें व घोषणायें की हैं वह अत्यन्त लाभकारी और जनहित की हैं। यह प्रदेश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगी। इसके लिये सूबे की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो वायदे चुनाव के दौरान जनता से किये थे, उनका अनुपालन हो रहा है और माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत काबिलेतारीफ सरकार चल रही है। इतने अल्प समय में पुरानी जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये जो ठोस कदम उठाये गये हैं, वह काबिलेतारीफ है। इसके लिये सरकार बधाई की

पात्र है। बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ आदरणीय अधिष्ठाता महोदय मैं आग्रह करता हूँ कि जनपद भीमनगर और मुरादाबाद दो जिलों के पुनर्गठन मे बड़ी विचित्र स्थिति पुरानी सरकार के समय में पैदा हुयी जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव मेरी विधान सभा पर हुआ है जो दोनों जिलों में है। थाना कुढ़फतेहगढ़, बनिया ठेर, हजरतनगर गढ़ी और मैनाठेर में से केवल मैनाठेर का जिला मुरादाबाद हेडक्वार्टर है। इसमें काफी ग्राम जनपद भीमनगर के हैं तथा कुढ़फतेहगढ़, बनिया ठेर थाने जनपद भीमनगर के हैं। इसमें काफी ग्राम जिला मुरादाबाद के हैं। एक थाना हजरतनगर गढ़ी का हेडक्वार्टर जिला भीमनगर में है लेकिन यह थाना मुरादाबाद हेडक्वार्टर से गवर्न होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पुनर्गठन का कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिये कि ग्रामों का, थाना, तहसील, जिला, एक ही जनपद से गवर्न हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ब्लाकों का पुनर्गठन भी इस प्रकार होना चाहिये मौजूदा समय ब्लाक बिलारी जिला मुरादाबाद की 81 में 28 ग्राम पंचायतें तहसील चंदौसी में जिला भीमनगर में है तथा ब्लाक बनियाखेड़ा तहसील चन्दौसी जिला भीमनगर की 82 ग्राम पंचायतों में से 38 तहसील बेलारी जिला मुरादाबाद में है, जिनको एक ही जिला व तहसील, ब्लाक में किया जाना चाहिए। दो ग्राम पंचायतें फरीदपुर खास तहसील चन्दौसी का राजस्व ग्राम मकनपुर तहसील बेलारी में और ग्राम पंचायत उमरा गोपालपुर का राजस्व ग्राम नसीपुर नरौली व उसका एक मजरा तहसील चन्दौसी जिला भीमनगर में है और स्वयं ग्राम उमरा गोपालपुर तहसील बेलारी जिला मुरादाबाद में है। इस प्रकार उक्त दोनों जिलों के ग्रामों, थानों, ब्लाकों का पुनर्गठन जरूरी है। मौजूदा स्थिति अन्यन्त खराब है, इसको दुरूस्त किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

इरफान साहब, अब समाप्त करें।

श्री मो0 इरफान-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूँ। इस पुनर्गठन की वजह से जो पासपोर्ट वगैरह का काम है, जो आइडेंटीफिकेशन का काम है वह सब बाधित हो रहा है, हाजी लोग इस वर्ष पासपोर्ट जाँच कार्य अलग-अलग जिलों व थानों से सम्पर्क के अभाव में वंचित रह गये।

श्री अधिष्ठाता-

आप पहले भी बोल चुके है। आपके दल से सूची आ गयी है। अब आप समाप्त करिये।

श्री मो0 इरफान-

मुझे आपने इस बात का मौका दिया, मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इन दोनों जिलों का पुनर्गठन ठीक तरह से कराया जाए, जो थाना जिसमें पड़ता है उस जिले मे उसके गाँव रखे जांय। धन्यवाद।

श्री अमरपाल शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी विधान सभा जिसमें करीब 07 लाख वोटर है और 35 लाख की आबादी है, साहिबाबाद से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि गाजियाबाद अपने-आप में प्रदेश का वह जिला है जो सबसे ज्यादा रेवन्यु देता है और आज मैं देख रहा हूँ कि जब से सरकार चेंज हुई बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर खड़ी हो गयी हैं। यहाँ पर अभी आदरणीय नगर विकास मंत्री जी बैठे थे, मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था लेकिन वह उठकर चले गये। हमारे क्षेत्र में सीवर की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे लोग परेशान हैं। सीवर उफन-उफन कर उनके घरों में घुसने के लिए तैयार है। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि पहले की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इस स्थिति को देखते हुए इन्द्रापुरम के अन्दर एक 46 एम0एल0डी0 का एस0टी0पी0 प्लाण्ट लगाया था उससे जब स्थिति नहीं सुधरी तो एक 56 एम0एल0डी0 का एम0टी0पी0 प्लाण्ट फिर दोबारा लगाया गया। 56 एम0एल0डी0 का एम0टी0पी0 प्लाण्ट बनकर 04 महीने से तैयार है लेकिन क्योंकि जी0डी0ए0 नगर निगम को कहता है और नगर निगम जी0डी0ए0 को कहता है और उन दोनों के बीच में उसको चालू नहीं किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि उस एस0टी0पी0 प्लाण्ट को तुरन्त चालू कराने का काम करें ताकि वहाँ की जनता को कम से कम सीवर से निजात मिल सके।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रताप विहार गाजियाबाद के अन्दर 170 करोड़ रूपये की लागत से 100 क्यूसेक गंगा वाटर का प्लाण्ट लगा जो गाजियाबाद के लिए ज्यादातर था क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अंश जो पैसे था वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का था लेकिन उसमें से सिर्फ गाजियागाद के लिए, ट्रांस हिण्डन के लिए 15 क्यूसेक वाटर दिया जाता है। 15 क्यूसेक वाटर पूरे ट्रांस हिण्डन के लिए बहुत नहीं है क्योंकि ट्रांस हिण्डन गाजियाबाद का वह शहर है जिसको हॉट सिटी के नाम से जाना जाता है और वहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यु आता है। जो भी मा0 सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, इन सबके वहाँ पर प्लाट भी है, मकान भी है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस स्थिति को देखते हुए गंगा वाटर की पूरे ट्रांस हिण्डन में अगर उसी की क्षमता बढ़ा दें और उस 100 क्यूसेक को 150 क्यूसेक कर दें तो पूरे ट्रांस हिण्डन को गंगा वाटर मिल जायेगा। वह सबके लिए है, किसी दल के लिए नहीं है।

तीसरा, मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 1989 की सरकार में एक वसुन्धरा योजना आयी थी और उसमें वसुन्धरा नाम से कालोनी बसी थी उसमें यह दर्शाया गया था जिसका मैप भी हमारे पास है। इसमें जनता के लिये एक स्टेडियम, एक अस्पताल, एक डिग्री कालेज, एक स्कूल व वहां पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वह दी जाएगी। लेकिन समय-समय पर जब योजना आगे बढ़ी तो योजना आगे बढ़ती रही और योजना अपने परवान पर चढ़ गई तो जब समय-समय पर अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि इन सब मूलभूत सुविधाओं के लिये 7 और 8 सेक्टर को रखा गया है। जब हमने पीछे भी अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने हमें बताया कि 7 और 8 सेक्टर जिसमें मूलभूत सुविधाएं विकसित होनी थीं यह किसी भूमाफिया के चक्कर में हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है और जिस दिन कोर्ट से विवाद हल हो जाएगा उस दिन हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज वह अधिकारियों के सहयोग से भूमाफिया के चुंगल से जमीन छूट चुकी है और वह आवास विकास के अण्डर में आ चुकी है लेकिन हमने समाचार माध्यम से पढ़ा कि वहां पर सरकार की योजना जनता को मूलभूत सुविधा देने के बजाय एक आई0टी0 हब बनाने की योजना बनाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आई0टी0 हब बनाना है तो वहां बनाया जाय जहां पर कृषि पैदा नहीं होती आप वहां पर 35 लाख आबादी के लिये जो एक सरकारी स्कूल नहीं है और आपकी ही सरकार ने 1989 में वायदा किया हुआ है एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी डाकखाना नहीं है, एक भी बारातघर नहीं है, एक भी रामलीला मैदान नहीं है। क्योंकि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं हमें भी बड़ी उम्मीद है कि यह युवा हैं और युवाओं की बात जरूर सोचेंगे और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि युवा होते हुये क्या वह वहां के युवाओं के लिये एक स्टेडियम की सुविधा देने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे कि जो योजना पहले थी उसी योजना को वहां लागू किया जाय। उस योजना में कोई चेंजिंग न की जाय। तीसरी चीज मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो पूरा ट्रांस हिंडन का क्षेत्र है उस ट्रांस हिंडन के अन्दर बिजली की इतनी भारी समस्या है हालांकि बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के लिये अधिकारियों से टाइम निश्चित करा दें। क्योंकि वहां सब लोग 20-20 मंजिल में रहते हैं उनको यह मालूम हो जाय कि इतने बजे बिजली आएगी तो इतने बजे उठकर वह पानी भर लें। सिर्फ मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं मैं यह नहीं चाहता कि आप हमें क्या देना चाहते। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित कर दें कि आपकी लाइट आठ बजे आएगी पांच बजे जाएगी लेकिन वहां टाइम नहीं है वहां यह इंतजार होता रहता है कि कब आई और कब लाइट गई। एक अनुरोध मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं हैण्डपम्प वहां पर बहुत लगे हुये हैं लेकिन मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 10

प्रतिशत ग्रामीण एरिया आता है उसमें सारे हैण्डपम्प रि-बोर की स्थिति में है। आप सिर्फ उनको रि-बोर कराएं जो सरकार का काम भी है अधिकारियों का काम भी है कि उनको रि-बोर करायें। तीसरा नगर विकास मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम सरकार की कोई भी योजना बन्द नहीं कर रहे हैं पहले की सरकार में 300 करोड़ रुपये खोड़ा कालोनी के नाम से जो विश्व की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जिसमें ग्राम पंचायत के अन्दर 96 हजार वोटर हैं 300 करोड़ का वहां पर पैकेज दिया और वह 300 करोड़ का जो पैकेज था उससे बहुत सा कार्य पूरा हो चुका है उसमें सीवर का काम भी काफी हो चुका है, बिजली का काफी काम हो चुका है। एस0टी0पी0 के लिए जो ट्यूबवेल हैं।

श्री अधिष्ठाता-

शर्मा जी आपका समय पूरा हो गया कृपया समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा-

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो काम बंद कर दिया गया है उस काम को दुबारा से चालू कराने का कष्ट करें। एक छोटा सा अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि खोड़ा कालोनी अपने आप में 7 लाख की आबादी है मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसको नगर पालिका का दर्जा दे दें तो वहाँ का विकास हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

एक अनुरोध है कि दलों की सूची तो आपके पास चली गई है। दलीय नेताओं के लिए पहले नम्बर था और कई बार अनुरोध आ चुका अनुप्रिया पटेल जो अपने दल की नेता भी हैं और महिला भी हैं पहली बार आई हैं उन्होंने कई बार अनुरोध किया है अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उनको पहले अवसर दे दें फिर बाकी दलीय सूची से बुला लें। यह मैं अपनी ओर से भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। इसमें पक्ष विपक्ष की बात छोड़ें। अनुप्रिया पटेल को पहले सुन लें। वह अपने दल की नेता हैं।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सोलहवीं विधान सभा के सम्मानित सदस्यगण का अभिवादन करते हुए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि बहुत देर बाद ही सही किन्तु आपने मुझे इस सम्मानित सदन में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, मैं पहली बार वाराणसी जनपद से इस सदन के अंदर निर्वाचित होकर एक नये सदस्य के रूप में आयी हूँ और बजट सत्र की शुरुआत महामहिम श्री राज्यपाल जी के

अभिभाषण से होनी है इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी किन्तु इस सदन में जैसा दृश्य देखने को मिला उससे मैं बहुत आहत हुई हूँ। यह सत्य है मान्यवर कि विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराकर सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का कार्य करता है लेकिन उसके साथ-साथ विपक्ष की यह जिम्मेदारी भी है कि हम प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के समक्ष इस सदन की गरिमा को तार-तार करने का काम कदापि न करें। जो दृश्य उस दिन यहां हम नये सदस्यों को देखने को मिला है वह मेरे लिये बहुत कष्टदायक था। इसलिए कोई भी बात करने से पहले सर्वप्रथम मैं इस सम्मानित सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरे जैसे नये सदस्यों को अच्छी परम्परा, अच्छी संस्कृति सीखने का मौका दीजिये ताकि बहुत से हमारे जैसे युवा सदस्य प्रदेश की जनता के विकास के लिये कुछ कर सकें। यह सत्य है कि महामाहिम राज्यपाल का अभिभाषण मुझे सदन के अन्दर सुनने को नहीं मिला किन्तु उनके द्वारा प्रेषित प्रति को मैंने पढ़ा है और उसके आधार पर यही कहूँगी कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ा है (मेजों की थपथपाहट) आज वर्तमान सरकार प्रदेश की ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिये कृतसंकल्प है। (मेजों की थपथपाहट) यह बात स्वागत योग्य है। मान्यवर, किन्तु कुछ बिन्दुओं पर सरकार की कार्य योजना मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ पृष्ठ संख्या 5 पर सरकार ने अपना संकल्प उल्लिखित किया है कि महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए वर्तमान सरकार पुलिस को कड़े निर्देश देगी। एक महिला सदस्य होने के नाते इस सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि आखिर यह सरकार ऐसे कौन से ठोस कदम उठाने जा रही है या ऐसा क्या विशेष करने जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश की हरेक महिला के अंदर व्याप्त असुरक्षा की भावना समाप्त हो जायेगी। मान्यवर कड़े निर्देश देने का काम हर सरकार करती है। लेकिन केवल कड़े निर्देश देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। अतः माननीय मुख्य मंत्री बताएं कि वर्तमान सरकार ऐसा कौन सी पिन प्वाइंटेड ठोस नीति बनायेगी जिससे महिलाओं में जिनकी प्रदेश में आधी आबादी है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं एक महिला विधायक होने के नाते अपने युवा और तेज तर्रार मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा, एक आम महिला की सुरक्षा इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सरकार का ध्यान बुन्देलखंड क्षेत्र कि विकराल स्वरूप लेती हुई समस्या की ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगी। प्रदेश में दलहन की पैदावार करने वाला यह क्षेत्र है पूरे प्रदेश की माँग और जरूरत को पूरा करने का काम करता है लेकिन बहुत दुःखद है कि यह बुन्देलखंड अन्ना प्रथा का शिकार है। इस प्रथा के चलते यहाँ के मवेशी पालक मई के द्वितीय पाक्षिक में अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं जो किसानों की फसलों को तबाह करते हैं उनकी सब्जी, उनके धान को बर्बाद कर देते हैं जिसके चलते तमाम लड़ाई झगड़े के मामले

यहाँ आये दिन खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं इस क्षेत्र के किसान एक वर्ष में केवल एक ही फसल पैदा करने में सक्षम हो पाते हैं।

मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि यहाँ पर तैनात अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जायें जिससे यहाँ अन्ना प्रथा से पैदा होने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके और किसानों की समस्याओं को कम करते हुए ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायं जिससे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र के किसानों को भी एक वर्ष के अंदर कम से कम 3 फसलें पैदा करने का मौका मिल सके। मान्यवर, गेहूँ और धान के सरकारी केन्द्रों पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ अपना दल ने पूरे प्रदेश में आवाज उठाने का काम किया है मैं अपने युवा मुख्यमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसे संज्ञान में लेते हुए औचक निरीक्षण किया और सख्त कार्यवाहियाँ की जिससे इसमें कमी आई लेकिन लाइलाज बीमारी का स्थाई निदान नहीं हो पाया है इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस बीमारी का स्थाई निराकरण किया जाय जिससे भविष्य में किसानों के शोषण की, उत्पीड़न की पुनरावृत्ति न हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वर्तमान सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि पृष्ठ संख्या 20 पर आपने वृद्धावस्था किसान पेंशन का उल्लेख किया है। यह एक बहुत ही बेहतरीन सोच है लेकिन इस संन्दर्भ में मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि पात्र व्यक्तियों के चयन में सरकार किस तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी क्योंकि अगर पात्र व्यक्तियों के चयन में पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की तरह ही यह वृद्धावस्था किसान पेंशन अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बन जायेगी। मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस पेंशन के लिये जो धनराशि निर्धारित की गई है वह 300 रुपये मात्र है। मात्र 300 रुपये से किसी निर्बल गरीब किसान के लिये अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। इस धनराशि की वृद्धि के बारे में आप अवश्य सोचें। मान्यवर, मैं रोहनिया विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आई हूँ। मेरे इस विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का भीषण संकट है। ग्रामवासियों को पानी के लिये 5-6 किलोमीटर पैदल चल कर जाना होता है तब पीने का पानी नसीब होता है। हमारे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उन्होंने जो कहा था उसका मैं समर्थन करती हूँ। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक विधायक को कुछ संख्या में हैण्डपम्प जो भी सरकार उचित समझे उनके कोटे में दिया जाय। हम अपने विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से ग्रामवासियों को, जनता को निजात दिला सकें। मान्यवर, रोहनिया फूलों की खेती के लिये जाना जाता है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर फूलों की खेती होती है अगर सरकार इसको उद्योग का दर्जा देने पर विचार करेगी तो इस क्षेत्र की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी होगी। मैं दो बातें और कहना चाहती हूँ वर्तमान सरकार से, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरा

उनसे निवेदन है कि वह मेरे इस आग्रह को मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुँचाएं। 565 रियासतों का विलय करके अखण्ड भारत गणराज्य बनाने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयन्ती के अवसर पर 31 अक्टूबर को सरकारी अवकाश घोषित करने पर विचार करें। मेरे संज्ञान में आया है कि राजधानी के मेडिकल कालेज का नाम जो छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर है सरकार उसका नाम परिवर्तित करने पर विचार कर रही है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि छत्रपति शाहू जी महराज एक ऐसी महान विभूति हैं जिन्हें हम आरक्षण का जनक कहते हैं। सन् 1902 में अपने राज्य कोल्हापुर में उन्होंने 50 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था को लागू करके समाज के दबे कुचले वर्गों को अपने शासन प्रशासन में जगह देकर उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। सहभागिता आन्दोलन अर्थात संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात कही। अतः ऐसी महान विभूति का सम्मान करते हुए राजधानी के मेडिकल कालेज के नाम को बदलने पर यदि सरकार विचार कर रही है तो ऐसा कदापि न करे। मुझे इतना समय देने के लिए अधिष्ठाता महोदय की बहुत-बहुत अभारी हूँ। पुनः सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय,.....

कई सदस्य-

यह बोल चुके हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोल चुके हैं।

श्री दलवीर सिंह-

आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं दो मिनट में अपनी बात कहूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त हो जाएं। दलीय नेताओं के बोलने के बाद सुदामा प्रसाद जी बोलेंगे।

(शोर)

दलवीर जी ये बतायें कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आप बोल चुके हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मेरे दल के लोगों को बुलवाएं यह सुबह से खड़े हो रहे हैं।

(राष्ट्रीय लोक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होकर साथ-साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शोर न मँचाये। माननीय दलवीर सिंह जी, आप बोल चुके हैं?

श्री दलवीर सिंह-

मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कह लूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपको बाद में मौका दे देंगे, आप बैठ जायें। माननीय दलवीर सिंह जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग कर दीजिए।

(कई सदस्य बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

लोकदल के जो माननीय सदस्य खड़े हैं, अपना-अपना नाम भिजवा दें।

कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधिकृत सूची आई है, पहले अजय कुमार जी बोलेंगे, उसके बाद श्री सुदामा प्रसाद जी बोलेंगे।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से जीत कर आया हूँ बाबू गेंदा सिंह जी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। गंगा, गण्डक और गरीबी हमारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या भी है और यूँ कह लीजिए कि वरदान भी साबित होती है। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है और गन्ने पर ही पूरा जीवन आधारित होता है। गण्डक नदी कभी हमारी नहरों को पानी देने का काम करती है और साथ ही साथ कभी तबाही मचाने का भी काम करती है। पूर्वांचल में सबसे बड़ी समस्या के रूप में अगर कुछ है तो बाढ़ की समस्या है जिससे हम लोग हर साल जूझने का काम करते हैं। पूर्वांचल में तमकुही विधान सभा क्षेत्र में गण्डक नदी जब कहर बरपाती है तो स्थिति यह होती है कि इन्सान और पशु एक जगह एकत्रित रहते हैं और उसके विषय में सरकार संवेदनशीलता के साथ सोचने का काम नहीं करती है। 1984 में जब बाढ़ आई थी, उस समय बंधे पर जो लोग जीवनयापन कर रहे थे, भारी तबाही के कारण उन्हें बन्धों पर शरण लेनी पड़ी थी। आज तक उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जैसा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन में इस चीज को नहीं जोड़ा गया। सभी सदस्य यहां मौजूद हैं और यह

सारे प्रश्न उनके सामने आते होंगे। राशन प्रणाली की जो व्यवस्था है, नये राशन कार्ड 2005 के बाद नहीं बनाये जा रहे हैं और स्थिति यह है कि राशन कार्ड न होने के कारण उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन प्रणाली में इतनी बड़ी घपलेबाजी है कि कोटेदार जब राशन उठाने के लिये जाता है तो यह स्थिति होती है, उसे मात्र 49 किलो राशन दिया जाता है और 53 किलो तौल उसकी सामने लिख दी जाती है। उसके बाद जो मिट्टी का तेल, जिसका 100 लीटर का ड्रम आता है, मात्र 90 लीटर ही उन कोटेदारों को दिया जाता है, जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था सही ढंग से संचालित नहीं हो पाती है। मान्यवर, चीनी तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने देखी ही नहीं। चीनी कहां जाती है इसका किसी को पता नहीं चल पाता है। जो सरकार की मंशा है कि गेहूं और चावल हर गरीब तक पहुंचे लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80 के दशक में यह देखा था कि विधायक रिक्शे और टैम्पों से आया करते थे। आज भी उस परम्परा का निर्वहन करने का काम विधायक अजय कुमार 'लल्लू' करता है अपने आवास से रिक्शे से विधान सभा आता है। मैं किसान का बेटा हूं। और राजनीति मैंने छात्र राजनीति से शुरू करने का काम किया था। छात्रसंघ राजनीति के दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष गोरखपुर युनिवर्सिटी से सम्बद्ध किसान डिग्री कालेज का हुआ करता था। छात्र राजनीति के बाद पहली बार सदन में आया तो सदन का नजारा देखा कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है मैं भौचक्क हो गया। यहां की स्थिति यह है कि यहां पर कुछ लोगों को बोलने की बीमारी है जो बार-बार बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं और बोलते रहते हैं। नये सदस्यों को बोलने देने का काम नहीं किया जाता है। हम सब सम्मानित सदस्य हैं। अरे आप तो सब कुछ जानते हैं हमें भी सीखने का मौका दीजिये। हमें सीखने का अवसर दीजिये। प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय श्री आजम खां ने कुछ शब्द कहा था मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, प्रबोधन के कार्यक्रम में माननीय आजम खां साहब ने कहा था कि नये सदस्यों को अच्छी से अच्छी परम्परा का पालन करना चाहिये और सदन के माध्यम से बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था अपने क्षेत्र में ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन मैंने देखा जो परम्परायें आप यहां सदन में दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हम लोग इसी परम्परा का अनुसरण करेंगे और बार-बार उठ-उठकर बोलने का काम करेंगे और जबरदस्ती माननीय अध्यक्ष जी को सुनना पड़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करें। मान्यवर, यहां पर इंसेफेलाइटिस के बारे में चर्चा हो रही थी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अजय कुमार जी अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कल आपके समक्ष इंसेफेलाइटिस के बारे में बात रखी गयी मैं बताना चाहता हूं कि तमकुहीराज में वर्ष 2011 में 133 इंसेफेलाइटिस के मरीज थे जिसमें से 63 कालकवलित हो गये। इसलिये आपकी संवेदना क्या होगी। हमारे यहां मुसहर जाति है, मुसहर जाति की स्थिति यह है कि वह आदिमानव की स्थिति में जीते हैं। न उन्हें आवास की सुविधा मिलती है न उन्हें राशन कार्ड की सुविधा मिलती है। न उनके लिये शौचालय बनाया जाता है। न उन्हें किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है। स्थिति यह है कि हमारे इलाके में कच्ची शराब जोरों पर बिक रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

स्थिति यह है कि आज 8-10 वर्ष के बच्चे कच्ची शराब पीकर मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। मैं अपने इलाके की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया समाप्त करें। माननीय श्री सुदामा जी बोलें।

(श्री सुदामा एवं श्री अजय कुमार ''लल्लू'' के एक साथ बोलते रहने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता-

प्लीज, प्लीज समाप्त करें। आप कृपया समाप्त करें। माननीय अजय कुमार जी, कृपया समाप्त करें। सुदामा जी अपनी बात कह रहे हैं।

श्री सुदामा प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के विधान मण्डल में अभिभाषण पर मा0 योगेश प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में उन्होंने दिया, सरकार के स्वरूप का निर्धारण करता है। सरकार का प्रथम लक्ष्य आम जनता के हितार्थ किये गये कार्य होते हैं मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि प्रदेश के युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा0 श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के हित में जो कार्य किया है वह सराहनीय और वन्दनीय है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत एवं

समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा0 अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये महराजगंज विधान सभा की जनता की तरफ से भी प्रशंसा एवं धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, हिमालय की तलहटी में नेपाल की सीमा पर स्थित महराजगंज अत्यन्त पिछड़ा जिला है। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र महराजगंज के विकास के लिये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि महराजगंज जिला वर्ष 1989 में सृजित हुआ, लेकिन विकास के नाम पर अभी भी यहां शून्यता है, निःवर्तमान सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को गर्त में धकेला ही, पूर्वांचल में विशेषकर महराजगंज जिले की घोर उपेक्षा की है। मान्यवर, महराजगंज शहर के लिये रिंग रोंड का निर्माण कराया जाय, महराजगंज से चौक तक सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण कराया जाय। घुघली में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया जाय, घुघली के पावर हाउस का विस्तारीकरण कराया जाय। शिकारपुर से घुघली चौराहे तक की सड़क का चौड़ीकरण करा कर उसे सृदृढ़ किया जाय। सेंदुरिया-शिकारपुर मार्ग का मरम्मत और उसका चौड़ीकरण कराया जाय। सेंदुरिया से झनझनपुर होते हुये बागापार तथा फुर्सतपुर तक सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाय। हनुमान गढ़ी से बम्भरौली चौराहे तक सड़क का मरम्मत का कार्य मोहनलालगंज से कुकुरगाढ़े मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाय। अगमा टावर से दरौरी तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाय। मान्यवर, महराजगंज को एक हजार इन्दिरा आवास स्वीकृत कराया जाय। मान्यवर, महराजगंज जनपद मुख्यालय रेल लाइन से जुड़ा नहीं है वहां एक मात्र साधन परिवहन निगम की बसें हैं, जिला मुख्यालय से परिवहन निगम की अधिक से अधिक बसें दी जायं। हमारा तराई अंचल है वहां वन विभाग की तरफ से किसानों को तमाम दिक्कतें होती हैं, तरकरी रेंज और चौक रेंज के किनारे किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं, वहां बैरीकेटिंग कराई जाय। मान्यवर, आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष के नेता मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिये आपने समय दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का अध्ययन करने के पश्चात् हमें यह ज्ञात हुआ कि बहुत सारी ऐसी योजनायें हैं। जो सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है, उन पर इस सरकार ने ध्यान देने का कार्य नहीं किया है। महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण के पृष्ठ सं0-30 पर ऐलोपैथ विधा से विभिन्न जनपदों में

मेडिकल कालेज बनाने की बात है। इस सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने की बात कही है। मगर हमें इस बात का दुख है कि होम्योपैथ विधा जिससे आम आदमी बहुत ही सस्ते में अपनी बीमारी का इलाज करा लेता है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से ले करके, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मुख्यमंत्री कार्यालय यहां तक कि राज भवन तक के लोग भी होम्योपैथी विधा से अपना इलाज कराते हैं और गांव की आम जनता भी बड़े पैमाने पर इस पर विश्वास करते हुए इलाज कराती है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 7 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं। 2 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज प्राइवेट हैं। जिसमें बड़े पैमाने पर उन राजकीय मेडिकल कालेजों की स्थिति दयनीय है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर, जहां पर सात प्राचार्य होना चाहिए, वहां चार हैं, 3 खाली है। जहां पर प्रोफेसर 100 होने चाहिए, वहां केवल 4 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। जहां पर रीडर 114 होने चाहिए। वहां 66 पोस्ट खाली है। चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं है, अपना भवन नहीं है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि होम्योपैथिक विधा से इस प्रदेश की जनता के इलाज में व्यवस्था अच्छे ढंग से करायी जा सकती है। जिस प्रकार से इस सरकार ने एलोपैथ विधा को व्यवस्था देने की बात की है, मेडिकल कालेज बनाने की बात की है तो जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज 7 चल रहे हैं और जो 2 नये राजकीय मेडिकल कालेज निर्मित हो रहे है, उनकी व्यवस्था की बात भी महामहिम के अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नये मेडिकल कालेज में अगले वर्ष से पढ़ाई शुरू कराये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही हम इस बात से भी अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से इस प्रदेश में अग्निकाण्ड होता है, बाढ़ आती है लोग बेघर हो जाते है।

मा0 मुख्यमंत्री जी और मा0 राजस्व मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं तथा वे अवगत हैं। इस बात से कि मात्र 4 हजार रुपये मिलते रहे हैं। अहैतुक सहायता के रूप में पिछली सरकार ने उसमें 700 रु0 बढ़ाने का कार्य किया गया था। आज मेरा यह कहना है कि यह धनराशि यकीनन काफी कम है। जिसके वहां आग लगती है उसका सब कुछ बरबाद हो जाता है और उसे मात्र 4000 रुपये ही सरकार द्वारा दिया जाता है, जो प्यासे को एक बूंद पानी के बराबर होता है। हम अनुरोध करना चाहेंगे इस सरकार से कि जो आर्थिक सहायता राशि अग्नि पीड़ितों को या बाढ़ पीड़ितों को दी जाती है। वह संतोषजनक नहीं है, उसमें भी सरकार को इस धनराशि को बढ़ा करके देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुकदमों की बाढ़ आ गयी है। न्यायालयों की कमी है इस नाते गोरखपुर जनपद में भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहां न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। हमारे क्षेत्र के गोला तहसील में बरसों से दीवानी न्यायालय की मांग की जा रही है परन्तु न सिर्फ गोरखपुर मण्डल गोला तहसील में होना है। बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी

न्यायालयों की स्थापना की बात इस अभिभाषण में नहीं रखी गयी है। मेरा यह अनुरोध है कि इसे स्वीकार करते हुये न्यायालयों की संख्या को बढ़ाया जाये ताकि मुकदमों की संख्या कम हो सके। मान्यवर, हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी संभावनायें हैं। जब हमने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का संज्ञान लिया तो पता लगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इस सरकार ने केवल कुशीनगर और आगरा में एयरपोर्ट बनाने की बात की है। मेरा अपना यह कहना है, मेरा अपना यह मानना है कि प्रदेश में धार्मिक स्थल पर भी, चाहे वो हमारे मुस्लिम समुदाय के साथी हों, चाहे वो हिन्दु समुदाय के साथी हों या बौद्ध समुदाय से जुड़े हुये लोग हों वे जानते हैं कि धार्मिक पर्यटन की सम्भावनायें बड़े पैमाने पर इस प्रदेश में मौजूद हैं। अगर यह सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती है तो यकीनन सरकार के डॉलर्स के रूप में आमदनी होने लगेगी और सरकार के खजाने में भी रुपये जाने लगेंगे। सरकार की वित्तीय समस्या का भी समाधान हो सकता है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये धार्मिक स्थलों के पर्यटन की दृष्टि से सुव्यवस्थित करे। जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से देश और दुनिया के लोग प्रदेश में आने लगेंगे और विदेशी धनराशि भी सरकार को प्राप्त होने लगेगी। मान्यवर, हम आपके माध्यम से इस बात को अवगत कराना चाहते हैं। इस सरकार ने कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाने की बात की है। हम साधुवाद देना चाहते है। इस बात के लिए मगर कहना यह भी चाहते हैं कि जहाँ हिन्दू समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर घरों के परिजनों के मृतकों का शवदाह करते हैं। उनकी भी दशा दयनीय है। अभी कल परसों भी यहाँ पर नदियों के जल प्रदूषण की बात उठायी गयी थी। हम यह कहना चाहते हैं कि यदि हिन्दू समुदाय का व्यक्ति अपने परिजन का शवदाह करता है तो एक शव के लिए 5 से 7 मन लकड़ियाँ जलती हैं और उससे सारा का सारा वातावरण एवं नदियां प्रदूषित होती हैं। मेरी मांग है कि कब्रिस्तान के साथ-साथ इस प्रदेश के शवदाह स्थलों को भी व्यवस्थित करने का काम इस सरकार को लेना चाहिए क्योंकि यह भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वह कब्रिस्तान और शवदाह स्थलों को सुव्यवस्थित करे। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस मांग को भी महामहिम के अभिभाषण में जोड़ा जाए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

इसके अलावा पूर्वांचल के जिलों के लिए मैं विशेष पैकेज की माँग करता हूँ। साथ ही साथ गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा देने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ।

(इस समय 2 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा देने के लिए काम किया जाए, क्योंकि वह नेपाल और बिहार से भी जुड़ा हुआ है और जहाँ इन स्थानों के मरीज आते हैं। 50 हजार से अधिक बच्चों की मौतें इंसेफेलाइटिस जैसी गम्भीर बीमारी से हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर नेपाल और बिहार, सीमावर्ती जिलों के लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं, जहाँ पर बच्चों की भी बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। इस नाते उसको एम्स का दर्जा देना निहायत ही आवश्यक है। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि धूरियापार चीनी मिल जो गोरखपुर जनपद अन्तर्गत आती है, वह बेकार बन्द पड़ी है। आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ। मेरा यह अनुरोध है कि यह सरकार धूरियापार चीनी मिल को चलवाए, जिससे किसानों का हित हो और अगर उसे बेचना आवश्यक हो तो उसे निजी हाथों में दे दिया जाए ताकि वह चल सके। उसे कबाड़ में कदापि न बेचा जाय क्योंकि कबाड़ में बेच देने पर किसी पूँजीपति का लाभ तो हो सकता है। मगर किसानों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि धूरियापार चीनी मिल को भी चलाने की व्यवस्था कराई जाए। मान्यवर, एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि अभी सुबह मा0 समाज कल्याण मंत्री जी प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि जो पेंशन की सुविधा से सम्बन्धित थी। गावों में बड़े पैमाने में लोगों के पेंशन प्राप्त करने वाली सूची से नाम काट दिये गये हैं, जिनको विधवा पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए, विकलांग पेंशन मिलनी चाहिए उनके नामों का पुनः एक सर्वे करा कर जिनका नाम सूची से कट गया है, उनको भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था यह सरकार करे। इस बात के लिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा लिखित में जो हमने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्ताव दिये हैं, उन सारे प्रस्तावों को जो हमारे जनपद और हमारे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार से जुड़ा हुआ है उन प्रस्तावों को इस संशोधन में शामिल करते हुए उस पर अमल कराया जाए। उस पर कार्यवाही की जाए। इन्हीं बातों के साथ आपने हमें बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी मा0 सदस्य ने जो बात उठाई उसके बारे में सभी मा0 सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा में राहत के लिए मैंने 72 घंटे की समय सीमा तय की है। अगर आपको क्षेत्र में कहीं भी इसका उल्लंघन हो रहा हो। आग लग जाए, झोपड़ी जल जाए या चाहे किसी भी तरह का और अगर 72 घंटे में वहाँ राहत नहीं पहुँच जाता है, जो कि अनुमन्य है। बढ़ाई जाए उसके लिए तो अलग बात होगी, वह दूसरा विषय आपने रखा।

लेकिन अगर किसी के भी क्षेत्र में 72 घंटे से ज्यादा देर हो तो कृपया सूचित करें, जो जिम्मेदार होगा, वह दण्डित होगा। आप हमें लिख कर दे दें।

* स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पारस)-

मा0 अध्यक्ष जी मैं मनोज पारस बिल्हौर से नगीना से पहली बार निर्वाचित होकर सदन में आया हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया और मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मा0 नेता सदन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, मा0 अखिलेश यादव जी तथा समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे जैसे गरीब, दलित और किसान परिवार के बेटे को आपने अपने मंत्रि-मण्डल में शामिल किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो योजनाएं हमारी सरकार की है वह महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं का प्रतिबिम्ब है। इसमें नौजवान किसान, शिक्षक, मजदूर, व्यापारी, दलित, अल्पसंख्यक तथा सभी वर्गों के बारे में कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान रखा गया है जबकि इसके पूर्व की सरकार में किसी भी वर्ग का या किसी भी वर्ग के दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। इससे पूर्व की सरकार में जो उत्तर प्रदेश के किसानों की, गरीब मजदूरों के मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा था। वह उससे पहले सरकार की मुखिया ने अपनी मूर्तियां लगवाने, पार्कों को बनवाने में बेवजह खर्च करने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हों, पिछड़े किसान हों जब आप गांवों में जायेंगे या जाते होंगे तो देखते होंगे कि ऐसे सैकड़ों परिवार, हजारों लाखों परिवार जो बगैर छत के चाहे बरसात हो या गर्मी हो या चाहे कोई सा मौसम हो उस मौसम में रहने के लिए मजबूर होते हैं। उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। अगर उस पैसे के माध्यम से उन लोगों के घर मकान बनवा दिये जाते दो रोटी का सहारा कर दिया जाता तो शायद आज उत्तर प्रदेश के हालात दूसरे होते लेकिन आज हमारे विपक्षी साथी कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। मैं यहाँ पर सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि इससे पहली सरकार में चाहे कोई भी वर्ग रहा हो, विपक्ष के जितने लोग थे, जितने सम्मानित विधायक थे, सदस्य थे, या कार्यकर्ता किसी भी राजनैतिक दल के रहे हों, केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को छोड़कर या उनके कार्यकर्ताओं को छोड़कर बेवजह उन पर झूठे मुकदमें लगाने का काम किया गया और ऐसे मुकदमें लगाने का काम किया गया जैसे बड़ी-बड़ी संगीन धाराएं 376 हो, 302 हो, 307 हो जो राजनैतिक विद्वेष को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दर्शाता है। मैं आज इन लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी के सदस्यों को आवाज को उठाने का कोई मौका नहीं होना चाहिए और आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश का कोई बहुत सारे विधायक या बहुत सारे सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर किसी भी समय मिलने का काम कर सकते हैं, लेकिन उस समय की मुख्यमंत्री जी विधायक से तो मिलती ही नहीं थी, आम आदमी कार्यकर्ता या आम आदमी की हैसियत क्या थी। अगर वह कहीं दौरे पर जाती भी थी तो प्रदेश के उस कोने में उस जनपद में कर्फ्यू लगाने का काम होता था और वहाँ पर सड़कों पर आदमी नहीं दिखाई देता था, उसकी परछाई नहीं दिखाई देती थी। अगर कोई आदमी दिखाई भी दे जाता था तो उसे झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने का काम होता था। आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जो पिछली सरकार में भी किया था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि 500 या हजार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन उन नौजवानों को हमारे मुख्यमंत्री जी से एक आशा है और उस आशा के अनुरूप उन्होंने इस काम को किया जिससे वह एक सम्मान महसूस कर सकें कि हम बेरोजगार नहीं है। जब तक हम रोजगार नहीं दे पायेंगे जो हमारी सरकार जल्द ही मुहैया करने का काम कर रही है। तब तक इस बेरोजगारी भत्ता को देने का काम किया जायेगा। ऐसे ही कन्या विद्याधन देकर ऐसे लाखों परिवार की गरीब हमारी बहनों बेटियों को उनकी उच्च शिक्षा दिलाने का काम किया जाता रहा है और इस सरकार में भी किया जायेगा। ऐसे गरीब बेटी को जिसकी शादी नहीं हो पाती थी, उसकी शादी के लिए इस कन्या विद्याधन के माध्यम से वह गरीब बेचारे लाचार मां बाप हैं जिनके पास अन्य कोई साधन नहीं है। उससे वह अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। इसलिए आज किसान बीमा योजना उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दोस्तान में पूरे देश जो कृषि आधारित देश है। इसमें 80 प्रतिशत लोग आज भी गांवों में रहने का काम करते हैं और सभी लोग जो यहाँ सम्मानित सदस्य जीतकर आयें है। वह भी कहीं न कहीं किसान परिवार से जुड़े है। उन किसानों के लिए जब कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना में वह किसान इस दुनिया से चला जाता था तो उसके पीछे कोई भी उसके बच्चों की देखभाल करने वाला नहीं होता था। हमारे जितने कारोबारी हों, या जितने व्यवसाई हों या जितने और लोग कोई बिजनेस करते हों या नौकरी करते हों। उनको बीमा योजना का लाभ मिलता था लेकिन इसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने और अब माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान के दर्द को समझा और किसान बीमा योजना शुरू की थी, पिछली सरकार में इस योजना के अन्तर्गत मात्र 1 लाख रुपया दिया जाता था। आज उसे बढ़ाकर माननीय अखिलेश यादव जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपये करने का काम किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। अभी कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि किस तरह से झूठे मुकदमें लगे और जनपद

बिजनौर की एक घटना का जिक्र आपने किया था और बताया था किस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों ने थाने पर आक्रमण किया और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा हुआ और जो लोग गये थे उनके भी खिलाफ हमारी सरकार ने मुकदमा लिखाने का काम किया, अब उसमें आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इसलिये किसी के ऊपर सवाल उठाना तो बहुत आसान काम है लेकिन उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आगे कहना चाहता हूँ कि जब हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था है। आगे हमारा उत्तर प्रदेश भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर भी मेट्रो ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी सदस्यों के लिये एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि-हक के सैदाई हैं कातिल को कुचल डाला है और कुचल डालेंगे, गर्दिशें दौर भी आया तो मसल डालेंगे, हमने जिस दौर को चाहा है, बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे, बदल डालेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी या डिप्टी लीडर यहाँ हो, उनसे मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी आ गये हैं। वह अपनी बात कहेंगे इसलिये अपने नेता विरोधी दल को सूचित कर दें ताकि वह यहाँ आ जायें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का नाम पुकारे जाने पर बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम माननीय सदस्य अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर बुलवाये जाने का अनुरोध करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

अभी बहुत लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, कल तक चलेगा, आप लोग परेशान न हों। हम सबको बुलवा देंगे, आप लोग बैठिये।

(पुनः बहुजन समाज पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य बुलवाये जाने का अनुरोध करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

जब हम खड़े होते हैं, तो आप लोग बैठ जायें। नियम यह है कि आधे से अधिक संख्या इनकी है और आधे में आप लोग हैं तो जब एक इधर का बोलेगा तो एक उधर के

बोलेंगे। फिर अभी राजेश त्रिपाठी जी बोले इसके बाद सपा के लोग बोले अब भाजपा के लोग बोलेंगे फिर एक सपा के बोलेंगे, फिर कांग्रेस के लोग बोलेंगे। इस प्रकार नम्बर आयेगा। यह सही है कि भाजपा का एक बोले तो आप दो बोलो, यह मैं करूँगा लेकिन थोड़ा शान्ति रखें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नये सदस्य हैं, बोलना चाहते हैं।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां हिण्डन नदी है।

श्री अध्यक्ष-

क्या कल आप बोले नहीं थे?

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बोलिये।

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, हमारे यहां हिण्डन नदी है जो सहारनपुर से चलती है और मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है, उसमें आज से 10-15 साल पहले बिल्कुल निर्मल जल बहता था। आज हालात यह हो गये हैं कि उस नदी के किनारे से निकलना मुश्किल हो गया है। उस नदी के किनारे चार सौ गांव बसते हैं, उस नदी से चार-चार किलोमीटर तक जो गांव हैं उनमें पानी इतना गन्दा आता है कि पीने की तो बहुत बड़ी बात है, उसे सूंघना भी दिक्कत की बात हो गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी पर इंसान की पूरी जिन्दगी कायम है, चाहे वह पशु, पक्षी या कोई भी जीव-जन्तु हो, सभी पूरी तरह से पानी पर निर्भर हैं। आज आने वाले समय में पानी की सबसे बड़ी लड़ाई पैदा होने वाली है। उस नदी में शुगरमिल का इतना गन्दा पानी पड़ता है, चाहे वह सहारनपुर की शुगरमिल हो, मुजफ्फरनगर की शुगरमिल हो, बागपत की शुगरमिल हो चाहे बजाज पेपरमिल के कैमिकल का बहुत ही गन्दा पानी हो, वह सब हिण्डन नदी में मिलता है। हिण्डन नदी के किनारे बड़े-बड़े मेले लगते हैं लेकिन उसमें लोग नहा नहीं सकते। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब छठ पूजा में हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग उसमें

डुबकी लगाते हैं तो वह अपने नाक, कान और आंखों को बन्द कर लेते हैं क्योंकि उस पानी में इतना ज्यादा कैमिकल है कि उससे इंसान को खुजली पैदा हो जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आपसे समय मांगा है। मैं अभी एक गांव में गया जिसमें तीन आदमी कैंसर से मर गये क्योंकि वह गन्दा पानी पीना उनकी मजबूरी है। न तो उन्हें कोई शुगरमिल पानी देता है, न सरकार से कोई व्यवस्था हो पाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हजारों लाखों जान उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री के हाथों में है अगर वह कोई सख्त कदम उठायेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को बीमारी से निजात मिल जायेगी और इनकी जान बचायी जा सकेगी। क्योंकि पानी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा है, सुबह उठने पर पानी चाहिए, पूरा दिन पानी चाहिए और सोने तक पानी चाहिए चाहे वह इंसान हो या कोई अन्य जीव-जन्तु हो। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहूँगा मान्यवर, हमारे बागपत में हजारों की संख्या में भट्ठे लगे हुए हैं। उन भट्ठों पर गरीब, मजदूर, किसान के बेटे काम करते हैं उन भट्ठा मालिकों ने उनके लिए किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा नहीं उपलब्ध करा रखी है, जबकि कानूनी रूप से मेडिकल सुविधा देना उनका कर्तव्य बनता है। वहाँ पर कोई छोटा-मोटा स्कूल भी नहीं है। कानूनी रूप से किसी भी भट्ठा मालिक को छोटा-मोटा स्कूल खोलने के बाद ही लाइसेंस जारी होता है लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है जिससे गरीब किसान, मजदूर की स्थिति में सुधार हो सके। इस तरह के काम करने से गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर और अमीर होता चला गया। मान्यवर, गरीब की जान आज नवयुवक मुख्य मंत्री के हाथों में है। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो उनकी हालत सुधर सकती है। मान्यवर, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक नेथला मोड़ हैं नेथला मोड़ से खेड़ा लुहारी होते हुए भोलागाँव तक एक सड़क जाती है। उस सड़क का आलम यह है कि वहाँ बैलगाड़ी नहीं चल सकती, छोटी बुग्गी भी नहीं चल सकती, मेरा निवेदन है कि इसे भी जोड़ दिया जाए। जय हिन्द जय भारत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक मण्डप में महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद् प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आभार प्रकट करता हूँ इस देश के नौजवानों के नेता, उत्तर प्रदेश के जनविश्वास के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी का, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश खुशहाली की रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री, जो इस सदन के भी सदस्य रहे, चौधरी चरण सिंह जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। हमारे महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर किसान खुशहाल होगा तभी यह देश खुशहाल होगा, अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहली बार आजमगढ़ के अतरौलिया विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आया हूँ। प्रबोधन के कार्यक्रम में आपने कहा था कि इस ऐतिहासिक मण्डप का पूरे देश की राजनीति में बहुत सम्मान है। इस ऐतिहासिक मण्डप के अन्दर जो बहस हुई है, उस बहस का पूरे देश ने सम्मान किया है। जब देश की नजर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मण्डप पर लगी हुई थी, एक किसान परिवार से निकला हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की जनकल्याणकारी नीतियों पर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर लगी हुई थी। मुझे बहुत खेद है, अफसोस है कि ऐसे ऐतिहासिक मण्डप में जिस तरह से नेता विरोधी दल ने आचरण किया है, उसकी मैं घोर निन्दा करता हूँ महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इतना ही तो कहा था कि यह उत्तर प्रदेश विगत 05 सालों से अराजकता का, भ्रष्टाचार का, अपराध का केन्द्र बन गया था और पूरे देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम इस उत्तर प्रदेश की राजनीति ने किया था। मा0 अध्यक्ष महोदय, कौन सी गलत बात कह दिया? क्या नेता विरोधी दल इतिहास के पन्ने से इस बात को खारिज कर सकते हैं कि औरैया के अन्दर एक इन्जीनियर की हत्या कर दी गयी थी, क्या उनका विधायक आरोपी नहीं है, क्या आप इतिहास के पन्ने से इस बात को खारिज कर देंगे ? आपके राज में उत्तर प्रदेश की जो शख्सियत पूरे देश के अन्दर थी क्या आप इतिहास के पन्नों से इस बात को खारिज कर देंगे कि सबसे ज्यादा लोकायुक्त की जाँच आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार और उनकी आचरण की हुई और सबसे ज्यादा मंत्री अगर बर्खास्त हुए हैं तो वह आपके मंत्रि-मण्डल के बर्खास्त हुये हैं। क्या आप इस बात को इतिहास के पन्नों से झुठला देंगे कि एन0एच0आर0एम0 के घोटाले में इस लखनऊ की धरती पर कई-कई क्लास-वन अफसरों के सी0एम0ओ0 और डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या हुई और उस हत्या का क्या रहा, सी0बी0आई0 की जाँच कहीं न कहीं आपके दरवाजे को खटखटा रही है, दस्तक दे रही है। आपने उत्तर प्रदेश के इस शानदार मण्डप के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है।

हम बधाई देते हैं मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को कि आपने हिन्दुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक मण्डप की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। आपकी जो योजनायें हैं, चाहे वह किसान पेंशन की योजना हो, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन की योजना हो, चाहे आपने कहा कि हम ब्लाक के मुख्यालय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। आपने कहा कि जो गाँव में गरीब व किसान रहता है उसकी विधवा माताओं के लिए हम पेंशन का इंतजाम करेंगे। आपने कहा, चाहे वह किसान का बेटा हो, जाति, धर्म की बात

आपने नहीं की, मा0 अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसान का बेटा है, अगर वह इण्टर पास करेगा तो उसके हाथ में हम लैपटाप देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि मा0 नेता विरोधी दल से कि क्या आपको इस बात का ऐतराज है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर पूरा आकर्षण बढ़ा है, मैंने उसे अपनी खुली आंखों से देखा है। आज इस तरह का वातावरण बनाने में मा0 अखिलेश यादव जी कामयाब रहे कि आज बिल गेट्स जैसे व्यक्ति आज मुख्य मंत्री जी की चौखट पर आते हैं और उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं हम बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी का कि ऐतिहासिक छात्र संघ की बहाली की। मान्यवर, मुझे भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महामंत्री बनने का अवसर मिला। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी भी वहाँ रहे, उस छात्रसंघ ने इस देश के अन्दर नेतृत्व देने का काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ ने जब-जब देश के सामने संकट उत्पन्न हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ से निकले हुए नेताओं ने इस देश को नई दिशा देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ नेता विरोधी दल से कि आखिर वह कौन सी आफत आ गयी थी उत्तर प्रदेश के अन्दर कि आपने उत्तर प्रदेश के छात्र संघों को प्रतिबन्धित करने का काम किया था। आपने उत्तर प्रदेश के सारे छात्र संघों को प्रतिबंधित करने का काम किया। जहाँ से छात्र नेतृत्व पैदा होकर राजनीति में अपनी पहचान बनाता है मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का कि लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय आजमगढ़ का महाविद्यालय बहुत से छात्र नेताओं को आज इस ऐतिहासिक सभा मण्डप में बैठने का अवसर मिला। अगर छात्रसंघ नहीं होता तो हमारी कोई पहचान नहीं बन पाती। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अराजकता है, भ्रष्टाचार है आपने अपराध किया तो आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। लेकिन आप जब माननीय मुख्यमंत्री जी कल बिजली के सवाल पर वक्तव्य दे रहे थे तो आप सदन को छोड़कर चले गए हम जैसे लोग आपके इस आचरण से बहुत दुखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जनविश्वास के प्रतीक हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को आज पूरा देश आशा भरी नजरों से देख रहा है। आप उनके प्रश्न का उत्तर तो सुन लिए होते। हम तो नए सदस्य आए है हम कुछ सीखकर जाएंगे हम जानते है कि संविधान में नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमसे कहते हैं कि निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। आपने तो धरना स्थल बहुत दूर बना दिया था लेकिन जैसे ही माननीय अखिलेश यादव ने शपथ लिया उन्होंने धरनास्थल को इसी विधान सभा के पास बनाने का काम किया। हम कौन सी योजनाएं गिनाएं क्योंकि हमें एक समय सीमा में बोलना है अध्यक्ष महोदय हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों की आशा के प्रतीक, छात्र नौजवान बेंरोजगारों के आशा के प्रतीक, गाँव में बैठी बूढ़ी माता के प्रतीक, वह हताश और बीमारी वृद्व जिसका बेटा चाहता है

अपने बाप का इलाज कराने को लेकिन उसके जेब में पैसा नहीं है मैं बार-बार अभिवादन करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का जिन्होंने कहा कि कैंसर से पीड़ित गुर्दे की बीमारी से पीड़ित, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सरकारी पैसे पर इलाज किया जाएगा उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद देते हुए नेता प्रतिपक्ष के लिए यह कहना चाहता हूँ। तुमने समझा नहीं हालात बदल सकते थे। यह आँसू मेरी आँखों से निकल सकते थें। पर आप तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप किसको बुलवाना चाहेंगे आपही बता दीजिए। आपके नए सदस्य बहुत खड़े हैं आपही बता दें किसे बुलाएं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी चूँकि कल तक चर्चा है इसलिए माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर प्रदान करें।

*श्री अध्यक्ष-

हम अवसर दे रहे हैं।

श्री अजय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैने जो यहाँ माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद देखा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के लोगों ने।

श्री अध्यक्ष-

बहुजन समाज वादी शब्द नहीं बहुजन समाज पार्टी शब्द है।

श्री अजय-

हम लोगों ने प्रबोधन कार्यक्रम में सीखा था उससे दोनों पाटियों का आचरण मेल मिलाप नहीं खाता है। मुझे याद है जब बसपा की सरकार आई थी तो इसी बिना पर आई थी कि समाजवादी पार्टी के शासन में उस समय घोर अराजकता का वातावरण था उसी के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। सरकार आने के बाद।

श्री अध्यक्ष-

आप बार बार क्यों बहुजन समाजवादी शब्द का प्रयोग कर रहे है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय-

मैं अब बी0एस0पी0 कहूँगा। एस0पी0बी0एस0पी0 बोलता हूँ। इनको मौका मिला पाँच साल में वही कार्यक्रम चलता रहा लोगों ने पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। दोनों ने इस तरह से काम किया है हालांकि ढ़ाई महीने का समय बहुत कम होता है लेकिन हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। उसमें मुझे एक शेर याद आता है मिजाजे मय कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा सुना और सुना, बाढ़ उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है मैं लखीमपुर जिले की निघासन विधान सभा से चुनकर आया हूँ वह बाढ़ से बहुत पीड़ित क्षेत्र है। और उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने समझा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला शासकीय दौरा किया था वह निघासन का ही किया था। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में चार वर्षों में शारदा करनाली मोहाना और सरयू नदी की वजह से भारी कटान हुआ है जिसमें हजारों एकड़ जमीन निघासन विधान सभा क्षेत्र की कटी है। करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान हुआ है 7 गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया है। और 827 परिवार सड़कों पर रह रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मई को व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी और अपना अनुरोध किया था अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्यवाही करें क्योंकि जुलाई से बाढ़ का फिर से सीजन शुरू हो जाएगा और फिर अवसर नहीं आएगा भारी नुकसान होने की फिर संभावना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पीने का पानी बहुत दूषित हो गया है पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा तीन से चार प्रतिशत हो गयी है जबकि 0.5 प्रतिशत आर्सेनिक पानी में जब ज्यादा हो जाता है तो वह जहरीला हो जाता है उसके कारण हमारे क्षेत्र में अपंगता की, दिमागी बुखार की, हेपेटाइटिस बी0 की, गुर्दे की लीवर की ऐसी बहुत सारी बिमारियाँ हो रही हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि पीने का पानी लोगों को स्वच्छ उपलब्ध हो सके इसके लिए आप प्रयास करें। तीसरी बात जो फर्टीलाइजर के विषय में पेज नम्बर 6 पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब से पाँच साल पहले जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि बहुत सारी खाद नेपाल में जाती है इसलिए उस तस्करी को रोकने के लिए उन्होंने सीमा क्षेत्र से 15 कि0मी0 क्षेत्र में खाद के प्राइवेट लाइसेंसों को खत्म कर दिया था और इसलिए किया था कि 15 कि0मी0 क्षेत्र में जो किसान रहते हैं या खाद के विक्रेता हैं उनके कारण खाद की तस्करी न हो तस्करी रूक जाय। लेकिन तस्करी तो नहीं रुकी उल्टे जो किसान उस क्षेत्र में रहते थे उनकों एक-एक बोरी खाद लेने के लिए 15 कि0मी0 पैदल जाना पड़ता है। माननीय मुलायम सिंह जी का नाम मैं पूरे सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ कि उन्होंने तस्करी रोकने के लिए ऐसा किया था

किसानों को परेशान करना उनका उद्देश्य नहीं था माननीय अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि पुनः वहाँ के लिए लाइसेंस निर्गत करने की कृपा करें जिससे किसानों का भला हो सके। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने पर्यटन को पेज नं0 38 पर लिया है निघासन विधान सभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एक मात्र दुधवा नेशनल पार्क भी आता है उसका आपने कहीं जिक्र नहीं किया है हमारे लखीमपुर में तुलसीदास जी की कर्मस्थली भी रही है आदरणीय बालाप्रसाद अवस्थी जी बैठे हैं धौरहरा क्षेत्र के वहाँ पर तुलसीदास जी की हस्तलिखित पाण्डुलिपि भी उपलब्ध है। गोला गोकर्णनाथ जिसको छोटी काशी नाम से भी जाना जाता है एक टूरिज्म कारीडोर बनाकर हम लोग लखीमपुर को भी टूरिज्म के नक्शे पर ला सकते हैं। बहुत सुन्दर क्षेत्र है जंगलों नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है बहुत हरा भरा क्षेत्र है अगर आप वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत भारी सफलता पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों को मिलने वाली है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अजय-

इण्डस्ट्री के लिए हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है गन्ना और धान बहुत अच्छी फसलें होती हैं उसके साथ-साथ आज से 20 साल पहले जड़ी बूटी और मसालों के लिए भी लखीमपुर जाना जाता था आप लोगों ने प्रबोधन कार्यक्रम में कहा था कि एक-एक बड़ा काम मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर अनुरोध कर चुका हूँ कि इस पाँच साल में आप एक शुगर फैक्ट्री निघासन विधान सभा क्षेत्र में लगा दें इतना मेरा आपसे अनुरोध है। बड़ा काम हो जाएगा। बाकी सारी बातें हो गई अब समय भी समाप्त हो गया बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 महेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के शो बिन्डों झरोखे नोएडा का प्रतिनिधित्व इस महापंचायत में करता हूँ और मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं तीस वर्षो से नोएडा में रह रहा हूँ और एक अस्पताल श्रृखंला का संचालन करता हूँ।

मान्यवर, मेरे नोएडा को भ्रष्टाचाररूपी दीमक लग गयी है जहाँ अंग्रजों ने देश को लूटा और महलों तथा मंदिरों से जो सोने की कीलें उखाड़कर ले गये उसके निशान देखकर आज भी दिल रोता है। आज नोएडा की स्थिति लगभग वही होती जा रही हैं। यहां का मूल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी किसान जिसकी जमीन एक लाख रु0 मीटर पर बेची जा रही है उसको मुआवजा साढ़े बारह रु0 गज से लेकर तीन सौ रु0 मीटर तक मुआवजा मिला। उसका दर्द समझने की बजाय भट्टा पारसोल पलवल घोड़ी बछेड़ा जैसे गांवों में उनकों गोली खानी पड़ी। मान्यवर, अगर वहां का किसान दुखी है रहने वाला आम आदमी दुखी है गलत नीतियों के कारण पिछले पांच वर्षों में कोई भी वहां नया उद्योग नहीं लगा बल्कि उदयोगों का पलायन हो रहा है। बिजली नो पावर कट जोन होने के बावजूद एक से पांच घंटे तक बिजली गायब रहती है। गांवों में तो दो चार घंटे बिजली आती है। कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति एवं छोटी कालोनियों व झुग्गियों में दुव्यर्वस्थाएं देखकर मुझे लगता है कि मेरे नोएडा का भविष्य धूमिल है। लोगों से धोखा कर-करके जेवर अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे का सब्जबाग दिखाकर या नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर (जबकि वे जमीन ग्रेटर नोएडा है) लाखों हेक्टेयर जमीन बेच डाली गयी। नोएडा एक्सटेंशन व मान्यवर, किसानों की आबादी मुआवजा व पांच प्रतिशत के भूखंड समयबद्ध सीमा तीन से छह महीने के अंदर समय निश्चित कर इस समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयत्न किया जाय एवं इस शहर को उजड़ने से बचाया जायें। मान्यवर, प्रदेश पर एक काला दाग है दूग्ध तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट। वे आक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग कर दूध की मात्रा बढ़ाना इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ एक विशेष चर्चा पूरे सदन में हो और इस पर ठोस कार्यवाही हो। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के बारे में स्मार्ट भोले-भाले शब्दों को इस्तेमाल इस सदन में किया गया। एक मेंरे बराबर में ईसाई लड़की संयोग से उसका नाम भी डिम्पल था, बैठी हुई थी उसने टेलीविजन पर आपको देखकर कहा कि यह मुख्यमंत्री स्मार्ट लगते हैं। मैंने उससे कहा कि बेटा तुझे क्या अखिलेश जी से ब्याह करना है। लेकिन आपकी यह स्मार्टनेस व जो आपने पचास हजार करोड़ रू0 के घोटाले की बात कहीं अगर यह पैसा वापस नहीं आता तो आपके यह आंकड़े न किसी गरीब का पेट भर सकते हैं और न ही किसी के घर में एक बल्ब जला सकते हैं। इस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। और यदि आप चाहें हम विपक्ष के लोग भी आपकी मद्द करने को तैयार हैं और आप चाहें तो इस पैसे को वापस लेने का तरीका आप सार्वजनिक रूप से इस सदन में सुनना चाहे तो यहीं बता सकता हूँ वरना आपसे अकेले में मिलकर भी बता सकता हूँ। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मेरे नोएडा को आप लूटने से बचा लें।

यह स्मार्टनेस का समय अब आ गया है। यह स्मार्टनेस अब दिखनी चाहिये। मुझे आपकी इस घोषणा से कोई फायदा नहीं हो रहा है कि 50 हजार का घोटाला हुआ है। उस घोटाले का पैसा वापस लाकर दें और उस 50 हजार के घोटाले के लिये मान्यवर हम विपक्ष के लोग भी आपका साथ देंगे क्योंकि कम से कम इस बात के लिये हम तय हैं कि हमारा प्रदेश चमके, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। मान्यवर, हमारी अपेक्षा आपसे यह है कि आप एक कदम आगे को बढ़ाकर किसानों की समस्यों के लिये एक टाइम बाउन्ड कर दें कि इस समय

तक, साल भर के अन्दर, 6 महीने के अन्दर किसानों की समस्याओं का निराकरण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

डा0 महेश शर्मा-

मान्यवर, आधा मिनट। आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, एक समस्या से मैं आपको रूबरू कराउँगा और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे प्रार्थना भी करूँगा कि मान्यवर, आपके प्रदेश पर एक दाग है। वह दाग है मिलावट का। आज जितना परसेन्ट दूध इस देश के अंदर चाहिए उसका 50 परसेन्ट दूध नकली पैदा होता है इस प्रदेश के अन्दर। और मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाग है कितने केसेज वहाँ से किडनी फैल्योर का आ रहा है। मान्यवर, 7 दिन पहले अखबार की रिपोर्ट थी कि इस देश के लोगों की प्रजनन शक्ति आधी हो गई है और आजसे 15 साल बाद यह प्रजनन शक्ति 25 परसेन्ट और 20 परसेन्ट रह जायेगी। मान्यवर, एक कदम उठायें, इस बात पर माननीय अध्यक्ष जी चर्चा करायें यहां महापंचायत में। यह लोग जो बैठे हैं यह लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभायें। 400 विधान सभाओं क्षेत्रों से आये यह सब लोग मिलकर जाकर कहें कि मेरे क्षेत्र में मैं मिलावटी दूध और मिलावटी पनीर नहीं बिकने दूंगा। मेरे क्षेत्र में जिस भैंस को आक्सीटोसिन का इन्जेक्शन लगाकर, जिस गाय को आक्सीटोसिन का इन्जेक्शन लगाकर दूध पैदा किया जाता है मान्यवर, उसका दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब 0.5 यूनिट आज से 28 साल पहले सफदरगंज अस्पताल में किसी लेडी को इन्जेक्शन लगना था और नर्स गलती से 5 यूनिट लगा गई बच्चेदानी फटकर करीबन 4 फीट दूर जाकर बच्चा गिरा था। आजकल मान्यवर, यह जो बच्चे पैदा हो रहे हैं लड़कीनुमा लड़के, सुरीली आवाज वाले, यह उस जनरेशन, उस पीढ़ी को खराब करने की साजिश है। मान्यवर, दूध और दवाइयों की मिलावट पर आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप विशेष चर्चा इस सदन में रखें और मेरे नोएडा को बचायें लुटने से। बहुत बहुत धन्यवाद।

कुंवर कौशल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। इस सरकार के गठन के ढाई माह हो गये। सरकार के मुखिया से लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं। मुख्य मंत्री नेक एवं योग्य व्यक्ति हैं परन्तु आज कानून व्यवस्था के प्रश्न पर, सरकार की विफलता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। बिजली की आपूर्ति अत्यधिक कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भीषण गर्मी से जीना दुर्लभ हो गया है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सन्

2005 में माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कराई गई थी उसी आधार पर आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दी जाती है तो कहीं न कहीं यह जनता जो आज आस लगाकर बैठी है उसके साथ न्याय हो सकेगा। मान्यवर, मैं नेपाल और भारत की सीमा पर रहने वाला हूं। वहां से दो नदियां निकली हैं एक रोहिन नदी और एक डांडा नदी निकली है। रोहिन नहर एकदम जर्जर हो गई और उसकी मुख्य बांध टूट गयी है। और वहां पर जो नया हेड बना उसका पाया अभी विगत दो वर्ष पहले सरकार में बनाया गया और वह पाए अपने आप ढह गये। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। जिससे 100 गांवों की सिंचाई होती थी आज उन गांवों के किसान पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जहां तक हमारे क्षेत्र की समस्या है, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जिले में पैरलल सरकार चलाई जा रही है। यह अखबार की कटिंग है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष-

उसका प्रदर्शन मत करिये। उसको रखिये अपने पास।

कुंवर कौशल सिंह-

अगर हमारे जिले के अधिकारियों के मोबाइल और टेलीफोन सर्विलांस पर लगा दिये जायं तो शायद पता चल जायेगा कि क्या हो रहा है। हमारे यहां नेपाल की सीमा पर आने वाले नेपाली व्यक्तियों को जबरदस्ती टैक्सी स्टैण्ड पर गुन्डई के बदौलत जबरन लादा जा रहा है। उसकी कोई नीलामी नहीं है और उसमें उन नेपालियों को ओर फौजियों को ठूंस दिया जाता है। जिससे आए दिन नेपाल के अखबारों में हमारे खिलाफ समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे टैक्सी स्टैण्डों को बंद किया जाए। मान्यवर, मेरे जिले में 22 आदमी बस दुर्घटना में मर गये, तब मुख्य मंत्री ने कहा था कि ऐसी बसों को रोक देंगे, लेकिन मान्यवर, आज की तारीख में भी हमारे जिले से चालीसों बसें चलाई जा रही हैं और रोडवेज स्टेशन से चलाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों और आर0टी0ओ0 की मिली भगत से चलाई जा रही हैं जिसका कोई परमिट नहीं है। मुख्य मंत्री जी की बात की अवहेलना की जा रही है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है कल एक लड़की को चाकू मार दिया गया, उसकी अंतड़ी-पंतड़ी बाहर आ गई। एक लड़की का गाल काट लिया गया। एक डी0आई0जी0 को इसलिए संस्पेंड कर दिया गया कि उसने हंसने का काम किया था और नौतरना के थानाध्यक्ष ने मुकदमा पंजीकृत किया 323, 504, 506 का और उसके बाद उस लड़की के पिता ने दरख्वास्त दिया कि मेरी बेटी को जो मारा गया, वह जान से मारने की नीयत से मारा गया उसका मुकदमा 324 में लिखा गया यह कौन सी व्यवस्था है, यह कैसी व्यवस्था है। हम 14 साल तपस्या करने के बाद इस मंदिर में पहुँचे है। लोकतंत्र के मंदिर के अन्दर। अगर हम किसी देवी मंदिर के अन्दर जाते हैं तो हमको कहा जाता है कि यहां जूता उतारकर

जाना। अब जब लोकतंत्र के मंदिर में आए हैं तो दो दिन हमारी पाठशाला चलाई गई और इन दो दिन की पाठशाला करने के बाद हमने क्या देखा गाँधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कागज और टोपियां फेंकी जा रही थीं बहुत खेद हुआ। एक मंदिर के अन्दर हम जाते हैं तो हम अपना जूता बाहर निकाल देते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में निश्चित तौर पर बहुत शर्मसार करने वाली बात थी, दुनिया इस पर हँसी और बाबा साहब और गाँधी जी का अपमान हुआ। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस तरह की घटनायें की हैं, उनको सार्वजनिक रूप से सदन के अन्दर अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। यह अच्छी बातें नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूँगा कि घर चलाने के लिए घर की औलाद सही हो, तो घर सही स्थिति में चलता है। दूसरी बात कुछ भाई जीतकर आ गए, कुछ भाई हार गए हैं, लेकिन जो जीत गए हैं, वह सोचते हैं कि हमारा घर चल रहा है, लेकिन जो लोग हार गए हैं, यह वही स्थिति है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। आज गेहूँ के क्रय केन्द्रों पर स्थिति यह है कि उन्हीं के नेता, बगल में कांटा लगाकर, वही गेहूँ सरकारी कांटे पर बेचा जा रहा है और यह नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं भी इस बगीचे में कभी रहा हूँ, इस बगीचे को सींचने का काम मेरे जैसे नौजवान व्यक्ति ने भी किया है और आज हालात यह बन चुके हैं एक बार जनेश्वर मिश्र जी से किसी ने पूछा कि यह समाजवाद क्या है, उन्होंने कहा कांटे के बीच में जो गुलाब का फूल खिला है यही समाजवाद है उस समाजवाद को मैंने देखा है। आज समाजवाद ऐसे लोगों से घिर गया है कि समाजवाद की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है कहने में मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि समाजवाद के रखवाले किसानों के साथ विश्वासघात करेंगे और जीतकर वहां बैठकर किसानों के पैसे का शोषण करेंगे, तो यह घर चलाने की परम्परायें टूट जाएंगी। मैं कहना चाहूँगा हमारे पार्टी के नेता ने लखनऊ में आकर कहा कि 1800 रुपये में केन्द्र ने राज्यों से गेहूँ खरीदने का काम किया है, लेकिन अब हम जब क्रय केन्द्रों पर जाते हैं तो उसी क्रय केन्द्रों, सोसायटियों पर उनसे 140 रुपया हमारे काश्तकारों से ट्रांसपोर्टिंग का पैसा लिया जाता है। हमारे नेता ने कहा कि पंजाब में दूसरे रेट पर गेहूं खरीदा जा रहा है, कर्नाटक में दूसरे रेट पर गेहूँ खरीदा जा रहा है, हरियाणा में दूसरे रेट पर गेहूँ खरीदा जा रहा है, किन परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है हम नहीं जान पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

कुंवर कौशल सिंह-

हमारे किसानों का शोषण कब तक जारी रहेगा। इसमें हम चाहेंगे व्यवस्था में सुधार हो और एक बात यह कि कोई सजायाफ्ता आदमी जेल के अन्दर रहेगा कि जेल के बाहर रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त।

कोई भी सजायाफ्ता आदमी, उसे जेल के अन्दर रहना चाहिए या जेल के बाहर रहना चाहिए, कानून-व्यवस्था की अगर बात करें, कुछ लोग जेल के बाहर बैठ करके समानान्तर सरकार चला रहे हैं, यह कैसी कानून-व्यवस्था है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त, बैठ जाओ। अब कौन बोलेगा, कोई नया सदस्य बोलेगा।

कुंवर कौशल सिंह-

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

नए लोगों को बोलने दीजिए।

श्री अविनाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूँ, हमारे विपक्ष के साथी 2-3 दिनों से आरोप-प्रत्यारोप लगाते चले आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर हमारे मुखिया और मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मात्र 2 महीने के अल्प समय में जो कर दिखाया है, वह पिछले 05 साल की सरकार ने नहीं कर पाया है। आज नक्सलवाद केवल एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की ज्वलन्त समस्या है। हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व के कारण जो नक्सली आतंक का पर्याय बन चुके थे, मुन्ना विश्वकर्मा जिसके ऊपर 100 से ज्यादा हत्याओं और अन्य घटनाएँ करने का आरोप था, अजीत कोल जिसके ऊपर 60 मुकदमें और 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था, तीसरा लालवत कोल, जिसके ऊपर 30 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप था, ऐसे खुंखार नक्सली जो आये दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके थे, ऐसे खुंखार नक्सलवादियों को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मात्र 2 खुंखार नक्सलवादियों को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मात्र 2 महीने के अन्दर दबोचने का काम किया गया और आज उत्तर प्रदेश में अमन-चैन कायम हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से आह्वान करता हूँ कि ऐसे राष्ट्रहित काम की

सराहना सदन के माध्यम से होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जनपद सोनभद्र की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में हमारे नौजवान साथी, हमारे बेरोजगार साथी मुख्य धारा से भटक कर अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मेरी एक छोटी सी मांग है, इस सदन के माध्यम से कि एक विशेष अतिरिक्त पैकेज हमारे विधान सभा क्षेत्र, राबर्ट्सगंज के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए दिया जाए जिससे वहाँ पर उच्च शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा की व्यवस्था हो सके जिससे वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। एक बात और कहना चाहूँगा, जनपद सोनभद्र में वाराणसी शक्ति नगर मार्ग है, जिसको 5 वर्ष पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय ने किलर रोड घोषित करके सरकार को निर्देश दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, प्रतिमाह दर्जनों मौतें होती हैं, 600 से ज्यादा लोग पिछले पांच वर्षों में मारे जा चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमारे क्षेत्र में एक ट्रामा सेण्टर देने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अली यूसुफ अली-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूँ। जनपद रामपुर में मेरी पहली बार नई विधान सभा बनी है, उससे मैं निर्वाचित होकर आया हूँ, मेरी पूरी विधान सभा में कोई भी तहसील नहीं है।

मान्यवर, मेरी सम्पूर्ण विधान सभा के अंदर कोई भी तहसील नहीं है।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप चमरउआ नाम से क्यों हंस रहे हैं। माननीय सदस्य शांत रहें, सुनें।

श्री अली यूसुफ अली-

मान्यवर, मेरी विधान सभा चमरउआ में छात्र या छात्राओं का कोई भी डिग्री कालेज नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा चमरउआ तीन विधान सभा क्षेत्रों में से कानूनगों सर्किल कटकर बनी है और वह कानूनगो सर्किल ग्रामीण क्षेत्र के हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई नगर पालिका नहीं है। नगर पंचायत नहीं है। 280 पोलिंग बूथ हैं आप जांच करा लीजिए, 280 पोलिंग बूथ के अंदर न कोई तहसील है न कोई अस्पताल है न वहाँ कोई स्कूल हैं न वहाँ कोई डिग्री कालेज है। वहाँ पर कोई इंटर कालेज तक नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है कि वहाँ की समस्याओं को देखते हुए मेरे विधान

सभा क्षेत्र के अंदर कहीं भी डिग्री कालेज बनवाने की कृपा करें और मेरी विधान सभा क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायतें 20 हजार की आबादी के ऊपर हैं। उन्हें नगर पंचायतों का दर्जा दिलवाने के लिए माननीय नगर विकास मंत्री जी से दर्खास्त करूँगा और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा चमरउआ के अन्तर्गत आप कोई एक ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने की कृपा करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी बिजली सप्लाई आती है वह दूसरी विधान सभा क्षेत्रों के बड़े बिजली घरों से आती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो 280 पोलिंग बूथ हैं। उसमें जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उसके अन्दर मिनी केन्द्रों के अलावा कोई भी बड़ा पावर हाउस नहीं है, मेरा निवेदन है कि बड़ा पावर हाउस मेरी विधान सभा क्षेत्र चमरउआ में बनाने की कृपा करें। आपसे यह निवेदन भी करूंगा कि विधान सभा क्षेत्र चमरउआ के अन्दर जो 20 हजार से ज्यादा आबादी वाले गाँव हैं नगलिया, खेड़ा टाण्डा, दोक पुरी, टाण्डा, चमरउआ, लालपुर यह मेरी विधान सभा के बड़े गाँव हैं उनमें से किसी एक गाँव में कम से कम 100 बेड का अस्पताल बनाने की कृपा करें तथा टाण्डा तहसील जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर कोशी नदी लालपुर पुल का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। मान्यवर, मेरी विधान सभा नई विधान सभा बनी है। इस विधान सभा में तीन कानूनगो सर्किल हैं और अन्य विधान सभा क्षेत्रों में उनका हेडक्वार्टर है। मेरी नई विधान सभा के अन्दर कोई नई तहसील बनवाने की जरूर कोई कृपा करें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य हमारे जिले से हैं और सम्मानित सदस्य है। चमरउआ नई विधान सभा बनी है। वह तो नई बनी है मगर मुझे हैरत हो रही है कि आप मांग कर रहे हैं। हम तो दो महीने से हैं। आप मांग कर रहे हैं।

श्री अली यूसुफ अली-

मांग करना हमारा अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आपका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। आपका इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र है कि आपने यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलवा दिये। आपका अधिकार क्षेत्र इतना है कि 55-55 हजार रुपये का एक-एक विक्टोरिया लैम्प आपकी सरकार में अधिकारियों ने खड़े होकर ट्रकों में लदवा कर चोरी करा दिये। आपका अधिकार यह है कि रामपुर दस्तकारी हाट में से साढ़े तीन करोड़ रुपये का सामान आपकी सरकार ने चोरी करा दिया, आपका अधिकार यह है कि किले के अन्दर भारत के सबसे खूबसूरत लगे हुए म्युजिकल फाउन्टेन साढ़े सात करोड़ रुपये के आपने चोरी करवा दिये पुलिस खड़ी करके। आप मांगगें ? आप मांगने वाले हैं, आप तो लुटवाने

वाले हैं। बरबाद कर दिया आपने और आपका तो माशाअल्ला दबदबा है, आपके दबदबे का यह आलम है कि दूसरा कन्डीडेट घोषित हो गया, जिलाधिकारी आपके थे तो आप विधायक हो गये।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन यह तो बता रहे हैं कि यह पहली बार विधायक हुए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह अनर्थ पहली बार हुए हैं और मान्यवर, कृपा है इनकी, हम आज इस सदन में होते ही नहीं, आपने अपनी मौजूदगी में हम पर कातिलाना हमला कराया, पाँच हजार लोग हमारे ऊपर हमलावर हुए हथियारबन्द, पुलिस मौजूद थी या तो हम मारे जाते या आपके समर्थक मारे जाते। हम हटे वहां से ताकि क्लेश न हो। मान्यवर, यह मांगने वाले हैं, यह तो देने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब यह विधायक है अपने क्षेत्र के तो आपसे मांगेंगे ही।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह विधायक नहीं, यह आतंक है वहां। जीने नहीं दिया मान्यवर, इन्होंने किसी को, आतंक है यह।

(कई सदस्य एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे कुछ समय के लिए व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण सभी को समानरूप से मिलना चाहिए और आपने देखा जब से चर्चा आरम्भ हुई महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बहुत ही धैर्य पूर्वक सहयोग इस चर्चा में कर रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ से निर्देश होने के बावजूद भी और माननीय नेता सदन तथा संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में सत्ता पक्ष के सदस्यगण जिस तरह से बेलगाम हो करके सदैव शोरगुल करते रहते है, यह बहुत अच्छी बात नहीं है और मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत वरिष्ठ सम्मानित सदस्य इस सदन के हैं और एक नया सदस्य अगर अपने क्षेत्र की समस्याओं को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ने के लिए निवेदन कर रहा है तो जिस तरीके से कटाक्ष एक बहुत वरिष्ठ सम्मानित नेता को संसदीय कार्य मंत्री के रूप में एक हमारे नव निर्वाचित सदस्य की बात को व्यंगात्मक बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने सदस्यों पर लगाम नहीं लगा सकते, तो कम से कम उनको इस

सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सभी माननीय सदस्य हैं चाहे उस तरफ के हों, चाहे इस तरफ के हों, नया सदस्य अगर जाने-अनजाने में भी कुछ कह देता है तो आपका बड़प्पन यह है, नया होने के नाते उसकी बात को सुनना चाहिए और जिस तरह से कोई नया सदस्य बहुजन समाज पार्टी का जब भी खड़ा होता है, सारे के सारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण एक स्वर मे ऊँची आवाज में अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यों की इस [X X X] और अविवेकपूर्ण तथा सदन की गरिमा के विपरीत जो आचरण है, उस आचरण की मैं घोर निन्दा करता हूँ।

(बसपा सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा उत्पन्न किये गये शोर के मध्य)

इस आचरण की मैं निन्दा करता हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार खड़े रहने एवं बोलते रहने से उत्पन्न शोर-शोर की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। [x x x] शब्द निकाल दिया जायेगा। आप लोग बैठिये। बैठिये वो शब्द निकाल दिया जायेगा। अरे वो नेता विरोधी दल हैं, बोल रहे हैं। आप लोग शान्त रहिये। [X X X] का शब्द जो है, वो हम देख लेंगे, निकाल देगें, आप बैठिये। आप लोग बैठिये तो, आप बैठिये, आप बैठिये। आप लोग नहीं बैठना चाहते हैं। मा0 सदस्य यादव जी बैठिये। आप लोग बैठिये उनको बोलने दीजिये, इसका जवाब आपके मंत्री लोग देंगे। आप लोग बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात का संरक्षण चाहता हूँ कि सदन को आपके आह्वान पर, आपके निर्देश पर हम भरपूर सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी सहयोग लेना नही चाहते हैं। तो बन्दर घुड़कियों से हम अरदब में आने वाले नही हैं और साथ ही साथ मैं अपने मा0 सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ कि जिसकी इतनी ओछी मानसिकता है उससे किसी भी बात के लिए गिड़गिडाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये उत्तर प्रदेश की जनता यह देख रही है कि जिस तरीके का सत्ता पक्ष का आचरण है, जिस तरीके से पीठ के निर्देशों की बार-बार अवहेलना हो रही है, जिस प्रकार से सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम समझते हैं कि यह कतई न्यायोचित नहीं है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा उत्पन्न किये गये शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। योगेश जी बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसलिये इस पर.....

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दो। इसका जवाब आपके मंत्री जी देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिये मान्यवर.....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा उत्पन्न किये गये शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत प्रदर्शन न करो मैं समझता हूं। मुख्य मंत्री जी खुद देख रहे हैं, उसका जवाब वो देंगे। आप क्यों परेशान हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिये मान्यवर, यह अनुरोध है कि आप चूँकि नेता सदन मौजूद हैं। आपकी तरफ से इस बात का निर्देश जाना चाहिए कि कम से कम अपने मा0 सदस्यों को इस प्रकार की हरकतों से बाज आने की सलाह दें और नेता सदन केवल एक पक्ष के नेता नहीं हैं। नेता सदन इस पूरे हाउस के हैं जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी है और इसीलिये नेता सदन की भी यह जिममेदारी बनती है कि सभी मा0 सदस्यों का समान रूप से सम्मान देने का काम करें। लेकिन अगर इनकी मौजूदगी में नये सदस्यों की खिल्ली उड़ायी जायेगी। हम समझते हैं कि नये सदस्य हतोत्साहित होंगे और उनकी जो सदन में भाग लेने की इच्छा है इसमें कहीं न कहीं कमी आयेगी इसलिये मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छी बात है। मा0 नेता विरोधी दल ने बहुत ही भावुकता से भरा हुआ और बड़ा उसूली भाषण किया है। ये बात जो अब समझ में आ रही है .....

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब मुख्य मंत्री जी को बोलना है। अब आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, आप थोड़ा धैर्य रखें मान्यवर। थोड़ा धैर्य रखें नेता विरोधी दल की तरफ से यह बात आई है तो उसमें आप सरकार को अपना पक्ष रखने दें, धैर्य रखे। यह बात बहुत अच्छी है जो आपने कही है इसे याद रखियेगा और ये भी याद रखियेगा कि पाँच बरस इधर से कैसा आचरण हुआ। किसको बोलने दिया गया है, किसे अपनी बात रखने दी गयी है। थोड़ा सा अगर आप पुराने रिकार्ड्स की सी0डी0 निकलवाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज लोकतंत्र है या पिछले पाँच वर्षों में। यह सदन नियमों से और लोकतांत्रिक परम्पराओं से अब चल रहा है, या पिछले 5 वर्षों में चला है और पाँच वर्ष सीखें आप। हमें तो कष्ट इस बात का है कि साढ़े पाँच वर्ष जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही और मा0 नेता मुलायम सिंह यादव जी एक-एक चेयर पर गए, सबको सलाम किया, सबसे हाथ मिलाया। उस वकत भी आपकी नेता यहाँ मौजूद नहीं थी, वह चली गई थी। उन्होंने उस वक्त भी मौजूद रहना सही नहीं समझा लेकिन हमारे नेता के अंदर इतनी अख्लाकी जूर्रत थी कि एक-एक सदस्य के पास जाकर उन्होंने सलाम किया था और उससे हाथ मिलाया था। यही परम्परा उनके सुपुत्र ने भी आख्तियार की और उसी सभ्यता का सबूत दिया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए। आज थोड़ा-सा आईना आपने हमें दिखाया है, कभी-कभी इसको पलट कर खुद भी देखा कीजिए। देखा कीजिए---

''मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ
कुछ आपको भी याद है अपना किया हुआ''

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब आप इधर थे तो सदन चलने ही नहीं देते थे। आप सहयोग करते ही नहीं थे। जब आप इधर थे तो कभी वेल में जाते थे, कभी बाहर जाते थे। सदन को चलाने में आप कभी सहयोग ही नहीं देते थे। हम तो सदन को चलाने में सहयोग दे रहे हैं।

(सदन में शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 अध्यक्ष जी, एक निवेदन और है मेरा नेता प्रतिपक्ष से कि आप इतनी अच्छी बातें कहते है। अगर इन बातों को थोड़ा-सा हल्के से कह दें तो हम पर ज्यादा असर होगा। अब आपकी इस डाँट से शरीर काँपने लगता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपकी हर एक बात जहर से बुझी हुई होती है। आप एक-एक बात कहते हैं तो ऐसा जहर उगलते है कि बर्दाश्त नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, बैठ जाइए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं विनम्रतापूर्वक एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ मान्यवर, संसदीय जीवन में और खासतौर पर राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल का भाषण अतिमहत्वपूर्ण होता है। आपने जैसा सूचित किया कि चार बजे नेता सदन को बोलना है। मैं समझता हूँ कि सदन में इन दो दल के अलावा भी दल हैं। अब यह जो दोनों में अंताक्षरी हो रही है, जवाबी कव्वाली, बहुत से लोग इसे नहीं सुनना चाहते। हम सब नए नेता को सुनना चाहते है। मेरी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मौर्या जी से अपील है कि अपनी बैट्री का वाल्यूम थोड़ा स्लों कर दीजिए। आदरणीय, संसदीय कार्य मंत्री जी आप से हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि आप की भी जिम्मेदारी है कि जब आपका नेता सदन बोलने के लिए तैयार हो रहा हो तो उस समय वातावरण में उत्तेजना न फैलाकर शांति, अमन और चैन फैलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है और, मैं दोनों से आग्रह करूँगा और आप दोनों से कह दें कि थोड़ा विश्राम कर लें मान्यवर, थोड़ा आराम कर लें और थोड़ा-सा हम नेता सदन को सुनना चाहते है क्योंकि नेता सदन से यह उम्मीद है कि आज कुछ-न-कुछ वह विधान सभा क्षेत्र के विकास निधि के बारे में घोषणा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं नेता कांग्रेस से कहूँगा कि यह सदन जैसा मैंने कल भी कहा था कि बहस के लिए है, न यह श्मशान है और न कब्रिस्तान है। यहाँ जिंदा होकर लोग रहते है और जिंदगी के साथ हम रखना चाहते हैं, लोगों को। आपका उपदेश बहुत अच्छा है लेकिन हर मौके पर उपदेश की जरूरत नहीं होती है। चार बजने से पहले नेता सदन बोलेंगे और आपके इस उपदेश का ख्याल रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप बैठ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नये सदस्यगण चाहते है कि सबके बोलने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी बोले यह परम्परा रही है यद्यपि कि माननीय नेता सदन कभी भी बोल सकते हैं लेकिन महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों के बोलने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते रहे हैं, यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में है कि माननीय नेता सदन या मुख्य मंत्री आप भी जानते हैं कि किसी समय इस चर्चा में इंटरवीन कर सकते हैं। तो वह जब चाहे तब बोलें अभी चाहे तो अभी बोलें, चाहें बाद में बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इंटरवीन करना दूसरी चीज है और पूरा भाषण देना दूसरी चीज है। माननीय नेता सदन तो कभी बोल सकते है उनका तो विशेषाधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, कल 5 बजे तक यह चर्चा चलेगी, बजट रखने के बाद भी यह चर्चा शाम तक चलती रहेगी, मुझे उम्मीद है अगर कल नहीं पूरा होगा आप चाहेंगे तो थोड़ा और समय बढ़ाकर इस सब पर कोशिश मेरी यह है कि सारे नए विधायक इस पर बोल लें जो इस पर नहीं बोल पायेगें तो जब बजट आयेगा तो उनको प्राथमिकता से बोलने का अवसर दिया जायेगा। आप जानते है कि 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर और 4 दिन बजट पर यह सामान्य चर्चा होती है इसमें विधायक अपने क्षेत्र की बात करते हैं या अपनी बात करते हैं उनको विषयों से बांधकर नहीं रखा जाता। तो जो इसमें कल तक बोल लेंगे नहीं तो फिर 5 तारीख को जो जनरल डिबेट बजट पर होगा जो बचे रहेंगे उनको उसमें बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक अनुरोध है, नेता सदन से भी अनुरोध है आपके माध्यम से। यह जो भी नये माननीय सदस्यगण बोलना चाहते हैं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज बोल लेगें तो हम समझते है इसकी एक तरह से अवहेलना होगी, अनादर होगा। अच्छा हो कि माननीय मुख्य मंत्री जी परम्परा के अनुसार अपना अंतिम भाषण दें।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है कल बजट रखना है और बजट पर भी बोलना है फिर अंतिम भाषण में दिक्कत होगी इसलिए, आज ये अपना भाषण करेंगे, सारे सदस्य बोलेंगे फिर बजट रखने के बाद बजट पर जो चर्चा होगी तो माननीय सदस्य उसमें विधिवत अपनी बात रखेंगे।

(मुख्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने एवं नेता विरोधी दल द्वारा अपनी बात रखने का प्रयास करते रहने पर)

अब आप मुख्य मंत्री को बोलने दें। नेता विरोधी दल बैठ जायें हम बुलवायेंगे सबको। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप बैठ जायें नेता सदन खड़े हो गये हैं।

मैं सबको बुलवाऊँगा। आप बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह नई परम्परा पैदा की जा रही है। यह नये सदस्यो का अपमान है और इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी इस सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन किया)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इसके साथ-साथ जितने भी दल के नेता, जिन्होंने अपनी बात रखी, अब चूँकि नेता विराधी दल है नहीं लेकिन वह रिकार्ड पर देख लेंगे मेरा धन्यवाद, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भाग लिया। इसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हुकुम सिंह जी का भी, कांग्रेस नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का भी, और बहुत सारे सदस्य, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ-साथ मैं तमाम नये सदस्य जिन्होनें अभिभाषण पर बोला है, बात रखी है अपने क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मौके पर सदन में माननीय योगेश प्रताप सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योकि जो बाते थी वहा ज्यादातर बाते पूर्व सरकार जिन्होंने चलाई उनको लेकर थी। मैं जानता था कि वह इसी तरह का फैसला लेंगे कि जब हम लोगों को बोलने का मौका मिलेगा तो वह सदन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की सरकार पिछले 5 साल चली, उन्होनें उत्तर प्रदेश को लूट की प्रयोगशाला में बदल दिया था और कितना लूटा था, कितना भ्रष्टाचार था, सब सीमायें टूट गयी थी और कितना निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हुआ था, उसका गवाह बना था यह उत्तर प्रदेश। जिस पैसे से उत्तर प्रदेश की तरक्की हो जाती, खुशहाली आ जाती, किसान को मदद पहुंच जाती, गरीब गांव में रहने वाले लोगों को खुशहाली का रास्ता दिखाया जा सकता था, उस तमाम, पैसे को उन्होंने पत्थर और मूर्तियों पर लगा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कही ऐसा भी हुआ होगा जहाँ पर किसी नेता ने अपने जिन्दा रहते अपनी प्रतिमा लगाई हो। जब मैं इनका भाषण सुन रहा था तो वह कह रहे थे कि यह महापुरूष हैं। यदि वह यहां होते तो मैं जरूर पूछता

कि मुख्य मंत्री आखिरकार महापुरुष कैसे हो गयीं। वे वाकई में महापुरुष हैं क्या ? महिलाओं को महापुरुष बोलते है यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन उन्होने अपनी भी प्रतिमा लगवा दी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

(बैठे हुये) डिक्शनरी में कोई शब्द होना तो चाहिये।

श्री अखिलेश यादव-

अब यदि वे लोग रहते तो शायद बताते, लेकिन वे इस समय मौके पर नहीं है और पूरा का पूरा पैसा पत्थरों पर लग गया। तो पूरी बुराई के साथ पिछली सरकार चली और जितनी भी लोकतांत्रिक मर्यादायें, परम्परायें थी, उनको नष्ट कर दिया खत्म कर दिया। हम जानते है और तमाम हमारे नेता इस बात के गवाह है कि जब कभी भी वह आन्दोलन में आये होगें, अपनी बात रखने आये होंगे तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव इनकी सरकार में हुआ है। झूठे मुकदमें लगा दिये गये, लाठी खाई और जेल जाना पड़ा। आज जितने भी माननीय सदस्य यहाँ बैठे है, मैं समझता हूँ कि इन सबको कहीं न कहीं इस सरकार ने जेल जरूर भेजा है। कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको जेल न भेजा गया हो और यह भी सच्चाई है कि जो जेल चला गया वह इस सदन में चुनाव जीतकर आ गया। इन्होंने दूसरे दलों को भी नहीं छोड़ा, दूसरे दल के लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष उनके घर को भी जला दिया था, नष्ट कर दिया था, और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। बी0जे0पी के जो नेता है, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ और पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया गया, बरबाद कर दिया गया। जिस उत्तर प्रदेश का शानदार इतिहास था, यह हमेशा राजनीति का एक केन्द्र बिन्दु था, यही से हरदम राजनीति में परिवर्तन आता था, उस उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में पीछे कर दिया। चाहे वह किसानों का सवाल रहा हो, पूरे समय उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई राहत नहीं मिली। चाहे सड़क, बिजली से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ भ्रष्टाचार न हुआ हो। कितने मंत्रियों के खिलाफ जांच हुयी, कितने विधायकों ने क्या किया, सब चीजें हैं पुरानी सरकार की। यह सच है कि बहुत बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को। इतना बहुमत कभी किसी दल को नहीं मिला होगा, जितना बहुमत इस बार समाजवादी पार्टी को जनता ने दिया है। इसलिये जनता की उम्मीद ज्यादा है हम लोगों से। अभी तो कुछ ही महीने हुये हैं, हम लोगों को अंत में सरकार चलाने का मौका मिला है, जब सरकार का पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया, तब हम लोग सरकार में बैठे हैं। जिसने हर क्षेत्र में, हर तरह से दुर्दशा देखी। यह सही है माननीय सदस्यों ने बहुत से सवाल उठाये बिजली को लेकरके और बिजली की बड़ी समस्या है। अभी गेहूँ खरीद केन्द्र पर जब मैं अचानक पहुँच गया तो मैं जानता हूँ कि किसान और गांव के गरीब रहने वाले जो लोग वहां

खड़े थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि बेईमानी हो गयी या जिन किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिली, उन्होंने भी अपनी बात रखी और जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरा तो उन्होंने कहा कि बिजली का भी इन्तजाम ठीक कर दीजिए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं की सही कीमत मिले और जो सरकार तय करे वह कीमत उन्हें मिले। मैं समझता हूँ कि पुरानी सरकार ने किसानों के सवाल पर कभी समीक्षा नहीं की होगी, गेहूं खरीद को लेकर मंत्रियों ने कभी मिलकर बात नहीं की होगी, इतनी समीक्षा अधिकारियों की नहीं हुई होगी जितनी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनते ही कर दिया यह सही है कि बोरे की कमी है, अध्यक्ष महोदय बोरे का इन्तजाम केन्द्र सरकार को करना पड़ता है लेकिन उसका आर्डर पहले देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि फसल के समय आपको बोरे उपलब्ध हो जाएं तो कम से कम 5-6 महीने पहले आपको उसका आर्डर देना पड़ेगा लेकिन सरकार ने आर्डर नहीं दिया और आर्डर दिया जनवरी और फरवरी में जब उन्हें पता चल गया कि हमारी सरकार नहीं बननी है। इसके साथ-साथ जिस तरह से अधिकारियों ने माहौल बना दिया था, अधिकारी मनचाही चीजें करते थे उस पर अंकुश समाजवादी पार्टी ने लगाया है। गेहूं खरीद के केन्द्रों पर हमारे तमाम मंत्री लोग गये, जिनको गलत पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है इतने अधिकारी कभी निलम्बित नहीं हुए होंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई किसी ने नहीं की होगी जितनी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने की है। हमारी सरकार का प्रयास है, समाजवादी पार्टी की सरकार का प्रयास है कि गेहूं की कीमत किसानों को मिले। यह कुछ महीनों की सरकार है जो इन्तजाम कर रही है आने वाले समय में परिवर्तन देखियेगा, समाजवादी पार्टी की सबसे प्रथम प्राथमिकता पर किसान होगा। खाद के इन्तजाम के लिए हम लोगों ने व्यवस्था पहले ही कर दी, आखिरी वक्त पर खाद कैसे लाए, कहॉ से लाए, इसलिए हम लोग पहले से आर्डर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्तजाम हो जाए जिससे कि खाद सही वक्त पर किसान को मिल जाए। जहां तक बिजली का संकट है उस दिन बिजली का सवाल भी उठा था, अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि प्रदेश में बिजली का बहुत बड़ा संकट है और जो हालात मिले हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को, वह बहुत खराब हैं। जो हिसाब-किताब लगा है उसके अनुसार 25 हजार करोड़ रुपए हम लोग अभी घाटे में हैं जो सरकार को कहीं न कहीं देना है। इसमें 18 हजार करोड़ रुपया बैंकों को देना है जो पिछली सरकार ने बिजली खरीदने के लिए बैंकों से लोन लिया है और 7 हजार 2 सौ करोड़ रुपए का भुगतान, जो बिजली के प्लान्ट लगे थे उनको करना है। इस तरह से आज बिजली का विभाग ही 25 हजार करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। जो बिजली खरीदी गई है उसमें भी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। जो बिजली कम पैसे पर मिलनी चाहिए थी वह बिजली 13-13 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उन लोगों ने खरीदी है। खजाने का पैसा पूरा लूट लिया इन्होंने और उसे लूटकर पत्थर और मूर्तियों पर

लगा दिया। एक-दो प्रतिमाएं नहीं लगी हैं लखनऊ में, हमारे माननीय सदस्यों को तो अखबारों से सूचना मिल गई होगी, जानकारी मिल गई होगी, बड़े पैमाने पर अपनी प्रतिमाएं लगाई हैं मुख्य मंत्री ने जिन्दा में, अपने घर पर लगाई, सरकारी घर पर लगाई, मैं समझता हूँ कि 9 या 10 प्रतिमाएं लगी हैं। हाथी की गिनती तो कोई कर ही नहीं सकता, इतने हाथी लगे हैं, अगर थोड़ी भी जगह कहीं मिल गई फव्वारे में तो सरकार ने वहाँ भी हाथी लगा दिये और जो खराब हो गये, पत्थर कहीं टूट गया होगा तो वह भी बड़े पैमाने पर पड़े हुए हैं। अब वह सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने जिन्दा में अपने मुख्य मंत्री की प्रतिमा लगा दी वह भी चार मुंह की। बताइये चार मुँह से क्या लाभ मिला होगा उत्तर प्रदेश को और ऐसी जगह लगाई है कि कोई भी आये बड़े से बड़ा व्यक्ति तो वह उसे बिना देखे जा ही नहीं सकता है। एयरपोर्ट के रास्ते पर, यह अच्छा हुआ कि बिलगेट्स ने हमसे नहीं पूछा कि यह चार मुँह की मूर्ति किसकी थी। इसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ और हजारों करोड़ उसी में लगा दिया गया। यह सरकार दावा करती थी कि बिजली का इन्तजाम किया है, बिजली के कारखाने लगाये मान्यवर, एक भी बिजली का कारखाना इनकी सरकार में नहीं लगा। 9 जो एम0ओ0यू0 साइन भी हुए हैं वह थोड़ी भी बिजली नहीं दे सकते। 10 जून को उनका एम0ओ0यू0 समाप्त हो रहा है क्योंकि 18 महीने के अन्दर उन्हें कोल्ड लिंकेज देना पड़ेगा, कोल्ड लिंकेज नहीं होगा तो एम0ओ0यू0 निरस्त हो जाएगा। अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि एम0ओ0यू0 निरस्त करें या नये इन्तजाम करें और अगर सरकार 6 महीने पीछे हो जाएगी तो जो हम 2014 से बिजली लाना चाहते हैं, वह नहीं ला पायेंगे, हमें और समय लग जाएगा जो बहुत आगे जा करके बिजली मिल पायेगी। इसलिए उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम भरोसा दिलाते है, सरकार तैयार है कि बिजली लगाने के लिए जो भी फैसला लेना पड़ेगा, फैसला लेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए नये बिजलीघरों का इंतजाम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) कोल लिंकेज की भी मद्द माँगेगे और कोल लिंकेज देना है केन्द्र सरकार को। केन्द्र सरकार के बिना कोल लिंकेज के ये कोयले वाली बिजली नहीं लग सकती। पानी वाली बिजली हमारे पास कोई बची नहीं, हाईडिल प्लाण्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है, हम लगा भी नहीं सकते जो लगे थे उसको भी सरकार ने ठीक नहीं कराया। सोलर एनर्जी के लिए भी हम लोग इंतजाम करने जा रहे है। क्योंकि तमाम प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पर सोलर एनर्जी का इंतजाम हो रहा है, वहीं हमारे प्रदेश की पुरानी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। हम लोग उस क्षेत्र में भी काम करने जा रहे है। अगर इसमें सिंचाई विभाग को भी शामिल करना पड़ेगा तो हम लोग उसको भी शामिल करके बिजली का इंतजाम करने जा रहे है। जो हमारे पुराने प्लाण्ट लगे थे जैसे, ओबरा है उसको दुरूस्त करने की जरूरत है। कूड़े से भी बिजली बनेगी और एक बार बी0जे0पी0 सरकार में कूड़े से बिजली बनाने का इंतजाम लखनऊ में हुआ था लेकिन वह चल

नहीं पाया वह इसलिए नहीं चल पाया। मुझे याद है एक अखबार के पत्रकार साथी ने पूछा, वहाँ पर पत्रकार साथी गये थे वहाँ के इन्जीनियर से यह पूछने कि यह जो इतना सुन्दर, बड़ा प्लाण्ट कूड़े से बिजली बनाने का लगा है आखिर क्यों नहीं पैदा हो रही है ? तो वहाँ के इन्जीनियर ने कहा कि कूड़े से बिजली इसलिए नहीं बन पा रही है कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है। तो वह बी0जे0पी0 का प्लाण्ट लगा है, कूड़े की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो हम उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि हम लोगों को कूड़े को गुणवत्ता ठीक करनी है। (हंसी) (श्री मोहम्मद आजम खाँ ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि अधिकारी की गुणवत्ता ठीक नहीं है।)

ओबरा जो हमारा पुराना बिजली का प्लाण्ट था वह 40 साल पुराना हो गया है, उसमें जितनी बिजली का उत्पादन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसके लिए भी फैसला लेने जा रहे हैं। पनकी जो हमारा पॉवर प्लाण्ट है यह भी लगभग 40 साल पुराना है और जितनी बिजली देनी चाहिए वह नहीं दे पा रहे है। इसको भी लेने जा रहे हैं और इस पर भी कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो प्लाण्ट लगे थे, जो शुरूआत हुई थी, वही बन करके बिजली आज मिल रही है, उसके अलावा नहीं मिल रही है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है तो वह है बिजली। क्योंकि अगर हम लोग बिजली का इंतजाम कर ले जायेंगे तो हमारे कारखाने उद्योग चल पड़ेंगे। क्योंकि कानपुर की यह दुर्दशा है हम मानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से कानपुर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अभी भी कर रहा है, बड़े पैमाने पर और सरकार को 6 हजार करोड़ रूपये का रेवन्यू दे रहा है। बिजली के क्षेत्र में यह सरकार बहुत अच्छे फैसले ले करके, नये कारखाने भी लगाने पड़ेंगे तो नये कारखाने लगायेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की बिजली का इंतजाम हो सके और जनता को राहत मिल सके। बहुत सारे और भी इंतजाम करने हैं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छें सुझाव आये थे आदरणीय हुकुम सिंह जी की तरफ से भी, अन्य सदस्यों ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिये, काँग्रेस के नेता ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिये। हम लोग फीडर अलग अलग करने जो रहे हैं। अगर फीडर अलग कर ले जायेंगे तो किसान को कब बिजली देनी है, इण्डस्ट्री को कब देनी है, डोमेस्टिक को कब देनी है, उसके लिए हम लोग काम कर सकते है और सही इंतजाम कर सकते है। किसी ने यह फैसला नहीं लिया लेकिन हम करने जा रहे है। अन्य तमाम योजनायें जो केन्द्र की है जिसमें बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है उनको भी लग करके हम करने जा रहे है। क्योंकि आज टेक्नालोजी के हिसाब से इंतजाम है क्योंकि प्राइवेटाईजेशन का अगर सवाल उठेगा तो जनता कभी इसे स्वीकार नहीं करती। पुरानी सरकार ने जो एम0ओ0यू0 जिन कंपनियों के साथ किया है उसमें सरकार मंहगी बिजली दे रहीं है उनको और उसमें बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है। कानपुर के मा0 सदस्य जानते होंगे कि कानपुर में जिस कम्पनी के साथ समझौता किया है उसे सरकार

को खरीदकर देना पड़ रहा है उसमें भी सरकार को कहीं न कहीं रेट में निगोशियेट करना पड़ेगा। इसलिए बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लेंगें और काम करेंगे। मान्यवर, इसके साथ-साथ और भी हमाने पास योजनाएं हैं। अलकनन्दा पर पावर प्रोजेक्ट की बात है उस परियोजना को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने ही इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया था। अगर इसमें हमें कहीं पर मदद भी करनी पड़ी तो सदन में प्रस्ताव लेकर आयेंगे। मान्यवर, कोल लिंकेज मिलने की बात थी। वह भी पुरानी सरकार नहीं कर पायी, उड़ीसा में कोल था, उसके साथ भी खिलवाड़ किया गया। बी0एस0पी0 के लोग सदन छोड़कर चले गये क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं हैं। मान्यवर, उन्होंने नई नई परम्परायें यहां पर डाली हैं और डाल रहे हैं। लेकिन जो यह हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी यहां की परम्परायें हैं उनको हम आगे बढ़ायेंगे और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम्प्यूटर और लैपटॉप से डर लगता था। एक माननीय सदस्य आज कह रहे थे कि जब पेट नहीं भरता है तो उस लैपटॉप और कम्प्यूटर का वे क्या करेंगे। मान्यवर, मुझे जो जानकारी है हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इनकी पार्टी ने पहले अपने घोषणा पत्र में कम्प्यूटर और लैपटॉप देने की बात शामिल की थी लेकिन जब हमारी समाजवादी पार्टी का घोषणा-पत्र पहले आ गया तो इन्होंने घोषण पत्र के उस हिस्से को वापस ले लिया था। मान्यवर, हमारी सरकार गांवों के बच्चों के मन से कम्प्यूटर और लैपटॉप के प्रति डर की भावना को निकालना चाहती है। मान्यवर, जो बड़े बड़े स्कूलों के लोग हैं जो पैसे से मजबूत हैं यहां पर गांवों में जाकर बच्चों को कम्प्यूटर और लैपटॉप दिखाते हैं और उन्हें उससे डराते है कि इसे तुम नहीं चला पाओगे। लेकिन हमारी सरकार उन बच्चों को कम्प्यूटर और लैपटॉप देकर उनके मन से डर निकालने का काम करेगी। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हमारा जो भी घोषणा-पत्र है, कल सदन में बजट आयेगा सारी बातें उसमें साफ हो जायेंगी। अगर योजनाओं में संशोधन भी करना पड़ा तो वह बहस भी यहाँ पर होगी। इस सदन में होगी। मान्यवर, गाँव के बच्चों ने, आपने देखा होगा कि मोबाइल चलाना सीख लिया है वह भी कम्प्यूटर की तरह ही है उन्हें किसी को आकर के सिखाना नहीं पड़ा है वह अपने आप सीख गये हैं। तो वे इसे भी सीख जायेंगे। मान्यवर, हम समाजवादियों का यह मानना है कि अगर उनके हाथ में कम्प्यूटर और लेपटॉप होगा टेबलेट होगी तो उनका कान्फिडेंस बढ़ेगा। आज तकनीकी युग का जमाना है टेक्नोलॉजी आ गयी है। उसकें साथ हम उन बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। मान्यवर, पहले यह भी कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी अंग्रेजी के खिलाफ है कम्प्यूटर के खिलाफ है और इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी है। चुनावों में भी इन्होंने इस बात को रखा लेकिन हम लोग चुनावी सभाओं में कहते रहे कि आज बदलाव आ गया है तकनीकी आ गयी है तो उसे हमें सीखना होगा प्रयोग में लाना

होगा। मान्यवर, यह जो कम्प्यूटर और टेबलेट हम देंगे यह आप जिस भाषा में चाहेंगे चला सकते हैं। चाहे हिन्दी में चलाना चाहें तो चला सकते हैं चाहे अंग्रजी में चलाना चाहें तो चला सकते हैं और चाहे उर्दू में चलाना चाहें तो चला सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी हैं। उसमें सरकार को कोई अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसका इंतजाम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। मान्यवर, हम खुशहाली के रास्ते पर इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। मान्यवर, पिछली सरकार के समय बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं पर विभिन्न धाराओं में फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं। अब बी0एस0पी0 की ओर से यह बयान आया है कि प्रदेश में दो तीन मुख्य मंत्री हैं और कभी हमें भोला भाला कहते है। तो हम अगर इनके साथ मिलकर फोटो खिंचवा लेंगे तो लोग उस पर इन्हें क्या कहेंगे। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इनकी सरकार ने बहुत अन्याय किया है। अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नौजवान सड़कों पर न निकलते तो यह स्थिति कुछ और कर देते। हमारे लोगों पर गंभीर धारायें लगायी गयी है पुलिस के अधिकारियों ने लगायी है और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया हम लोगों के प्रति वह आप जानते हैं। मुझे एअरपोर्ट से उठाकर ले जाया गया जबकि वह केन्द्र की सीमा में था और इनकी पुलिस ने मुझे वहां से उठा लिया (शेम शेम की आवाजें) आप मुझे भोला भाला मुख्य मंत्री कहते हैं जब आपकी सरकार थी उस समय आप लोगों ने हमारे विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है ? उस समय हमारे साथ क्या-क्या हुआ ? इन्होंने मुझे उठाया और जो अधिकारी मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा कि हम यह पत्थर, मूर्तियाँ और प्रतिमाएं जो लग रही हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो वह भूल गया कि क्या कह रहा है, वह अधिकारी कहने लगा कि आपको पता नहीं कि शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था। मैंने उस अधिकारी से गाड़ी में पूछा था कि मैं प्रेस में कह दूँ क्या।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यही तो मुकाबला है कि शाहजहां बड़ा या अपनी पटरानी बड़ी।

श्री अखिलेश यादव-

तो यह उनकी सोच अलग थी, अपनी अलग सोच से काम कर रहे थे। अपना इतिहास बना रहे थे और अपना इतिहास बनाते-बनाते उत्तर प्रदेश का पैसा बर्बाद कर दिया। यही पैसा अगर सिंचाई पर खर्च हो जाता, बिजली पर खर्च हो जाता, किसानों पर खर्च हो जाता तो प्रदेश में अच्छे इंतजाम होते। यह सरकार के लिये कहते जा रहे हैं कि सरकार ने यूनिवर्सिटियां बनाई थीं। हॉ नई-नई यूनिवर्सिटियां बनाई थीं और कैसी यूनिवर्सिटियां बनी हैं। यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। माननीय अध्यक्ष जी। कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार न बढ़ा दिया हो। इतना ऑर्गनाइज्ड करप्शन किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया होगा,

जितना इस सरकार ने बढ़ाया और हम लोगों को कहना पड़ा था। तब मशीनें लगा दी थीं पैसा गिनने की। मशीनों से पैसा गिना जाता था। किसानों के साथ क्या हुआ ? सड़क बनाते-बनाते कितने किसानों को मार दिया इस सरकार ने। किसानों पर लाठियां चलाईं। उस सड़क पर हम लोगों ने भी साइकिल चलाने का फैसला लिया था। जब पत्थरों का 700 करोड़ का स्मारक बना था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आन्दोलन छेड़ा। आन्दोलन छेड़ा और हमने कहा कि हम साइकिल चलायेंगे। वहां पर, तब हम नोएडा से साइकिल लेकर निकले। वह एक्सप्रेस-वे जिस पर कई घोटाले हो चुके हैं। यह सही है कि उस सड़क पर हम लोगों को नहीं चलने दिया, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। नहीं चलने दिया सड़क पर और कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, कितना मुनाफा कमाने का मौका दिया। अगर ज्यादा मुनाफा किसी को मिल रहा है तो वह भी भ्रष्टाचार है कहीं न कहीं। अगर सरकार जानती है कि इसमें मुनाफा ज्यादा हो रहा है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगाती है तो वह भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी आप जानते हैं कि किसानों के कितने मुकदमें समाजवादी पार्टी ने वापस लिये। जितने भी थे सब वापस लिये और हमारे घोषणा-पत्र में भी यही है। यह सही है कि कितने उद्योग और कारखाने आये, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों को बर्बाद नहीं होने देगी। किसान के पक्ष में फैसला लेकर अगर हमको कई गुना मुनाफा भी देना पड़ेगा किसानों को, सर्किल रेट से बढ़कर भी रेट देना पड़ेगा किसानों को तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार किसान की जमीन को जाने नहीं देगी और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको मुझे रखना है लेकिन चूंकि कल बजट है और बजट का सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिरकार बजट में कैसा होगा ? समाजवादी पार्टी सरकार को बजट बनाने में बहुत मुश्किलें आयीं। अपने घोषणा-पत्र को उसमें शामिल करने में मुश्किल आई क्योंकि जिस तरह का इंतजाम, जिस तरह का खजाना बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गई थी, सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। क्योंकि जिस तरह से पूरा पैसा इस सरकार ने पत्थर और मूर्तियों पर लगाया बड़े पैमाने पर। हममें से आपमें से कोई देखने नहीं गया होगा वहॉ पर। मैंने खुद चीफ सेकेट्री और अपने अधिकारियों को वहां भेजा कि आपको जाकर देख कर आना चाहिए एक बार कि कितना पत्थर लगा, कितनी कीमत का लगा। रोज अखबारों में छप रहा है, निकल रहा है जो कम कीमत का पत्थर कितने गुना कीमत पर लगा दिया गया। मिर्जापुर का पत्थर पता नहीं राजस्थान में कहां जाता था और वहां से वापस आता था। उसकी कीमत वसूली सरकार ने और जहाँ कीमती जगह मिली उस पर स्मारक बना दिया। यह बड़े पैमाने पर किया। कानून व्यवस्था के नाम पर कितना धोखा दिया। उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के नाम पर इन्होंने अन्याय किया। उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर और अपने विरोधी दलों के ऊपर। गम्भीर से गम्भीर धाराएं लगाईं, अगर पुतला कभी जला दिया किसी सरकार के मुख्य मंत्री का तो ऐसी

धाराएं लगाई कि उन धाराओं को वकील भी नहीं जानते थे। यह सरकार पता नहीं कहां से धाराएं ढूँढकर लाई थी। गम्भीर धाराएं लगाई। हमारे तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं जिन पर गम्भीर से गम्भीर धाराएं लगीं। अधिकारियों ने काउन्टर खोलकर हमारे खिलाफ मुकदमें लगाए यह सही है, अधिकारियों का इन्होंने मनोबल गिरा दिया था। अभी नई सरकार है कानून व्यवस्था के नाम पर हम कड़े कदम उठायेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

जहां कहीं भी घटना होगी, जानकारी होगी, जो दोषी होंगे, कोई भी अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही की है। जैसे-जैसे सरकार चलेगी, आपके सामने चीजें आ जाएंगी कि कानून व्यवस्था पर हम कितने गम्भीर हैं। कड़ी से कड़ी कार्यवाही किसी अधिकारी के खिलाफ करनी पड़ेगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

क्योंकि कानून व्यवस्था अगर ठीक होगी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा। अगर बिजली का इंतजाम हो जाएगा और किसानों को राहत मिल जाएगी, तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाएगा, खुशहाली के रास्ते पर चला जाएगा। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर होगा तो हमारा देश आगे बढ़ता दिखेगा, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा जनता इस उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा संभावनायें इस उत्तर प्रदेश में हैं, जिस क्षेत्र में चाहें, यहां काम हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनी है, उसमें उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जब कल उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी और पुरानी सरकार ने तो कुछ नहीं छोड़ा एन0आर0एच0एम0 तो आपके सामने है। हम लोग बिलगेट्स से इसीलिए पैसा नहीं मांगे कि उनकी जानकारी में रहा होगा कि कितना पैसा एन0आर0एच0एम0 में लूटा गया है। हत्यायें भी हो गईं, सी0बी0आई0 की जाँच चल रही है। अभी तक मैं समझता हूँ कि जानकारी नहीं हुई है कि कैसे मर्डर हो गये और कितने हजार करोड़ रुपया पुरानी सरकार ने लूट लिया। मंत्री जेल में हैं बड़े अधिकारी जेल में है लगातार अधिकारी जेल में जा रहे हैं, इतना खुला भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया है। मैं इस मौके पर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोल रहा हूँ और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, कई सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्या उठाई है, कानून व्यवस्था पर कई सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं और टिप्पणी भी की है, भ्रष्टाचार का भी सवाल उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, अधिकारियों पर तो अंकुश लगेगा ही, कानून व्यवस्था को ठीक कराने में, और जो आपके अच्छे सुझाव होंगे उनको लेकर के सरकार काम करेगी, अच्छे सुझावों पर फैसला भी लेंगे। क्योंकि आप,

हम, सब मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत, जनता, किसान जितने भी लोग हैं, वह यह अपेक्षा करते हैं कि विधान सभा से उनके पक्ष में अच्छे फैसले होंगे। इसलिए जो अच्छे सुझाव होंगे, अच्छी राय आएगी, उस पर हम अमल करेंगे। मैं इस मौके पर अभिभाषण में जो मा0 सदस्यों ने सुझाव रखे हैं। मैं बी0जे0पी0 के नेता को धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस के नेता को धन्यवाद देता हूँ और जितने भी हमारे माननीय सदस्य है राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी पार्टियों के हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कई बार मैं रह नहीं पाया, सबको सुन नहीं पाया, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके सुझाव सरकार को मिले हैं। उन सुझावों पर सरकार काम करेगी। अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

भट्टा परसोल के मुकदमें वापस नहीं हुए हैं सरकार भले ही समाजवादी पार्टी की बनी।

श्री अध्यक्ष-

रुक जाइए।

श्री अखिलेश यादव-

मुकदमें वापस हो जाएंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, मानीय सदस्य की जिज्ञासा है माननीय नेता सदन ने बहुत पहले यह घोषणा कर दी थी कि भट्टा परसोल के मुकदमें वापस होंगे। आपके नेताजी गए थे, उसी के बाद यह सब कुछ हुआ था। उसका क्रेडिट तो आपको जाता ही है।

कुछ बातें हल्के से भी ले लिया करें, अगर बुरी बात होती तो प्रमोद जी बोलते।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरी तो हैसियत है नहीं कि मैं आपको हल्के से ले लूँ।

(हँसी)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय नेता सदन ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि मुकदमें वापस होंगे। माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा कर देने का मतलब यह है कि वहाँ प्रक्रिया शुरू हो गयी है, एक प्रक्रिया के तहत मुकदमें वापस होते हैं, सदन की भी घोषणा है, सारे मुकदमे वापस होंगे,

कुछ वापस हो चुके हैं। क्योंकि मैं वहाँ गया था उन दिनों, आपकी घोषणा के बाद, वहाँ सारी लिखत-पढ़त, सारा प्रोसीजर चल रहा है, सब मुकदमे वापस होंगे, आप जाकर कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

(कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे औचित्य के प्रश्न पर आपने कृपापूर्वक व्यवस्था देने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष-

उसमें हमारी अभी नेता सदन से बात नहीं हुई है और मैंने आपके माननीय नेता हुकुम सिंह जी से और सबसे बात कर ली है, नेता सदन से बात नहीं हो पाई है। इसलिए व्यवस्था देने में दिक्कत है, बात कर लेंगे तो कल उस पर व्यवस्था हो जायेगी।

अब माननीय सदस्य आप बोलिए।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, मैं बिजनौर जिले से आता हूँ। हम कहते हैं कि हम पश्चिमांचल अर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर रहते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, इस नाते आज जो वहाँ के किसान की स्थिति पैदा हुई है, किसी जमाने में 60 बीघे पर सीलिंग आती थी, उस समय भी उसके चार संतानें रही होंगी, उसके बाद उनकी और संतानें हुई होंगी, इस नाते आज किसान के पास जो 8 बीघे, 10 बीघे और 20 बीघे जमीन है, न वह किसान है, न मजदूर है और न वह व्यापारी है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आई0टी0 के सेक्टर में आप निश्चित रूप से विकास करिएगा, उत्तर प्रदेश में डटकर विकास करिएगा। आन्ध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार में चन्द्रबाबू नायडू ने श्रीकॉन वैली देने का काम किया था, लेकिन उसके बाद जब चुनाव में गये थे तो चुनाव में वहाँ साफ हो गये थे। अर्थात् आप यदि किसान को कुछ देंगे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर गाय पालकर, भैंस पालकर दूध बेचकर अपनी जीविका को चलाने का काम किसान कर रहे हैं, अर्थात् अपने बच्चों को पालने का काम कर रहे हैं। उसमें भी स्थिति यह है कि यदि किसी की दो भैंस खुल जाती है तो उसका एक लाख का नुकसान हो जाता है क्योंकि आज 12-13 लीटर दूध देने वाली भैंस 55 हजार की। अध्यक्ष जी, बसपा की सरकार में जो गुण्डई हुई, हमें न तो यहाँ प्रदर्शन करने दिया गया, वहाँ अधिकारी मिलते नहीं थे, यहाँ कोई मंत्री सुनता नहीं था, कलेक्ट्रेट में जब हम जाते थे तो वहाँ भी ताले लगा दिये गये, यदि जा सकते हो तो 5 व्यक्ति जा सकते हो। बिजनौर

जनपद में तमाम राजनीतिक लोगों के ऊपर बसपा को छोड़कर, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था, जिनके लोगों पर मुकदमें न लिखे गये हों। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक मुकदमें लगे हैं, यह राजनीतिक मुकदमें वापस लिए जाने चाहिए और पिछली सरकार में चाहे वह कोई भी मंत्री रहा हो, अधिकारी रहा हो, उसने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और जांच केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

वह जांच होनी चाहिए और उनको दण्डित किया जाना चाहिए अथवा जेल जाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आज हम छात्र राजनीति से निकलकर आये हैं। आज जब हम बस या ट्रेन में बैठकर जाते हैं तो आज नेता का मतलब यह हो गया है कि पूरे विश्व की डिक्शनरी में जितनी गालियाँ नहीं होती, आज नेताओं को इस रूप में देखते हैं। इसमें परिवर्तन आना चाहिए और लगता है कि यह परिवर्तन इस प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिखायी देगा। हम जाति धर्म की बात नहीं करते, सबको अपनी जाति और धर्म के हिसाब से मानने का अधिकार है। लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं यह न माना जाये कि हम सत्ता के लोग हैं तो विकास का पैसा केवल वहाँ दिया जाये। जैसा पैसा विकास के लिए उधर दिया जाये वैसा इधर भी विकास के लिए दिया जाना चाहिए। ऐसा निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अगर विकास हो सकता है, प्रदेश आगे बढ़ सकता है तो यह तीन चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं है। देश में तीन चीजें विकास के लिए चाहिए उसमें एक तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, और कानून-व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तभी उद्योगपति हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने का काम करेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय सदस्य बोलें इससे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। अगर कुछ आपका मन बन जाये तो यह बड़े कष्टकारक नाम जो हैं, जो यह नये तीन जिले बने हैं इसमें आपका कुछ नहीं जायेगा। इन तीन जिलों को जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जैसे हापुड़, शामली कर दीजिए। तो यही मान्यवर, मैं इस समय आपसे जानना चाहता था। चलिए मैं आपका अभारी हूँ। बहुत-बहुत अभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

पीछे जो माननीय सदस्य खड़े हैं आप बोलिये।

*श्री दिलनवाज खान-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपके द्वारा मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके समक्ष संक्षेप में मै अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे स्याना विधान सभा क्षेत्र में सन् 1985-86 में तत्कालीन विधायक श्री इम्तियाज खान के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा स्याना क्षेत्र को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया था जिसके अन्तर्गत किसानों को विशेष पैकेज देने की घोषणा की गयी थी। जिसमें फल पट्टी क्षेत्र को 24 घण्टे बिजली देना और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना शामिल थी। सरकार की बात पर भरोसा करके अपने सीमित संसाधन होने के बावजूद फल पट्टी क्षेत्र के किसानों ने 90 प्रतिशत भूमि पर आम के बागान लगा दिये हैं लेकिन बाद में 1989-90 में तत्कालीन विधायक श्री इम्तियाज मोहम्मद खान ने मैंगो एक्स्पो जोन बनाये जाने की मांग की थी जिस पर सरकार ने इंडो कैनेडियल प्रोजेक्ट पर विचार शुरू कर दिया था। किसानों ने 90 प्रतिशत आम के बागान लगाकर अपना काम पूरा किया। लेकिन तब से अब तक की सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि इस तरफ सरकार ध्यान देती तो किसानों को विदेशी मुद्रा व सरकार को रेवन्यू की प्राप्ति होती लेकिन मुझे वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि सरकार ध्यान जरूर देगी। स्याना क्षेत्र के बी0बी0 नगर, खानपुर, बुगरासी, ऊंचागाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है व स्याना तहसील पर सी0एच0सी0 है। लेकिन इन केंद्रों पर एम्बूलेंस की व्यवस्था नहीं है। डाक्टरों की संख्या भी बहुत कम है। मरीजों को कोई सहूलियत नहीं मिल पा रही है। आजादी के बाद से आज तक स्याना नगर की बिजली की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही बिजली विभाग द्वारा कागजों में दर्ज कर रखी गयी है। इसे तुरन्त शहरी क्षेत्र में दर्ज किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी इससे 50 हजार लोगों को राहत मिलेगी आपको लोग दुआये देंगे और याद भी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसे योग्य अनुभवी अध्यक्ष द्वारा मुझे इस सदन में प्रथम बार बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रदेश की सबसे बड़ी सदन में मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस देश के करोड़ों लोगों की धड़कन, लोगों की उम्मीद और तमन्ना माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस सदन में अपने विचार रखे जिससे बहुत से ऐसे दुःखते हुए सवाल जो आज तक लोगों के दिलों में थे, उस पर मरहम लगाने का जो काम किया है, उसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस क्षेत्र से आया हूँ जहां आजादी की लड़ाई से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत तक के लिए अनेकों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र अभी विकास के मायने में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में एक गांव है शेरपुर जो एशिया के दूसरे बड़े गांवों में हैं, वहां के सन् 42 के लड़ाई में आठ लोगों ने कुर्बानियां दी थीं। आज उस गाँव का अस्तित्व गंगा की कटान से खत्म होने की कगार पर है। मैं मांग करूँगा कि बजट में गंगा कटान से शेरपुर, बच्छल का पुरा, शिवराय का पुरा, सेमरा हरिहरपुर इत्यादि जो गांव गंगा की कटान से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं उन गांवों को बचाने के लिए सरकार कोई ठोस फैसला ले, जिससे उन शहीदों के गांव की सुरक्षा हो सके और उनके जान-माल की रक्षा हो सके। उन्हीं शहीदों की याद में मोहम्मदाबाद में एक शहीद पार्क स्थापित है, जो आज से बीसों साल पहले बनाया गया, आज कोई भी बड़े से बड़ा जनप्रतिनिधि या छोटा जनप्रतिनिधि जब वहां पहुँचता है उन शहीदों की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाता है, श्रद्वा के सुमन अर्पित करता है तो उन शहीदों का जो सम्मान होना चाहिए, जो उनके शहीद पार्क को देख कर लगाना चाहिए कि इस देश के शहीदों के लिए बनाया हुआ कोई पार्क है कोई प्रेरणा का स्थल है, तो उस स्वरूप में अगर करा दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि शहीदों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। महोदय मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ मोहम्मदाबाद पूरी तहसील में कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है, मेरी विधान सभा ही नहीं पूरी तहसील में आज तक कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है, मैं मांग करूँगा, अनुरोध करूँगा कि कन्या डिग्री कालेज मोहम्मदाबाद विधान सभा में स्थापित कराय जाय, जमीन उपलब्ध है। दूसरी चीज जो माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे बच्चों को लैपटाप और टैबलेट देने की महान घोषणा की है मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अफसोस कि पूरी मोहम्मदाबाद तहसील में एक भी पालिटेक्निक कालेज या एक भी इन्जीनियरिंग कालेज नहीं है मैं अनुरोध करूँगा कि इस बजट में प्राविधान कर दे मोहम्मदाबाद में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाय, जिससे उन शहीदों की सरजमी के लोगों को , बच्चों को टेक्नोलाजी की शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे क्षेत्र में एक मगई नदी बहती है उस नदी पर एक स्थान है बलुआ घाट जहां एक छलका के पुल की आवश्यकता है। बीसों गांव के लोग बांस के बने हुए पुल से आज आजादी के 64 साल बाद भी उससे गुजरते हैं। एक छलका पुल अगर वहां बनवा दिया जाय तो बीसों गांव के पचासों हजार लोगों को आने-जाने में सुविधा हो जायेगी और उस क्षेत्र की जनता सदा इस सरकार की आभारी रहेगी।

महोदय हमारे क्षेत्र में बिजली के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर बिजली के आदेश है लेकिन कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण बिजली समय से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फाल्ट होते हैं चार-चार घण्टा उन फाल्टों को बचाने के लिये पावर स्टेशन बन्द कर दिये जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को जो पूर्व की सरकार से वहां नियुक्त हैं और जो जानबूझ करके जनता में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे जनता में सरकार के प्रति रोष हो। उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच करके मानीटरींग कराके कार्रवाई की

जाये। मा0 अध्यक्ष जी अन्त में मैं एक अनुरोध अपनी सरकार से करना चाहूँगा, मा0 मुख्य मंत्री जी से करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की सड़कें बड़ी जर्जर हो गयी हैं बीसों साल से उन जर्जर सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ, मैं अनुरोध करूँगा कि उनके निर्माण का कार्य किया जाये। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में मुझे बोलने का मौका दिया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयां, घोर समस्यायें हैं, उसका जिक्र इसमें नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आजादी के 63 साल बीत जाने के बाद भी मेरी विधान सभा मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ जहाँ से में निर्वाचित हुआ हूँ। वहां शाम सात बजे के बाद वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बस सेवा नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहां की जनता बहुत गरीब है। अगर वहां का कोई व्यक्ति कहीं भी बाहर से जिला मुख्यालय पर आता है तो या तो उसे अपने प्राइवेट वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है या वो विवश होता है कि रात भर वह उसी जिला मुख्यालय पर अपनी रात काटे और सुबह होने का इंतजार करें। तब जाकर कहीं उसको सुबह में कोई बस सेवा मिलती है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वो अभिभाषण में आप मेहरबानी करके संशोधन करायें कि उसमें इस समस्या को जोड़ा जाये कि वहां पर बस चलाने का कोई निर्देश करें अध्यक्ष महोदय। ताकि हमारी जनता को इस घोर समस्या से निदान मिल सके। दूसरी बात मा0 अध्यक्ष महोदय तीन दिन से इस सदन में बिजली को ले करके हर तरह की चर्चायें हो रही है और हमारे सभी सम्मानित साथियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं मगर मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बिजली से पैदा होने वाली समस्या कुछ अलग तरह की है। इस पर मैं आपका ध्यान, आपकी कृपा चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र मुबारकपुर चूंकि बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और आज हालत ये है कि 18 घण्टे, 20-20 घण्टे लाइट की कटौती होती है और वहां का बुनकर समाज की रोजी रोटी वहां के पावर लूम पर निर्भय करती है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस कटौती के कारण वहां का बुनकर समाज भुखमरी की कगार पर है। कई दिन इधर ऐसा हुआ है कि दो-दो दिन, तीन-तीन दिन मुबारकपुर जहानागंज जहां पर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। कम से कम 60, 70 हजार की आबादी होगी वहां पर लाइट नहीं है। इसकी वजह से पावर लूम नहीं चल पाता है और वहां का बुनकर समाज बिल्कुल भुखमरी की कगार पर है। इसलिये महोदय, मेरी आप से यह अपील है कि आप कम से कम सरकार से यह कहें कि वह इस क्षेत्र को इण्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दे और कोई सुनिश्चित टाइम बना दे, वहां पर अधिक से अधिक लाइट दे। कम से कम हो सके तो 24 घण्टे लाइट रहे।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे मेरे क्षेत्र में सठियांव में एक चीनी मिल है, जो बंद पड़ी हुई है। अगर आपकी कृपा हो जाए मा0 अध्यक्ष महोदय और अगर सरकार उस चीनी मिल को चालू करा दें तो पूरे क्षेत्र की गरीबी दूर हो सकती है और किसानों को फायदा होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी कल भी यह बहस चालू रहेगी, आप लोग परेशान न हों। अभी कल भी आप सब लोग इसमें बोलेंगे, कल पाँच बजे तक यह बहस चलेगी।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस ऐतिहासिक विधान सभा के मण्डप में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं मा0 योगेश प्रताप सिंह के द्वारा लाये गये मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के सारे आयाम निश्चित है।

(कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यों अभी इस पर कल भी चर्चा होगी, कल बजट के बाद 5 बजे तक चर्चा होगी तब बोल लीजिएगा, अभी आप लोग बैठ जाएं।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम के अभिभाषण के कुछ बिन्दुओं पर में आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूर्व में उत्तर प्रदेश विधान सभा सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही सृदढ़ हुआ करती थी तथा बहुत ही महिमामयी हुआ करती थी, लेकिन आज पिछली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में पिछली निरंकुश अलोकतांत्रिक और भ्रष्टतम सरकार में, अहंकारी और असमाजिक सरकार के अपने निंरकुश शासन से उत्तर प्रदेश की विधान सभा को तथा उत्तर प्रदेश राज्य को गर्त में ही ले जाने का कार्य किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी जो करोड़ों-करोड़ों दिलों के बादशाह हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन हैं और देश के एकमात्र नौजवान नेता के रूप में देश की अगुवाई करने की क्षमता रखते हैं। मैं उनका एक बार और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जहाँ हमारे जैसे छात्र नेता भाई संग्राम जी बैठे हैं वो तमाम छात्र नेता यहाँ है, जो आपके मंत्री जी के रूप में, मा0 सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी बैठे हैं। मा0 प्रतिपक्ष के नेता मौजूद नहीं है। उन्होंने और उनकी सरकार ने छात्र संघों को जो लोकतंत्र की नर्सरी है, उसमें ताले लगा करके, लोकतन्त्र में नेताओं की पैदावार को रोकने का काम किया। मान्यवर, वह छात्रसंघ की नर्सरी जहाँ से स्व0 प्रधान मंत्री चन्द्र शेखर सिंह जी, आदरणीय जानेश्वर मिश्र जी, स्व0 बृजभूषण तिवारी जी, मा0 मोहन सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी और हमारे जैसे तमाम छात्र नेता छात्रसंघ से राजनीति करके आए और प्रदेश और देश की

राजनीति को नई दिशा देने का और नया आयाम देने का राजनैतिक लोकतांत्रिक रूप से काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मा0 नेता प्रतिपक्ष चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि पत्थर की मूर्तियाँ लगा करके 46 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया गरीबों, किसानों, मजलूमों और नौजवानों का हक-हिस्सा, हमारे भाइयों-बहनों का हक-हिस्सा पत्थरों में लगाने का काम किया गया। मैं मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी पूर्व मुख्य मंत्री का दिल भी इन्हीं पत्थरों की इमारतों के समान हो गया था यह इन पत्थरों ने साबित किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनसे यह कहना चाहता हूँ, मैं सत्ता पक्ष के अपने मा0 नेताओं की तरफ से यह कहना चाहता हूँ :-

''हम तो दरिया हैं, कोई राह बना ही लेंगे,
आप पत्थर हो, बता दो कि किधर जाओगे।''

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, अभी दो मिनट भी नहीं हुआ है। मान्यवर, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच यह है कि उन्होंने स्वयं जाकर के क्रय केन्द्रों पर पहुँच कर के अपनी सरकार की महत्वाकांक्षा को, अपनी सरकार की प्राथमिकता को गेहूँ क्रय-केन्द्रों पर पहुँच करके साबित करने का काम किया है। किसानों की हितैषी यह सरकार है, किसानों की बीमा राशि मान्यवर, 1 लाख से 5 लाख कर दिया है और बेरोजगारों को 500 से 1000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। आप भी हमारे नेता जी के साथी रहे है। हमारी उम्र में आप नारा लगाया करते थे कि बेरोजगारों को रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। तो 500 से 1000 करके हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर कहना चाहता हूँ कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे नेता सदन भोले-भाले और बच्चे है, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शास्त्रों में व्यवस्था है ''तेजस्वीनामं वयं न समीक्ष्यते'' अगर शास्त्रों ने कहा है कि तेजस्वियों के उम्र की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, तो मा0 नेता प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री को भोला-भाला और बच्चा समझने की गलती न करें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, मान्यवर कि हमारे नेता ने यह साबित करने का काम किया है कि वह छात्रों, नौजवानों, किसानों और मजलूमों के हितैषी हैं। मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ जब हमारे मा0 नेता बोलने के लिए उठते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता और हमारे प्रतिपक्ष के साथी कोई न कोई बहाना बनाकर हमारे नेता को सुनने का काम नहीं करते हैं और सदन को छोड़कर भागने का काम करते हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप भी बीमार हो जायेंगे और हम भी बीमार हो जायेंगे।

(व्यवधान)

आपकी चर्चा जारी रहेगी।

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

राम करन जी आप बैठिये, आप मंत्री हैं।

चर्चा जारी, अब नियम-51 लिया जायेगा।

नियम-51 के अर्न्तगत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-51 लिया जायेगा। आज दिनांक 31 मई, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चुनावी रंजिश को लेकर ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद थाना धूमनगंज के अन्तर्गत ग्राम मरियाडीह तथा थाना करैली क्षेत्र में नाले के किनारे बसी झुग्गियों में हुए बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल की सुरक्षा के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र पाठा मानिकपुर में गिर रहे जलस्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना मो0 जमील अहमद कासमी की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम कम्हौड़ा थाना ककरौली में फर्जी मुकदमें दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री अमर पाल शर्मा की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत आबादी के अनुरूप खोड़ा कालोनी को नगरपालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में पानी व सीवर की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री यासर शाह की जनपद बहराइच के क्षेत्र मटेरा के थानों एवं तहसीलों का नवीन परिसीमन कराए जाने के सम्बन्ध में

केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। डा0 पूर्णमासी देहाती जनपद मऊ के ग्राम लउआशाध, थाना मधुबन में चल रही अवैध शराब भट्टियों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की विधान सभा क्षेत्र खड्डा की जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए खड्डा में तहसील स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई-

1. श्री अजय कुमार लल्लू,
2. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
3. श्री प्रदीप माथुर,
4. श्री उमेश पाण्डेय,
5. श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
6. श्री अनूप कुमार गुप्ता,
7. श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू,
8. श्री मुकेश श्रीवास्तव,
9. श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
10. श्री छोटेलाल वर्मा,
11. श्री भगवती प्रसाद,
12. श्री संजय प्रताप जायसवाल,
13. डा0 रमेश चन्द्र,
14. श्री सुशील सिंह,
15. श्री कालीचरन सुमन,
16. डा0 धर्मसिंह सैनी,
17 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
18. श्री अनीसुर्रहमान,
19. श्री विजय बहादुर यादव,
20. श्री गुटियारीलाल दुबेश,
21. श्री उमाशंकर सिंह,
22. श्री रामचन्द्र यादव,
23. श्री हुकुम सिंह,

24. श्री सुरेश बंसल,
25. कुँवर कौशल सिंह,
26. श्रीमती विमला सोलंकी,
27. श्री मदन चौहान,
28. श्री राकेश बाबू,
29. डा0 अरुण कुमार,
30. श्री मनीष असीजा,
31. श्री पूरन प्रकाश,
32. श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा),
33. श्री संजय कपूर,
34. श्री अगयश रामसरन वर्मा,
35. श्री पंकज मलिक,
36. श्री ठाकुर दलवीर सिंह,
37. श्री सत्य प्रकाश अगवाल (कैलाश डेरी वाले),
38. श्री भीम प्रसाद सोनकर तथा
39. श्री जगन प्रसाद गर्ग।

कल बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 31 मई, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 166 विधान सभा (309)-13-8-12-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।